Tuesday, 15 April, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र / Seventh Session]

Chamber Fumigated 18\X\23
Preservation Unit 17-7-94
Fumigated On 4 1 94
Parliament Library

[खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol.XXVII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 40, मंगलवार, 15 अप्रैल, 1969/25 चैत्र 1891 (शक)

No. 40, Tuesday, April, 15, 1969/Chaitra 25, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1081	पिछड़े वर्गों को सुविधाएं	Facilities to Backward classes	1-3
1082	अस्पृश्यता संबंधी समिति के सभापति का वक्तव्य	Statement made by Chairman of Committee on Untouchability	3-4
1083	विधियों का अनुवाद	Translation of Enactments	4-6
1084	मद्य निषेध के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संकल्प	Resolution of All India Congress Committee on Prohibition	6-11
1085	हरिजनों का उत्थान	Uplift of Harijans	11-15

प्रश्नों के लिखित उत्तर / Written Answers to Questions

तारांकित प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1086	लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of raw material in Small Scale industries	15-16
1087	भारत में विदेशी पूंजी विनियोजकों की कठिनाइयाँ	Difficulties of Foreign investors in India	16
1088	कुछ समवायों के खातों के बारे में जाँच	Enquiry into the accounts of certain companies	17
1089	मशीनी औजारों तथा इंजीनियरी सामान की माँग	Demand for machine tools and engineering goods	17-18
1090	विदेशी सहयोग से कारखाने की स्थापना	Setting up of factories with foreign collaboration	18-19
1091	बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bokaro Steel Plant	19
1092	अंशधारियों को भ्रामक शक्तियां	Illusory powers to Shareholders	19-20
1093	उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Orissa	20
1094	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	20-21
1095	समवाय विधि मंडल द्वारा बही खातों की जांच	Inspection of Books of Accounts by Company law Board	21

* किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S.Q. Nos.		
1096 रेल गाड़ियों में भीड़ भाड़	Overcrowding in Trains	21-22
1097 बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	22
1098 कुछ उद्योग समूहों की पूंजी में वृद्धि	Increase in capital of certain Industrial Houses	22-23
1099 मध्यवधि चुनावों में अवैध मत	Invalid votes during mid-term Elections	23
1100 सोडियम सल्फेट का उत्पादन	Production of sodium sulphate	23-24
1101 स्कूटर की कमी	Shortage of Scooters	24-25
1102 केन्द्रीय इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो	Central Engineering and design Bureau	25
1103 जवाहर लाल नेहरू संस्था में विकलांग बच्चों के लिए अनुदान	Grant for physically handicapped Children in the Jawaharlal Nehru Institute	25
1104 स्कूटर ट्यूबों के निर्माण के लिए हंगरी से तकनीकी सहायता	Technical aid from Hungary for manufacture of scooters tubes	25-26
1105 मफतलाल उद्योग समूह	Mafatlal Group of Industries	26-27
1106 सिला कपड़ा उद्योग	Garment Industry	27
1107 रेलवे भोजन प्रबन्ध जांच समिति	Railway catering Enquiry Committee	27-28
1108 हरियाणा में स्कूटर परियोजना	Scooter project in Haryana	28
1109 रिसर्च, डिजाइंज़ एण्ड स्टेन्डर्डज आर्गनाइजेशन	Research, Design and Standards Organisation	28
1110 नेपा अखबारी कागज का एक समान मूल्य	Uniform price for Newsprint	28-29
अतारांकित प्रश्न संख्या U. Q. No.		
6365 प्रतिवेदनों की उपलब्धता	Availability of Reports	29
6366 ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	29-30
6367 मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखाने	Cement Plants in Madhya Pradesh	31
6368 आदिवासियों के लिए पृथक औद्योगिक विकास निगम	Separate industrial development Corporation for Adivasis	31-32
6369 मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों का विकास	Development of Scheduled Tribes in Madhya Pradesh	32
6370 मद्रास से दिल्ली आने वाली गाड़ियों को न रोका जाना	Trains from Madras to Delhi not to be held up	32-33
6371 जी० टी० एक्सप्रेस का देर से चलना	Late running of G. T. Express	33

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6372	गुजरात में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लाइसेंस	Licences for manufacturing of Stainless Steel in Gujarat	33
6373	गुजरात में लघु उद्योग	Small Scale industries in Gujarat	34
6374	औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उड़ीसा से आवेदन पत्र	Applications for Industrial licences from Orissa	..4
6376	प्रतिरक्षा कोटे से स्कूटरों का आवंटन	Allotment of scooters from the Defence Quota	34-35
6377	रेलवे में सहायक निर्माण निरीक्षक के पद भरना	Filling up of posts of Assistant Inspector of works on the Railways	35-36
6378	इटारसी-जबलपुर सैक्शन (मध्य रेलवे) के स्टेशनों पर यात्री तथा माल सुविधायें	Passenger and goods facilities on Stations on Itarsi Jabalpur section (Central Railway)	36
6379	इटारसी जंक्शन (मध्य रेलवे) पर टर्मिनल तथा यात्री सुविधाओं की व्यवस्था	Terminal and passenger facilities at Itarsi junction (Central Railway)	36-37
6380	मध्य रेलवे में कृषि योग्य भूमि	Cultivable land on Central Railway	37
6381	क्षेत्रीय रेलों से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भेजे गए क्लर्क	Clerks Drafted to Railway Board's office from the Zonal Railways	37-38
6382	रेल का यात्रा भाड़ा	Rail passenger fare	38-39
6383	कानपुर से इलाहाबाद तक मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Mail/Express Train from Kanpur to Allahabad	39
6384	गुजरात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मकान बनाने सम्बन्धी केन्द्रीय योजनायें	Central Schemes for the Construction of Houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gujarat	39-40
6385	मुरादाबाद में रेलगाड़ी का देर से पहुंचना	Late Arrival of a train at Moradabad	40-41
6386	संगचल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता	Travelling allowance to running staff	41
6387	पश्चिम रेलवे में रेलवे लाइन के साथ साथ कृषि योग्य भूमि	Cultivable land along Railway line on Western Railway	41-42
6388	शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे	Shahdara Saharanpur light Railway	42
6389	मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, लिमिटेड	M/s Ganesh Flour Mills Ltd.	42
6390	रेलवे सतर्कता विभाग	Railway vigilance department	42-43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
6391 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	Hindustan steel Ltd. and Heavy Engineering Corporation	43
6392 रेलवे दुर्घटनाएँ	Railway Accidents	43-44
6393 मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	M/s Cooper Allen Company Ltd. Kanpur	44
6394 आसाम में कागज तथा सीमेंट उद्योग	Paper and Cement industries in Assam	44
6395 पूर्वी रेलवे द्वारा कोयले के माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Coal Wagons by Eastern Railway	45
6396 तार (केबल) उद्योग में बेकार क्षमता	Idle capacity in Cable Industry	45-46
6397 सिग्रेटों का उत्पादन	Production of Cigarettes	46
6398 चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में ओद्योगिक बस्तियाँ	Industrial Estates in Public Sector in Fourth Plan	46-47
6399 पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के लिए पूँजी परिव्यय	Capital outlay on small scale Industries in West Bengal	47
6400 कोयला खान मालिकों को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to Colliery Owners	47-48
6401 महाराष्ट्र के गाँव में जातिवाद	Casteism in Maharashtra Village	48
6402 एपेंडिक्स-तीन-ए की परीक्षा	Appendix III-A Examination	48-49
6403 दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त वरीयता सूची	Combined Seniority List of A. S. Ms of Delhi and Ferozepur Divisions	49-50
6404 कर्मचारी कल्याण निरीक्षक	Personnel Welfare Inspectors	50-51
6405 दिल्ली प्रशासन द्वारा हरिजनों को गृह-निर्माण के लिए अनुदान दिया जाना।	Disbursement of Grants to Harijans by Delhi Administration	51
6406 ए० टी०/एस० बी० डिजाइन के डिब्बे	A. T./S. B. Designed Coaches	51-52
6407 ए० टी०/एस० बी० डिजाइन के दो टायर वाले शयनायान	A. T./S. B. Designed Two tier Sleeper Coaches	52
6408 पंजाब मेल में पंखों और बिजली की व्यवस्था	Fan and Lighting arrangements in Punjab Mail	52-53
6409 गंगापुर सिटी रेलवे स्कूल को डिग्री कालिज में परिवर्तन	Conversion of Gangapur City Railway School into Degree College	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6410 गंगापुर सिटी रेलवे स्कूल	Gangapur City Railway School	53
6411 कोटा डिवीजन में सुधार	Improvements in Kota Division	53-54
6412 छोटी इस्पात बेलन मिलों के लिए लाइसेंस	Licences for Small Steel Rolling Mills	54
6413 पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, सोनपुर, शाखा	North Eastern Railway Workers Union Sonepur Branch	54-55
6414 मध्य प्रदेश में नेपा मिल्स की प्रगति	Progress of Nepa Mills (M. P.)	55
6416 देहरादून एक्सप्रेस के साथ लगाये गए डिब्बे	Bogies attached to Dehradun Express	55-56
6417 मध्य रेलवे की इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शाप में कर्मचारियों की बहाली	Re-instatement of Workmen in Electric Repairing Shop of Central Railway	56 57
6419 मध्य प्रदेश को अम्बर चरखों की सप्लाई	Supply of Ambar Charkhas to Madhya Pradesh	57
6420 मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Madhya Pradesh	57
6421 मध्य रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी और खाद्य सामग्री सप्लाई करने के ठेके सहकारी समितियों को देना	Contracts to Co-operative Societies for supply of drinking water and food-stuffs at Railway stations on the Central Railway	57-58
6422 मध्य प्रदेश में उपरि पुल	Over-bridges in Madhya Pradesh	58
6423 पश्चिम रेलवे के साबरमती लोको शैड के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Employees of Sabarmati Loco Shed, Western Railway	58-59
6424 दिल्ली आने वाली गाड़ियों का लाल किले के निकट रुकना	Stopping of trains coming to Delhi near Red Fort	59
6425 अखिल भारतीय अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, दानापुर शाखा के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum from All India Ministerial Staff Association Danapur Branch	59-60
6426 राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Rajdhani Express	60-61
6427 नार्वे के उद्योग मन्त्री की यात्रा	Visit by Industry Minister of Norway	61-62
6428 उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों के लिए विभागीय परीक्षा	Departmental Examination for Stenographers in Northern Railway	62
6429 बाल कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on children welfare	62-63

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
6430 वर्तमान बाल कल्याण केन्द्रों/संस्थानों की स्थिति में सुधार	Improvement of conditions of Existing Child Welfare Centres/Institutions	63
6431 विदेशी सहयोग से स्थापित कम्पनियों के चेयरमैन	Chairman of Companies with foreign Collaboration	63-64
6432 नये मद्य कारखानों के लिए लाइसेंस	Licences for new breweries	64
6433 माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को घाटा	Loss to Mining and Allied Machinery Corporation	64-65
6434 स्कूटरों का वितरण	Distribution of scooters	65-66
6435 गत मध्यावधि चुनाव में जाली मत डाले जाना	Casting of Bogus Votes in last Midterm Elections	66
6436 रेलवे में सेवामुक्ति संबंधी आदेश	Service Termination orders on Railways	66-67
6437 रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों के लिए मध्यान्ह भोजन का समय	Lunch Hour for Railway Commercial Clerks	67
6438 सवाई माधोपुर से जयपुर तक छोटी (नैरोगेज) रेलवे लाइन	N. G. Railway line from Sawai Madhopur to Jaipur	67-68
6439 मस्तीपुर में मकैनिकल वर्कशाप में पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of posts in Mechanical workshop at Samastipur	68
6440 मद्यनिषेध संबंधी विधान	Legislation on Prohibition	68-69
6441 राजस्थान में हरिजनों की सहायता	Assistance for Rajasthan Harijans	69
6442 पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे फाटक	Level Crossings on North Eastern Railway	69-70
6443 राज्यों द्वारा रेलवे सम्पर्क सड़कों का निर्माण	Construction of Railway Approach Roads by States	70
6444 बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए उपनगरीय मार्गों पर दुहरी लाइनें	Double Track on Suburban Routes for Electric Trains	70-71
6445 बौखारा में हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Bokhara	71
6446 मैसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s Turner Morrison and Co. Ltd.	71-72
6447 तलाक का अधिकार	Right to seek divorce	72-73
6448 सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का असंतोषजनक कार्य	Poor performance of public sector Industries	73-74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
6449 ढलाई उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity of foundry Industry	74
6450 तांदूर स्टेशन पर आक्रमण	Attack on Tandur Station	74-75
6451 बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना	Delicencing of Basic Consumer Industries	75
6452 कलेक्टिव फार्मस एण्ड फोरेस्ट्स कम्पनी खेड़ी, लखीमपुर (उत्तर प्रदेश)	The Collective Farms and Forests Company, Kheri Lakhimpur (U.P.)	75-76
6453 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए गोआ सरकार द्वारा भेजी गई मकान निर्माण योजना	Housing Scheme for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes sent by Goa Government	76
6454 अहमदाबाद-आबु रोड रेल सेवा को मारवाड़ जंक्शन तक बढ़ाना	Extension of Ahmedabad Abu Road Train service upto Marwar Jn.	76-77
6455 फालना और रानी स्टेशनों पर ऊपर के पुल	Overhead Bridges at Falna and Rani Stations	77
6456 मध्य प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को केन्द्रीय सरकार के अनुदान	Central Grants to Madhya Pradesh Social Welfare Department	77-78
6457 त्रिपुरा में बनों पर आधारित उद्योग	Forest based industries in Tripura	78
6458 त्रिपुरा में रेलवे लाइनों का विस्तार	Extension of Railway lines in Tripura	78-79
6459 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की उत्पादन दर में कमी	Fall in Rate of Production of Heavy Engineering Corporation	79
6460 राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में मिलने वाले भोजन का स्तर	Quality of Food served in the Rajdhani Express	79 80
6461 कमर्शियल क्लर्क	Commercial Clerks	80
6462 उत्तर रेलवे ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में प्रश्न-पत्रों का पहले पता लग जाना	Leakage of question papers at Northern Railway Oak Grove School Jharipani	80-81
6463 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	Hindustan Cables Ltd.	81
6464 गुन्टाकल से मचेरला तक बड़ी लाइन	B. G. Line from Guntakal to Macherla	81-82
6465 आन्ध्र प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor plant in Andhra Pradesh	82-83
6466 रेलवे में आशुलिपिकों का चयन	Selection of stenographers on Railways	83
6467 उत्तर रेलवे के आशुलिपिक	Stenographers on Northern Railway	83-84

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/PAges
6468	माहनार रोड स्टेशन पर प्रतीक्षालय	Waiting Room at Mal nar Road Station	84
6469	भगवानपुर स्टेशन के निकट रेलवे फाटक तक सम्पर्क सड़क	Approach Road to Railway Level Crossing near Bhagwanpur Station	84-85
6470	स्टेशनों पर माल उतारने, चढ़ाने व रखने के ठेके	Goods Handling Contracts at Stations	85
6471	रेलवे में वरिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारियों के लिए आशुलिपिक	Stenographers for Senior Scale Officers on the Railways	85-86
6472	कारों के शीशों की किस्म में गिरावट	Deterioration of quality of Glasses of Cars	86
6474	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कार्य संचालन के बारे में जाँच	Enquiry into the working of the British India Corporation	86-87
6475	बीकानेर डिवीजन में असिस्टेंट पर्सनल इन्सपेक्टर	A. P. Is in Bikaner Division	87
6476	रेलवे अधिकारियों द्वारा आयातित प्लेट-प्यालों आदि का उपयोग	Use of Imported Crockery by Railway Officers	87-88
6477	चुनाव याचिकाओं के निपटाने के लिए समय सीमा	Time Limit for Disposal of Election Petitions	88
6478	राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in States	88-89
6479	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में घड़ियों का उत्पादन	Production of watches in Hindustan Machine Tools, Bangalore	89
6480	उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in U. P. and Andhra Pradesh	89-90
6481	क्यूल (पूर्वी रेलवे) के निकट 39 अप अपर इंडिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of 39 UP Upper India Express near Kiul (Eastern Railway)	90
6482	रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गोलीकांड	Firings by Railway Protection Force	90-91
6483	रेलवे यात्रियों से तीर्थयात्रा कर	Pilgrims Tax from Railway Passengers	91
6484	पूर्वी राजस्थान में रेल परियोजनायें	Railway Projects in East Rajasthan	91-92
6485	राज्य विधियों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of State Laws into Hindi	92
6486	डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, नई दिल्ली के रेलवे एक्सचेंज में हैडगीयर टेलीफोन	Head Gear Telephones in D. S. Office New Delhi Railway Exchange	92-93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. Q. Nos.		
6488 रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway Property	93
6489 रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का चोरी में हाथ	Involvement of Railway Protection Force personnel in thefts	93-94
6490 औद्योगिक बस्तियों के उत्पादन	Production in the Industrial Estates	94
6492 रूई का व्यापार	Cotton Trade	94
6493 कन्नौज के निकट कूडापुर में रेलवे क्लर्क की हत्या	Murder of Railway Clerk of Kudapur near Kanauj	94-95
6494 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा घटिया किस्म के शहद की बिक्री	Sale of Inferior Quality Honey in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	95
6495 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and village Industries Commission	95-96
6496 गांधीजी की जन्म शताब्दी के संबंध में खादी प्रदर्शनी	Khadi Exhibition in connection with Gandhi Ji's Birth Centenary	96
6498 आस्ट्रेलिया से मोटर गाड़ी बनाने का कारखाना	Automobile Plant from Australia	96-97
6499 इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा में नियुक्तियां	Appointments in Instrumentation Ltd., Kota	97
6500 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा का निदेशक मंडल	Board of Directors of the Instrumentation Ltd., Kota	97-98
6501 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to employees of Instrumentation Ltd., Kota	98
6502 मध्य रेलवे में कल्याण स्टेशन पर एक अन्य प्लेटफार्म	Additional Platform at Kalyan Station on the Central Railway	98
6503 लोनावला-पूना लाइन (मध्य रेलवे) पर लूप लाइन का विस्तार	Extension of Loop Line on Lonavla Poona line (Central Rly.)	98-99
6504 बम्बई उपनगर यातायात की व्यवस्था	Suburban Transport arrangements in Bombay	99
6506 साउथ इण्डिया वाईकोस कम्पनी, तमिलनाडु द्वारा लाभांश का भुगतान	Payment of dividend by South India Viscose Company, Tamilnadu	99-100
6507 पश्चिम रेलवे में नई सवारी गाड़ियां चलाना	Introduction of New Passenger Trains on the Western Railway	100-101
6508 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	Instrumentations Ltd. Kota	101

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6509	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में उत्पादन	Production of Instrumentation Limited Kota	101-102
6510	सिलीगुड़ी से गोट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक टैंक बैगन का भरा जाना और भेजा जाना	Loading and Despatch of Tank Wagon ex. Silliguri to Got (N. E. Rly)	102-103
6511	दिल्ली और आगरा में फर्मों पर छापे	Raid on Firms in Delhi and Agra	103
6512	पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए लाइसेंस	Licences for Industries in West Bengal	103-104
6513	पश्चिम बंगाल में नये उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र	Applications for Setting up of New Industries in West Bengal	104
6514	कमानी मेटल एण्ड एलायेज लिमिटेड बम्बई को लाइसेंस	Licence to Kamani Metal and Alloys Ltd. Bombay	104
6515	कुछ समवायों के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and Shareholders of certain companies	104-105
6516	ढले इस्पात के डिब्बों का आयात	Import of cast steel bogies	105
6517	पश्चिम जर्मन रेलवे के साथ माल डिब्बों के बारे में करार	Agreement with West German Railway regarding Wagons	105
6518	जोधपुर मेल रेलगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of Jodhpur Mail	105-106
6519	इस्पात की उपलब्धि	Availability of Steel	106
6520	समस्तीपुर वर्कशाप (पूर्वोत्तर रेलवे) में एक खलासी की मृत्यु	Death of A Khalasi in Samastipur Workshop (North Eastern Rly.)	106-107
6521	वर्धा में इस्पात ढालने का कारखाना	Steel Casting Plant at Wardha	107
6522	नैनी में इस्पात ढलाई कारखाना	Steel Casting Plant at Naini	107
6523	जामिया उस्मानिया स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में छात्रों द्वारा आग लगाई जाना	Setting Fire by Students to A. S. M's Room in Jamia Osmania Station	108
6524	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्र-वृत्तियां देने के लिए दिल्ली पौलिटैक-निक को धन का नियतन	Allocation to Delhi Polytechnics of Scholarship to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Students	108-109
6525	विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाना	Experts from Foreign Countries	109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
6526 जर्मनी से विद्युत-चालित आरा मशीनों का आयात	Import of Electric Saw Machines from Germany	109-110
6527 दक्षिण मध्य रेलवे के विरुद्ध डिग्री	Decree against South Central Railway	110
6528 नई दिल्ली स्टेशन पर माल डिब्बों से माल उतारना	Unloading of Wagons at New Delhi Station	110-111
6529 लाटूर-लाटूर रोड (दक्षिण मध्य रेलवे) रेलवे लाइन	Railway line on Latur Latur Road (South Central Railway)	111-112
6530 मिराज-लाटूर छोटी लाइन को मीटरगेज लाइन बनाना	Conversion of Miraj Latur N. G. Line into Metre Gauge	112
6531 कुछ फर्मों को लाइसेंस	Licences to certain firms	112
6532 खादी के उत्पादन में कमी	Fall in production of Khadi	112-113
6533 चौथी परियोजना में अधिक यात्री सुविधायें	More passenger amenities during Fourth Plan	113
6534 बेनामी अंशधारी	Benami Shareholders	113-114
6535 चौथी योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग	Khadi and Village Industries in Fourth Plan	114
6536 अमरीका को इस्पात और हैवी इंजीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात	Export of Steel and Heavy Engineering Goods to USA	114-115
6537 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दण्ड	Capital punishment for violation of untouchability Law	115
6538 उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in U. P.	115
6539 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से माल की चोरी	Pilferage of material from Hindustan Steel Ltd.	116
6540 मुरादाबाद में रेलगाड़ी का विलम्ब से आना	Late arrival of train at Moradabad	116-117
सभा में प्रक्रिया के बारे में	Re. Procedure in the House	117-118
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	118
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	119
सिफारिशों सम्बन्धी उत्तरों के बारे में विवरण	Statement re. replies to Recommendations	
लोक लेखा समिति	Pubiic Accounts Committee	119
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	Forty fifth Report	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on public undertakings	
इकतीसवां प्रतिवेदन	Thirty-first Report	119
संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में नियम 338 के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. suspension of Rule 338 in respect of Constitution (Twenty-second Amendment) Bill	119-120
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	
संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-second Amendment) Bill	120-135
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	
श्री स्वैल	Shri Swell	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री वि० कृष्ण दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
1969-70 के विपणन मौसम में रबी अनाजों की मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य	Statement re. price policy for Rabi Cereals for 1969-70 marketing season	135
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	135-154
समाज कल्याण विभाग	Department of social welfare	

विषय	Subject
श्री सिद्दया	Shri Siddayya
श्री रामसिंह अयरवाल	Shri Ram Singh Ayarwal
श्रीमती रजनी देवी	Shrimati Rajni Devi
श्री कं० हाल्दर	Shri K. Halder
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari
श्री क० लकप्पा	Shari K. Lakkappa
श्री मंगरू उइके	Shri M. G. Uikey
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram
श्री द० रा० परमार	Shri D. R. Parmar
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao
श्री आत्म दास	Shri Atam Das
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon
श्री शिंकरे	Shri Shinkre
श्री सोम चन्द सोलंकी	Shri S. M. Solanki
श्री बैं० ना० कुरील	Shri B. N. Kureel

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 15 अप्रैल, 1969, 25 चैत्र, 1891 (शक)

Tuesday, April 15, 1969, Chaitra 25, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पिछड़े वर्गों को सुविधाएं

-|-

*1081. **श्री मोलहू प्रसाद :** **श्री राम चरण :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्ग जिन सुविधाओं को पाने के हकदार हैं, वे सुविधाएँ आजकल उन्हें आय के आधार पर नहीं दी जा रहीं ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं कि इस कारण अधिकांश लाभ केवल सवर्ण हिन्दुओं को ही मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ये सुविधाएँ केवल पिछड़े वर्गों के लोगों को ही उपलब्ध की जायें, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Molahu Prashad : The hon. Minister has replied to parts (a) (b) and (c) in the negative. May I know the number and percentage of the people so far emancipated from social injustice and exploitation ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : मुझे खेद है मैं प्रतिशत सम्बन्धी जानकारी नहीं दे सकती । किन्तु मैं सभा को बता सकती हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 46 में निहित निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सुविधाएँ जाति तथा समुदाय के आधार पर दी जाती हैं ।

Shri Molahu Prasad: I have asked what percentage of people have been emancipated from social injustice and given financial assistance.

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह एक बहुत ही अनिश्चित सा प्रश्न है कि पिछड़ी जातियों के कितने प्रतिशत लोगों को घोषणा से मुक्त कराया जा चुका है । मैं नहीं समझता ऐसे प्रश्न का उत्तर देना संभव है ।

Shri Molahu Prashad : It is strange that the ministry does not know the number of persons of backward classes who have been given these facilities while they are able to find out the underground rodents. May I know the time by which the minimum basic facilities will be ensured for the people belonging to the backward communities under article 46 of the Constitution ?

श्री गोविन्द मेनन : पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में मूल अधिकारों सम्बन्धी अध्याय में एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारें कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में अनुसूची में रख सकती हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उनमें से केवल अधिक निर्धन लोगों को ही ये सुविधाएँ दी जाती हैं और ये सुविधाएँ पिछले कई वर्षों से दी जा रही हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम चाहते हैं, कि पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन यथा संभव शीघ्र समाप्त हो जाये ।

Shri Abdul Ghani Dar : Are Government aware that not even 50 percent of the backward classes have been able to get their share in the central services whether they are minority communities or Scheduled castes or the Harijans ?

श्री गोविन्द मेनन : यह प्रश्न कि कितने प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियों से सम्बन्ध रखते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि, पिछड़ी जातियों में कौन-कौन लोग हैं । विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न जातियों को पिछड़ी जातियों में रखा है । यह एक विवादास्पद विषय है, किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, जाति के आधार पर इसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को ही दी जाती हैं । जहां तक अन्य जातियों का सम्बन्ध है, ये सुविधाएँ उनकी आर्थिक दशा पर निर्भर करती हैं ।

यह सच है कि जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व, जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता के जितना नहीं है । किन्तु वर्षानुवर्ष यह अन्तर कम होता जा रहा है ।

Shri Ram Singh Ayarwal : What is the percentage of the people belonging to the Backward Classes according to the report of the Backward Classes Commission ?

श्री गोविन्द मेनन : पिछड़ी जातियों की प्रतिशतता पिछड़ी जातियों की परिभाषा पर निर्भर करेगी। बिना पूर्व सूचना के मैं यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ।

अस्पृश्यता संबंधी समिति के सभापति का वक्तव्य

*1082. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के सभापति के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 31 दिसम्बर, 1968 को 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, गुजरात और मद्रास राज्य की सरकारों के साथ उन राज्यों में प्रचलित छूआछूत की प्रथा के बारे में पत्र व्यवहार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) ऐसी रिपोर्ट टाइम्स आफ इण्डिया में छपी है।

(ख) तथा (ग) : उस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों को सम्बोधन किया गया है। मध्य प्रदेश तथा गुजरात सरकारों ने उन आरोपों का खण्डन किया है, पर मद्रास सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Yagya Datt Sharma : The Perumal Committee Report which was laid on the Table a few days back, contained a note of dissent by Shri Achutan. It is surprising that the note of dissent of Shri Achutan had been published in the March issue of "Yojna" which is a Government paper while the report was presented in April. Why this dissent note was published separately ? Is it not a fact that pressure was put on Shri Achutan to append a note of dissent and Shri Sundram, the Director of Welfare Commission was used for this purpose ? Hon. Shri Menon is also involved in this. I do not know but the story of donating rupees one lakh for a school of Shri Achutan is also connected with this. Will the hon. Minister throw light on all these things and tell why the dissenting note was published separately ?

श्री गोविन्द मेनन . 'योजना' में प्रकाशित लेख श्री अच्युतन का विमति टिप्पण नहीं है। विमति टिप्पण समिति के सभापति को सौंपा गया था। उनका विचार था कि इसको शामिल नहीं करना चाहिये। हमनें इसको सम्बन्धित पत्रों में शामिल किया है। जहाँ तक दबाव डालने और 1 लाख रु० देने का सम्बन्ध है, हम इससे इन्कार करते हैं।

Shri Yajna Datt Sharma : The Committee had refused to append the dissenting note, because the main report had already been signed by Shri Achutan. My submission is that the purpose of the note was already included in the report and this is only a case of twisting of facts. It has been given the form of an article and certain other things have been added to it and published in "Yojna". This was published in March. This is a wrong practice.

श्री गोविन्द मेनन : योजना में प्रकाशित लेख से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसको आम लोगों से लेख प्राप्त होते हैं। श्री अच्युतन ने उस लेख में कुछ विषयों पर अपने विचार दिये हैं। कुछ कारणों से, जो मेरी या विभाग की समझ में नहीं आ सके, विमति टिप्पण को मुख्य प्रतिवेदन के साथ नहीं जोड़ा गया है। हमें विमति टिप्पण की एक प्रति प्राप्त हुई थी जो सभा पटल पर रखी गई।

Shri Nathu Ram Ahirwar : May I know whether it is a fact that the Committee has mentioned in its report that the Gram Panchayat of a village, which was inaugurated by Mahatma Gandhi, has proclaimed that no Harijan can cross tue field of a non-Harijan and that a Harijan woman fined Rs. 100 for violating this rule ; if so, whether Government has given thought to this ?

श्री गोविन्द मेनन : प्रतिवेदन में दिये गये आरोपों और सुझावों की जांच की जा रही है और उन पर कार्यवाही की जायेगी। संसद सदस्य समाज कल्याण विभाग की मांगों पर चर्चा में भाग ले सकें, इसलिये हमने इसको छापा है और एक या दो दिन पहले सभापटल पर रखा है।

Swami Brahmanandji : There is no mention in our scriptures of the untouchability. Hindu culture has never accepted untouchability. Our government is also not doing something in this direction. When Harijans get field, then Government do not protect these and people of other castes do not allow them to plough those fields. The proper way combating untouchability is that the Brahmin ministers should keep Harijan Cooks.

Shri Kanwar Lal Gupta : He has not replied the question. Please ask the minister to give answer.

श्री म० ला० सोंधी : हरिजन बस्तियों की हाल अमानवीय है। इस मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिये। (अन्तर्बाधा)

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उनको मंत्रियों का अनुभव नहीं है। वह कुछ समय के लिये वैदेशिक कार्यालय में थे। वह मंत्रियों के बारे में कुछ नहीं जानते। (व्यवधान)

विधियों का अनुवाद

+

*1083. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विधियों का पाठ देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है और इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ख) इस दिशा में राज्यों से क्या सहायता या सहयोग प्राप्त होने की आशा की जाती है और राज्य वस्तुतः कितना सहयोग दे रहे हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) :

(क) (एक) हिन्दी तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमितियों के पाठों के प्रकाशन के कार्य की प्रगति दर्शित करने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं (उपाबन्ध 'क' और 'ख')।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी-763/69]

(दो) केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में आशा की जाती है कि यह कार्य लगभग पांच वर्ष में पूरा हो जायगा। किन्तु अभी यह बताना कठिन है कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद कब तक तैयार हो जाएंगे।

(ख) आशा इस बात की है कि केन्द्रीय अधिनियमों का संबद्ध प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए समुचित अभिकरणों द्वारा किया जाएगा। उन राज्य सरकारों के नाम दर्शित करने वाला एक विवरण जिन्होंने अपनी-अपनी प्रादे-

शिक भाषाओं में विधियों के अनुवाद के लिए राजभाषा (विधायी) आयोग अथवा उससे मिलते-जुलते अभिकरण नियुक्त किए है सदन के पटल पर रख दिया गया है। (उपाबन्ध'ग')। हिन्दी में अनुवाद का कार्य प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा किया जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-763/69]

श्री स० चं० सामन्त : सभी राज्यों में 'उचित अभिकरण' कौन सा है? क्या यह सभी जगह समान है अथवा दर्जे में कोई अन्तर है? जबकि कुछ राज्यों में राज भाषा आयोग काम कर रहा है, कुछ अन्य राज्यों में अन्य संगठन काम कर रहे हैं।

श्री मु० यूनस सलीम : केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न अभिकरण बनाये गये हैं और वे राजभाषा आयोग द्वारा स्वीकृत शब्दावलि के अनुसार आयोग के निर्देशन में काम कर रहे हैं। राजभाषा आयोग के अधीन काम करने वाले सभी अभिकरणों के लिये वह शब्दावलि स्वीकार करना आवश्यक है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या भिन्न-भिन्न अभिकरणों द्वारा प्रत्येक राज्य में प्रयोग की जाने वाली कानूनी शब्दावलि समान होगी?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : जी नहीं। केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद का उत्तरदायित्व का राज्य सरकार को प्रत्यायोजन कर दिया गया है ताकि वे उचित अभिकरण बना सकें। कुछ राज्य सरकारों ने राजभाषा आयोग नियुक्त किये हैं, कुछ अपने विधि विभाग के जरिये यह काम करा रहे हैं और कुछ ने समितियां नियुक्त की हैं। यह निर्णय करना राज्य सरकार की मर्जी पर है कि कौन सा अभिकरण बनाया जाये। इसलिये हमने जानबूझ कर "उचित अभिकरण" शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दावलि के बारे में मूल विचार यह था कि भारत में सभी भाषाओं के लिये एक समान शब्दावलि हो। बाद में यह महसूस किया गया कि सभी राज्यों के लिये एक समान शब्दावलि रखना न तो संभव है, न व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है। इसलिये प्रत्येक राज्य को वहां पर स्थापित किये गये अभिकरण के स्वविवेक के अनुसार उचित शब्दावलि अपना कर अपनी भाषा में केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने की छूट दी गई है।

Shri Yashpal Singh : What are the qualifications laid down for these Translators, what is the criterion to ensure proper translation? The translations being done are basically wrong. Deputy Director, Education has been translated as "**Up Shiksha Nideshak**, whereas it should have been '**Shiksha-up-Nideshak**'. Unlike English our language is not based on idioms. Our language is based on grammar and logic and unless there is parallel translation how can we take it as authentic? Some 150 of the words so far translated are hundred percent wrong. What steps have been taken by Government to check such mistakes?

Shri M. Yunus Saleem : Sir, we try to find out a member well conversant with the particular language, who should be of the status of a High Court Judge or if a person of the status of a High Court Judge is not available, he should at least be a District Judge or he should have sufficient legal practice so that he may understand very well the legal terminology and he should be well conversant in the particular language. Certain translations might not have been liked by the hon. Member but by and large it has been our attempt to bring out standard translations, which conform to the standards set by the Language Commission.

Shri Vishwa Nath Pandey : There are two parts of the reply given by the hon. Minister. One is that the Central and State Acts would be translated into Hindi and the second is that these would be translated into the regional languages. May I know in this

connection whether the financial assistance provided by the Central Government is inadequate as a result of which there is very slow progress in this behalf and it appears impossible to complete the translations by the Central Government or the State Government within the stipulated period of five years ? May I know the amonnt of assistance provided for the purpose to complete **this work as early as possible ?**

Shri M. Yunus Saleem : Sir, it is not correct to say that the provision of financial aid by the Central Government is inadequate. As soon as such an agency is created in a state for translation work, we ask them to submit their requirements. Whatever requirements are sent to us, we accept them after discussing them mutually. So, there is no non-cocperation from our side.

डा० रानेन सेन : इस प्रश्न में बार-बार प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वास्तव में हमारी सभी भारतीय भाषायें राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसलिये यह शुद्धि करने की आवश्यकता है, प्रत्येक राज्य में भाषाओं के विकास के लिये प्रत्येक राज्य को सहायता देने के बारे में क्या स्थिति है ताकि राज्य अपने आप कानूनों, आदेशों आदि का अनुवाद करा सकें? अपनी भाषाओं के विकास में राज्य सरकारों की सहायता करने के सम्बन्ध में सरकार ने कितनी प्रगति की है ?

श्री मु० यूनस सलीम : किसी प्रादेशिक भाषा के विकास का प्रश्न राज भाषा आयोग के विषय-क्षेत्र में नहीं है। राज्यभाषा आयोग का काम सभी केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराना और प्रादेशिक भाषाओं में सभी अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कराना है। राजभाषा आयोग का यह सीमित कार्य है, प्रादेशिक भाषाओं का विकास राज्य सरकारों का विषय-क्षेत्र है। यह देखना उनका काम है कि प्रादेशिक भाषाओं का किस प्रकार विकास हो ।

डा० रानेन सेन : मुझे पुनः 'प्रादेशिक भाषा' शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति है। उन्होंने ये शब्द कहां से लिये हैं? सभी भारतीय भाषायें हैं।

श्री गोविन्द मेनन : वे सभी विभिन्न प्रदेशों में प्रयोग की जाने वाली भारतीय भाषायें हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जब केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का अनुवाद हो जायेगा, तो मुवक्किल वकीलों से अधिक समझदार हो जायेंगे और इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या बढ़ जायेगी। क्या अनुवाद कार्य में विलम्ब करने का यह भी एक कारण है ?

श्री मु० यूनस सलीम : यह सोचना गलत है। इसके विपरीत हमारा इरादा तो है कि आम जनता को अनुवाद उपलब्ध हो और वे समझ सकें कि क्या विधान बनाये गये हैं और प्रादेशिक अधिनियमों में प्रयोग किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या शब्दावली अपनाई गई है।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, there is a lengthy list of Acts given here, which have been translated. May I know whether our constitution has been translated into all the 14-15 national languages ? There is no mention about it in the List.

Shri M. Yunus Saleem : The constitution has been translated into Hindi and it is going to be published. Thereafter, we will take up translation of constitution in other languages.

Resolution of All India Congress Committee on Prohibition

*1034. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the action which Government propose to take consequent upon the All India Congress Committee having passed a Resolution in December 1968 to the effect that during

the seven years beginning from the 2nd October, 1969, the policy of prohibition should be fully implemented ; and

(b) the reactions of the various State Governments thereto ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) :

(क) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, जिस की नवम्बर, 1968 में गोआ में बैठक हुई थी, मद्यनिषेध को जारी करने के लिए सात वर्षीय क्रमिक कार्यक्रम की सिफारिश की थी। इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस विषय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने का प्रस्ताव है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Sir, since Government have adopted the policy of total prohibition, may we expect that Government will issue orders that liquor is not to be served at State Banquets and neither ministers nor Government officers will take liquor and every year all the ministers will visit the Samadhi of Gandhiji on 2nd October on the eve of **Gandhi Jayanti** and take a Pledge not to consume wine ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जहाँ तक मुझे ज्ञात है, सरकारी पार्टियों में शराब नहीं पिलाई जाती है। दूसरे प्रश्न के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : He has not replied to the question about taking a pledge at the **Samadhi** of Gandhiji.

श्री गोविन्द मेनन : चलिये कल हम दोनों चलते हैं।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know the foreign exchange being spent on the import of liquor from abroad and whether Government will issue a rule that no one except the foreign missions will not be allowed to import foreign liquor ? Do Government propose simultaneously to enforce partial prohibition in the Army ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह तो कार्यवाही करने का सुझाव है। आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के आँकड़े मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए उन्हें पूर्व सूचना चाहिये।

श्री मनुभाई पटेल : यह स्पष्ट कहा गया है और गोआ संकल्प द्वारा एक आदेश दिया गया है कि राज्यों में कांग्रेसी सरकारें सात वर्षों में चरणबद्ध कार्यक्रम को पूरा करने के लिये 2 अक्टूबर से मद्य-निषेध लागू करेंगी और 2 अक्टूबर से आरम्भ होने वाला यह चरणबद्ध कार्यक्रम मुख्य मंत्रियों के परामर्श से तैयार किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है क्योंकि 2 अक्टूबर की तारीख निकट आती जा रही है। जहाँ तक राज्यों का सम्बन्ध है, मुख्य मंत्रियों से परामर्श की बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन संघ राज्यक्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है, जो सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। वहाँ पर 2 अक्टूबर से मद्य-निषेध लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यह एक आदेश है कि कोई भी कांग्रेसी मद्य-निषेध के विरुद्ध नहीं बोलेगा। एक समाचार है कि मुख्य मंत्री अब इसमें परिवर्तन करने की वकालत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : समाज कल्याण विभाग की ओर से मैं कह सकता हूँ कि हमने मद्य-निषेध के बारे में एक टिप्पण तैयार किया है, जो मुख्य मंत्रियों को भेजा जायेगा। हम मुख्य मंत्रियों को सुझाव देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि मुख्य मंत्री गोआ में स्वीकार किये गये संकल्प से विमुख हो रहे हैं तो यह विभाग इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है।

श्री मनुभाई पटेल : संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है, वे सीधे आपके अधीन हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में भी अनेक में सरकारें हैं जो प्रतिदिन लगभग राज्य सरकारों के समान ही होती जा रही हैं......

श्री मनुभाई पटेल : यह तो उत्तरदायित्व से बचना हुआ ।

श्री गोविन्द मेनन : उदाहरण के लिये यदि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की चुनी हुई सरकार मद्य-निषेध लागू करना चाहती है, तो समाज कल्याण विभाग उस निर्णय का अधिकतम समर्थन करेगा ।

श्री स्वैल : देश में कोई भी गंभीरता से विश्वास नहीं करता कि कांग्रेसी सरकार मद्य-निषेध सम्बन्धी इस संकल्प को क्रियान्वित करेगी और मद्य-निषेध कानून, जिस प्रकार वे अब क्रियान्वित किये जाते हैं, एक अपमान जनक तमाशा बन गये हैं । यदि कोई बढ़िया होटल में जाता है, तो वहाँ पर एक मेज पर कुछ विदेशियों को शराब पीते हुए जीवन का आनन्द लेते हुए देखता है, और दूसरी मेज पर बैठे भारतीयों को शराब पीने की अनुमति नहीं होती और वे ईर्षा और राष्ट्रीय अपमान की भावना से देखते रहते हैं । मैं मद्य-निषेध के पक्ष में हूँ । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार के राष्ट्रीय अपमान को इसका मूल्य समझती है, जो इस मद्य-निषेध की धुन के लिये राष्ट्र को देना पड़ता है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं नहीं समझता कि शराब न पीना अपमान जनक है, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूँ ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि वित्त मंत्री ने किसी राज्य सरकार द्वारा मद्य-निषेध लागू करने पर 50 प्रतिशत सहायता देने की बात कही थी और ऐसे राज्यों ने, जो पहले ही मद्य-निषेध लागू कर चुके थे, 2 अक्टूबर से पुनः मद्य-निषेध लागू करने के उद्देश्य से मद्य-निषेध समाप्त कर दिया है ताकि वे इस 50 प्रतिशत सहायता का लाभ उठा सकें ?

एक अन्य बात है कि यहां एक अफवाह चल रही है कि एक मंत्री विएना गये और उन्होंने इतनी अधिक शराब पीली कि उन्होंने वहाँ पर एक तमाशा कर दिया । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वे मंत्री कौन थे ?

श्री गोविंद मेनन : वित्त मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के बारे में, कि उन राज्यों को ही सहायता मिलेगी जो हाल में मद्य-निषेध लागू करते हैं, यदि कहीं पर विद्यमान मद्य-निषेध को समाप्त करके पुनः मद्य-निषेध लागू किया जाता है, तो वित्त मंत्री द्वारा की गई पेशकश की शर्तों के अनुसार कोई सहायता नहीं दी जायेगी । विएना सम्बन्धी प्रश्न के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में पूसा रोड के निकट स्प्रिंगडेल्स स्कूल के सामने, जहाँ 16-17 वर्ष की आयु के लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं, और रवीन्द्र रंगशाला के निकट शराब की एक दुकान खोली गई है और एक पक्की दुकान बनाई जा रही है ? यद्यपि दिल्ली प्रशासन के साथ इस मामले को उठाया गया था और मुख्य कार्यकारी परिषद् ने आश्वासन दिया था कि वे उस दुकान को हटवा देंगे, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात की ओर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती कुमार द्वारा उनका और उनके साथियों, गृह मंत्री और प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया गया था और यह प्रार्थना

की गई थी कि इसे हटाया जाये और यदि हाँ, तो माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या वे स्वयं वहां जायेंगे और देखेंगे कि विद्यार्थियों को क्या नुक्सान पहुँचाया जाने वाला है ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे मालूम हुआ है कि इसे हटाया जा रहा है ।

श्री म० ला० सोंधी : इसे गलत दिशा में हटाया जा रहा है; इसे रवीन्द्र रंगशाला के पास लाया जा रहा है ।

श्री गोविंद मेनन : मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है ।

Shri Sheo Narain : It is not proper to shift it from one locality to another. It should not be located in the vicinity of educational institutions. It should be shifted from there.

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister just now said that they can only request the Chief Ministers to introduce prohibition I want to know specifically from the hon. Minister if the social welfare Department is separate from Government of India. That is the impression given by him. It is a constitutional issue, let him clarify it.

Secondly may I know the names of State Governments which have demanded certain sums every year for introducing prohibition ? Is it a fact that Madras Government has demanded a sum of Rs. 30 crores from Government of India ; if so, what is the reaction of Government ?

श्री गोविन्द मेनन : समाज कल्याण विभाग का उल्लेख करते समय मेरा तात्पर्य भारत सरकार से था । जो मामला राज्य सरकार की सूची के अन्तर्गत आता है उसके बारे में भारत सरकार उस राज्य के मुख्य मंत्री को केवल सुझाव ही दे सकती है । राजस्थान सरकार ने उप-प्रधान मंत्री की पेशकश को स्वीकार भी कर लिया है । सुना है कि मद्रास सरकार ने कुछ सहायता मांगी है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, although the All India Congress Committe have adopted a motion in order to execute policy of prohibition yet the Congress Government can not be said to be quite serious in this matter. I want to submit that even according to a conservative estimate 33 per cent of the Ministers consume liquor. (Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके उत्तर में मैं कह सकता हूँ कि जन संघ के 50 प्रतिशत नेतागण शराब पीते हैं ? इस प्रकार के व्यर्थ के आरोप लगाने से क्या लाभ है ? यदि वे भी इस प्रकार कहने लगें तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा ? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने उन्हें पीते देखा हो । इस प्रकार परस्पर छींटा कशी करने से कोई लाभ नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question is whether the hon. Minister will ensure the House that no minister will attend any party where liquor is to be served . . . (Interruptions).

श्री जयपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय ! मैं मद्य-निषेध का पूर्ण विरोधी रहा हूँ । आदिवासी किसी भी परिस्थिति में मद्यनिषेध को स्वीकार नहीं कर सकते । इसका कारण यह है कि मद्य-निषेध का वास्तविक अर्थ नहीं समझा गया है । मद्य-निषेध से केवल बीयर व्हिस्की, रम या जिन जैसी शराबों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने से ही तात्पर्य नहीं है । संथालों के लिये चावल की शराब एक प्रमुख पेय है जिसका उपयोग ये लोग जन्म, मरण तथा वैवाहिक अवसरों पर भी करते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मद्यनिषेध में विश्वास न रखने वाले व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा अच्छे राष्ट्रीय-एकतावादी नहीं होते । (**अन्तर्बाधाएँ**)

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी अपनी धारणा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रश्न गोआ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित संकल्प से सम्बन्धित है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसके अन्तर्गत मद्य-निषेध के लिये सात वर्षीय योजना बद्ध कार्य-क्रम का उल्लेख किया गया है। क्या 7 वर्ष के लिये कोई और भी योजना बद्ध कार्यक्रम है ? क्योंकि इस मामले में यह तर्क दिया जाता है कि इसको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है ? क्या राज्य सरकारों से इस बारे में विचार विमर्श कर लिया गया है ?

श्री गोविन्द मेनन : मद्य-निषेध पर अगले सप्ताह मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए एक टिप्पणी तैयार की गई है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मद्यनिषेध पर बल देने वालों को सम्भवतः यह ज्ञात नहीं है कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता। इससे तो अवैध रूप से शराब बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

जो मुख्य मंत्री मद्यनिषेध का विरोध करते हैं उनका विचार है कि मद्यनिषेध कानून का सहारा लेने से नहीं अपितु लोगों को समझाने बुझाने से किया जा सकता है। सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसे मुख्य मंत्री अपनी कोई भी धारणा बनाए रखने में स्वतन्त्र हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि राज भवनों में भारी मात्रा में विदेशी मदिरा का कर-मुक्त आयात होता है ? और यदि हाँ, तो उनकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ? क्या उनको यह भी ज्ञात है कि डायर मीकिन ब्रैवरीज नामक उत्तर भारत के प्रसिद्ध मदिरा उत्पादक कारखाने से पिछले चुनावों के लिए कांग्रेस दल को 5 लाख रुपयों का चँदा मिला था ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे माननीय सदस्य के किसी भी तथ्य या आरोपों का ज्ञान नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं ?

श्री सोनावने : क्या सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया जाएगा ? क्या राज्य सरकारों को इसके परिणाम स्वरूप राजस्व में होने वाले घाटे को केन्द्र सरकार पूरा करेगी तथा क्या सरकार ने इस बात पर विचार करके कोई योजना बनाई है ?

श्री गोविन्द मेनन : इन मामलों पर अभी मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करना है।

श्री जी भा० कृपालानी : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि हमारे लोगों का विदेशों में सत्कार किया जाता है तो वे खुलकर मदिरा पान करते हैं तथा कभी-कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि उनको उस स्थान से उठा कर ले जाना पड़ता है ? किन्तु जब हम विदेशियों का सत्कार करते हैं तो उन्हें मदिरा पान नहीं कराते। क्या यह उपयुक्त है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि हमारे संविधान में स्थापित राज्यनीति के निदेशक तत्वों से इस मद्यनिषेध कार्यक्रम को रद्द करने का समय नहीं है ? डांवाडोल परिस्थिति में रहने से इस मामले में स्पष्ट वादी होना कहीं अच्छा है।

श्री गोविन्द मेनन : आचार्य जी द्वारा प्रतिपादित धारणा को मानने वाले बहुत से व्यक्तियों से मेरी भेंट हुई है।

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि बहुत से अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति विदेशी दूतावासों में भोज के लिये जाते हैं तो खुलकर मदिरा पान करते हैं ? क्या उन्हें इस तथ्य की सूचना मिली है अथवा नहीं ? यदि उन्हें ज्ञात नहीं है तो वह अवश्य ही तथ्यों को भूल जाते हैं ।

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में स्थायी रूप से संसाधनों की कमी है जिसके कारण केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकार देश वासियों को जीवन की मूल आवश्यकताएँ उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं अतः क्या भारत सरकार एक आयोग नियुक्त करेगी कि जो राज्य राजस्व में होने वाले वार्षिक घाटे का अनुमान लगाए तथा जो शराब से पड़ने वाले कुप्रभाव और अवैध शराब बनाने से सम्बन्धित संकार्यों की सीमा का भी अनुमान लगाए ? यह आयोग मद्यनिषेध की अदूरदर्शी नीति के स्थान पर कोई शिक्षात्मक कार्यक्रम तैयार करे ।

श्री गोविन्द मेनन : यह कार्यवाई के लिए सुझाव है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अवगत है जिसमें 7 वर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने को कहा गया है, और यदि हाँ तो क्या केन्द्र सरकार उन सभी राज्यों को जो उत्तर प्रदेश का अनुसरण करना चाहें सहायता प्रदान करेगी क्योंकि मद्यनिषेध के कारण उन राज्यों के राजस्व में घाटा आएगा ?

श्री गोविन्द मेनन : इस प्रश्न पर तभी विचार हो सकता है जब यह उठाया जाएगा ।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या यह सच है कि हाल ही में हुए पांडिचेरी विधान सभा के चुनावों के अन्तर्गत कुछ काँग्रेसी उम्मीदवारों की ताड़ी की दुकानें थो, और यदि हाँ तो वहाँ ऐसे कितने उम्मीदवार थे ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है उनके पास आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Yajna Datt Sharma : Does the hon. Minister know that in our country there are several communities and sects which use wine as an item for worship and at the time of ceremonies ? According to the teachings of **Vam Marg** five items including wine are ascribed to the factors of salvation of the soul. Thus complete prohibition, would interfere the feelings and faith of the people belonging to such communities and sect-and it would be incompatible with the policy of secularism avowed by the Government.

श्री गोविन्द मेनन : इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का मुझे कोई ज्ञान नहीं है ।

Uplift of Harijans

*1085. **Shri Prakash Vir Shastri** :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the further progress so far made in the economic and social uplift of Harijans ;

(b) whether any new schemes are being formulated for future in this behalf ; and

(c) if so, the time by which these are likely to be implemented ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फुलरेण गुह :

(क) ऐसी प्रगति का पुनर्विलोकन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है, जिन्हें पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है।

(ख) तथा (ग) : चतुर्थ आयोजना की अवधि के दौरान निम्नलिखित नई योजनाओं को कार्यान्विति के लिए हाथ में लिया जाएगा।

(1) रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण तथा बुलाए जाने के बीच की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लड़कों को विशेष शिक्षा देना ;

(2) कानून स्नातकों को बार कौसंल परीक्षा तथा जूनियरशिप को पूरा करने में सहायता देने के लिए विशेष प्रायोजनाएँ ;

(3) सुस्थापित निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण देना ; तथा

(4) आधुनिक दस्तकारियों तथा व्यवसायों पर अधिक बल देने के लिए औद्योगिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के ढांचों को बदलना।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that the **Harijan** problem is a social rather than political ? In view of this, have the Government underlined any programme in the Fourth Five Year Plan to the effect that if the members of non-scheduled caste families make matrimonial relations with the families belonging to scheduled caste would be given priority in securing Government services in order to brush out the slur of caste system even at the level of social understings ? I want to know whether you would like to include such a scheme in the Fourth Five Year Plan ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह उत्तम सुझाव है तथा मैं इसे कार्यान्वित करने का प्रयास करूँगा।

श्री हेम बरूआ : महोदय ! इसे कार्यान्वित करने की उनमें अब क्षमता नहीं मालूम पड़ती।

श्री गोविन्द मेनन : किसी न किसी हद तक तो मैं कर ही सकता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri: Secondly, I want to know that whether this Ministry have assessed the extent to which the facilities enshined in our constitution to the Harijan brethren in the form of reservations have been availed of ? There are a few sensible persons who have benefitted themselves with these provisions of reservation but the conditions of rest of the **Harijan** community could not be improved. It is still the same as it was twenty years ago. Therefore., I want to know whether the Government propose to provide with these facilities among all the Harijans in equal manners. At the same time there are certain voluntary organisations which take this caste system as a blot on the society and which are interested in eradicating this nuisance from the society. Will Government propose to obtain the services of such organisation so that this curse could be removed socially instead of politically ?

श्री गोविन्द मेनन : जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था हरिजनों और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को उनकी जन संख्या के अनुपात के अनुसार सरकारी सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं। किन्तु प्रति वर्ष यह असंतुलन घटता जा रहा है। यह विभाग और सरकार इस बात का सतत प्रयास कर रही है कि नियमों के अनुसार जितना अनुपात निश्चित किया गया है कम से कम उसे तो प्राप्त कर ही लिया जाय। इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri: Sir I repeat my question because probably I could not make the hon. Minister understand it. Even if my question is not perceived I would request you to make it comprehensible. My question is that the facilities offered by the Government to the Harijans are not being availed of by the common members of this community. These facilities are being consumed by a scrupulous group among the Harijan and not by the Harijan community as a whole. Their economic as well as social conditions have not been improved. In the circumstances I want to know whether the Government have decided to make these advantages accessible to the common members of the Harijan Community. Secondly what are the attempts being made by the Government to utilize the services of the voluntary organisations which believe in eliminating the social evils iike this ?

श्री गोविन्द मेनन : स्वयं सेवी संगठनों की सेवाओं के उपयोग के बारे में हम अभी विचार करेंगे। प्रश्न का पहला अंश यह था कि क्या अनुसूचित जातियों के सभी वर्गों को लाभान्वित किया जा रहा है। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है वह सभी वर्गों की अनुसूचित जातियों को एक वर्ग में मानती है। संभव है इनमें से कोई एक वर्ग अन्यों की अपेक्षा अधिक लाभ उठा रहा हो।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस विषय में विशिष्ट अनुदेश हैं कि सभी भूमिहीन व्यक्तियों को जिनमें अधिकतर अनुसूचित जातियों के लोग हैं भूमि मिलनी चाहिए। यह निर्णय किया गया था कि अक्तूबर, 1969 में गांधी शताब्दी के अवसर पर इन व्यक्तियों को भूमि दे दी जायेगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को उन्होंने कोई विशेष अनुदेश दिये हैं, और यदि हाँ तो अब तक कितने हरिजनों को प्रति वर्ष भूमि प्रदान की गई है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकारों ने इन हरिजनों के लिये न्यूनतम मंजूरी निश्चित कर दी है ? और यदि कर दी है तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री गोविन्द मेनन : हरिजनों को भूमि देने तथा खेतीहर-मजदूरों की न्यूनतम मंजूरी निश्चित करने के कार्य विभिन्न राज्य सरकार अपने अपने कानूनों के अनुसार कर रही हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उन्हें भूमि मिल गई है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार भूमि दे रही हैं, राज्य सरकार इस की जांच कर रही हैं। मंत्री महोदय को और कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : राज्य सरकार भूमि नहीं दे रही हैं। मेरे राज्य में हजारों आवेदन पत्र वर्षों" से यूंही पड़े हैं। ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। मंत्री महोदय कर क्या कर रहे हैं ? उन्हें सूचना ही क्या है ?

श्री गोविन्द मेनन : यदि हमें इसकी सूचना दी जाय तो हम राज्य सरकार को लिख सकते हैं।

Shri Rabi Rai : The extent of the laymentable economic conditions of the Harijans can be well imagined when we see that these people are provided with their own houses. In the Gandhi Centenary year have the Government made any rule to the effect that these people have their rightful claim on their houses, and if so, to what extent the progress have been achieved in this direction ?

श्री गोविन्द मेनन : यह मामला भी राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

श्री कार्तिक उरांव : विभिन्न अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में समानरूप से विकास लाने के लिये उनकी आर्थिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य पहलुओं से सम्बन्धित स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास विभिन्न अनुसूचित जातियों की जन-

संख्या, स्नातकों की संख्या, सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्तियों की संख्या तथा ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें उचितरूप से भूमि या सम्पत्ति मिल चुकी है, के आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : यह सूचना देने के लिए मुझे समय चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह सम्पूर्ण विषय राज्य सरकारों द्वारा संपादित किया जा रहा है । अतः माननीय मंत्री यह सूचना माननीय सदस्यों को नहीं दे सकते ।

Shri Rabi Rai: He is not answering any of my questions.

अध्यक्ष महोदय : जब यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है तो उनसे इसे पूछने का क्या लाभ है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: No question is being properly answered.

Shri Onkar Lal Barua: May I know the percentage of persons belonging to the scheduled castes which were sent abroad for undergoing technical and industrial training along with the other persons during the Third Five Year Plan-period and what are the provisions made in the current Plan to this effect ?

श्री गोविन्द मेनन : इस सम्बन्ध में यदि अलग प्रश्न पूछा जाय तो मैं सूचना एकत्रित कर सकता हूं ।

Shri Onkar Lal Barua: The hon. Minister is not answering any of the questions.

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं । इस विषय का निवटान राज्य सरकारें कर रही हैं अतः मन्त्री महोदय से इसे पूछने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हरिजनों के विरूद्ध पुरी के शंकराचार्य ने एक भारी संगठित अभियान चला रखा है तथा चूंकि हरिजन समस्या लगभग सामाजिक समस्या है, सरकार ने सामाजिक स्तर पर लोगों को यह समझाने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि हरिजन हमारे जीवन ही के एक अंग हैं तथा उनमें भी वही भौतिक तत्व हैं जो अन्य व्यक्तियों में हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : यदि किसी ने समाचार पत्र में कोई वक्तव्य प्रकाशित करा दिया तो मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि देश वासी उस पर विश्वास कर लेंगे । अतः भारत वासियों को अस्पृश्यता के विरूद्ध विशेषरूप से समझाने बुझाने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Achal Singh : In the rural areas of our country the sense of untouchability is still prevailing. What are the special attempts being made by the Government to root out this undesired feeling from there ?

श्री गोविन्द मेनन : हमने अस्पृश्यता के सम्बन्ध में विधान बनाया है जिसके अन्तर्गत अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है । यदि अब भी अस्पृश्यता की भावना पाई जाती है तो इस अधिनियम के लागू होने से वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : One of the main factors hampering the improvement in the conditions of the Harijans is connected with the social outlook. May I know the assistance being provided to the social organisations, if any, by the Government ? Secondly, in view of the deplorable economic conditions of the Harijans will the Government provide their youngsters with the free education at higher level so that they may become able persons and can get good jobs ? The hon. Minister have stated that the target fixed in relation to provide the jobs etc. to them have not been achieved. He has also confessed that the progress is being done very slowly but it should be done expeditiously. May I know

the steps proposed to be taken to give impetus to this progress? He is a Law Minister. Does he propose to bring any legislation which envisages performing matrimonial relations between the Harijans and the non-Harijans? The enactment of such a bill can only root-out all these evils.

श्री गोविन्द मेनन : हरिजनों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है तथा उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाती है। किन्तु हरिजनों से विवाह करने को विवश करने के बारे में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। हम केवल ऐसा कानून बना सकते हैं जिसके द्वारा ऐसा करने वालों को मान्यता दी जाय।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी

*1086. **श्री रा० की० अमीन : श्री सीताराम केसरी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों को कच्चा लोहा, नर्म इस्पात, शीरा, "बी० पी०" और "जी० पी०" चादरों आदि कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि छोटे तथा बड़े उद्योगों को अत्यावश्यक माल के आवण्टन की अलग-अलग व्यवस्था है ;

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने कच्चे माल के आयात के लिये नये लघु एककों को अधिक धन नियत करने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि लघु एककों को इस्पात की दुर्लभ किस्म की कुछ वस्तुओं तथा कच्चे लोहे के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) इस्पात की दुर्लभ किस्म की वस्तुओं का इकट्ठा नियतन संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा तकनीकी विकास का महानिदेशालय तथा राज्य के उद्योगों निदेशकों को आगे लघु एवं बड़े एककों को नियतन किए जाने हेतु अलग-अलग किया जाता है।

(ग) लघु एककों को इस्पात की दुर्लभ किस्मों के नियतन का परिमाण अब बढ़ा दिया गया है।

(घ) और (ङ) : 1968-69 की आयात नीति के अनुसार नये लघु एकक लगाई गई मशीनों और उपकरणों के मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर किन्तु अधिक से अधिक 50,000

रुपये तक का आयात करने के हकदार हैं। 1969-70 में उन्हें प्रारम्भिक लाइसेंस अधिक मूल्य के दिये जाने का विचार है जिस से वे अपना कार्य भली प्रकार प्रारम्भ कर सकें।

भारत में विदेशी पूंजी विनियोजकों की कठिनाइयां

*1087. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** **श्री अदिचन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के विदेशी पूंजी विनियोजकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और बाधाओं के बारे में प्राप्त सुझावों/प्रतिवेदनों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई निश्चित तथा दृढ़ नीति बनाई गई है, ताकि विदेशी पूंजी विनियोजकों को भारत में पूंजी लगाने के लिये आकृष्ट किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां,

(ख) जी, हां।

(ग) विदेशी विनियोगकों की मुख्य शिकायत विदेशी सहयोग के आवेदनों को जांच करने के संबंध में होने वाले प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब तथा सरकार को मान्य शर्तों की अनिश्चितता है। विदेशी सहयोग के अविदनों की जांच करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए अभी हाल ही में विभिन्न कदम उठाए गये हैं। एक विदेशी विनियोजन बोर्ड की स्थापना की गई है जो विदेशी गैर-सरकारी विनियोजनों तथा सहयोग से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। एक सार्वजनिक घोषणा में यह कहा गया है कि यथा संभव विदेशी सहयोग के आवेदनों को 3 महीने के अन्दर निबटा दिया जायेगा। भावी विनियोजकों के कार्य में सरलता प्रदान करने तथा उनकी सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने उद्योगों की तीन सूचियां तैयार करके प्रकाशित की हैं :—(क) जिनमें तकनीकी सहयोग सहित अथवा उसके बिना विदेशी विनियोजन की अनुमति होगी,

(ख) जिनमें विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति होगी किन्तु विदेशी विनियोजन की नहीं; और

(ग) जिनमें विदेशी सहयोग (वित्तीय अथवा तकनीकी) आवश्यक नहीं समझा जाता। उपरिलिखित सूची (क) और (ख) में कितनी जहां कहीं अनुमति दी जा सकती है रायल्टी की सीमा भी बताई गई है।

औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस देने / पंजीकरण करने के मामले में होने वाले विलम्ब में कमी करने के प्रश्न की ओर सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है और जहां कहीं संभव होता है औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी कार्यविधियों में पहले से ही छूट की अनुमति दे दी है।

Enquiry into the Accounts of Certain Companies

*1088. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Brij Bhusan Lal : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Company Law Board had ordered an inquiry into the Accounts of 53 Companies during August-October last ; and

(b) if so, the names of those companies and the outcome of the inquiry ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) and (b) : Yes, Sir. The names of 53 companies were placed before the House in reply to Unstarred Question No. 1241 answered on 19th November, 1968. In 18 cases, the irregularities observed have been regularised or have been satisfactorily explained. The Regional Directors have been asked to initiate suitable action, wherever necessary, in the case of 21 companies. The inspection reports on 8 companies are under various stages of examination in the Department and the inspection of 6 companies are yet to be completed.

मशीनी औजारों तथा इंजीनियरी सामान की मांग

*1089. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री प० मु० सईद :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1969 में मशीनी औजारों तथा इंजीनियरी सामान की मांग बहुत बढ़ जाने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1968-1969 में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को कितने-कितने मूल्य के मशीनी औजार सप्लाई किये गये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) यद्यपि सरकार को आशा है कि 1969 में उत्पादन में कुछ वृद्धि होगी किन्तु उसका यह विचार नहीं है कि मशीनी औजारों या अन्य इंजीनियरी वस्तुओं की मांग में तेजी आजायेगी। सामान्य रूप के इंजीनियरी उद्योगों तथा मशीनी औजार उद्योग की विशेष रूप के पिछले दो-तीन वर्षों में जितनी उसकी उत्पादन क्षमता है उसका उपयोग न हो सकने से उत्पन्न समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार तथा उद्योग द्वारा इस समस्या का सामना करने के लिये किये गये सम्मिलित उपायों के फलस्वरूप मांग में निश्चय ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अनेक इंजीनियरी उद्योगों में पिछले दो वर्षों की तुलना में गत वर्ष उत्पादन अधिक हुआ। मशीनी औजारों का उत्पादन 1968 में 21 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ। जब कि 1966 में 29 करोड़ रुपयों तथा 1967 में 26 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ

था। यद्यपि वर्तमान संकेतों से यह पता चलता है कि मशीनी औजारों के लिए बुक किये गये आर्डरों में कुछ सुधार हुआ है फिर भी 1969 के निर्माताओं के पास काफी स्टाक जमा होने के कारण उत्पादन में अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है। फिर भी यह आशा करना युक्ति संगत ही होगा कि सामान्य रूप के इंजीनियरी उद्योग चालू वर्ष में मन्दी के प्रभावों से मुक्त हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी उत्पादों की मांग में भी जिससे उत्पादन क्षमता का और अधिक उपयोग किया जा सकेगा। इन सब के फलस्वरूप मशीनी औजारों की मांग में तदनुसार वृद्धि हो जायेगी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों को अलग-अलग सम्भरण किए गये मशीनी औजारों का मूल्य निम्नप्रकार है :—

(भारत रु० में)

गैर-सरकारी क्षेत्र को संभरित	सरकारी क्षेत्र को संभरित
345.79	523.62

जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा संभरण किए गये मशीनी औजारों का संबंध है, जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र के एककों में न केवल संगठित क्षेत्र के बड़े एकक भी सम्मिलित हैं अपितु लघु क्षेत्र के बहुत से एकक भी सम्मिलित है। जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार की विस्तृत जानकारी एकत्र कर सकना कठिन होगा।

Setting up of factories with Foreign Collaboration

*1090. **Shri Shri Gopal Saboo : Shri Onkar Singh : Shri Bansh Narain Singh : Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the factories set up with foreign assistance during the last three years ;

(b) the names of the articles which would be manufactured by those factories and the amount of foreign money that would be spent on them ;

(c) the amount sent abroad on account of foreign collaboration during the last three years ; and

(d) the policy of Government regarding foreign collaboration industries ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) and (b) : The number of foreign collaboration cases approved by Government during the last three years (1966, 1967 and 1968) is 517 including 141 cases involving foreign capital participation. Quarterly lists of foreign collaboration cases indicating **inter alia** the names of Indian and foreign parties and the item of manufacture are published in the Journal of Industry and Trade, copies of which are available in the Parliament Library.

The approval which is conveyed by the Government is only a letter of intent indicating the terms and conditions on which the proposed agreement including the foreign capital participation would be acceptable to Government. After receipt of this, the formal agreements require to be finalised between the parties concerned. Each scheme for joint venture initially approved by Government does not necessarily mature in the long run. Consequently, the actual figures of foreign capital investment involved in these projects would be known only at the time

when the companies are floated with foreign participation, after obtaining the consent of the Controller of Capital Issues, wherever necessary.

(c) Total payments abroad on account of certain selected purposes during the years 1965-66 to 1967-68 were as below :

Year	Royalties	Technician and other professional service fees.	Technical know-how (Rupees crores)	Dividend
1965-66	3.0	15.3	7.0	19.4
1966-67*	5.1	18.3	10.4	28.8
1967-68*	4.3	17.8	14.7	32.7

(d) Government welcome foreign private investment and technical collaboration in fields in which it is considered necessary. Each proposal involving foreign collaboration is, however, considered on its merits.

बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार

*1091. **श्री द० रा० परमार :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार किया जायेगा ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना में 40 लाख मीटरी टन कच्चे लोहे की क्षमता तैयार की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) : चौथी और पांचवीं योजनाओं के लिए लोहे और इस्पात का कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार की सहायतार्थ नियुक्त की गई कर्णधार समिति ने दूसरी बातों के साथ साथ यह भी सिफारिश की है कि 1972 के मध्य में बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण पूरा होने के साथ ही साथ इसका 40 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता तक विस्तार किया जाय। इस समय कर्णधार समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

अंशधारियों को भ्रामक शक्तियां

*1092 **श्री मधु लिमये :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अंशधारियों को दी गई भ्रामक शक्तियों के कारण उनमें व्याप्त असंतोष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अल्पसंख्यक गुटों के अंशधारियों के विचारों को प्रतिनिधित्व देने तथा कम्पनियों के कार्य संचालन में अंशधारियों को सामान्यतया अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में संशोधन करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो अधिनियम में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

*Preliminary

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) कम्पनियों के निदेशक मंडलों में, अल्पमत के हिस्सेधारियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम, की धारा 402 के साथ पठित, धारा 397 तथा 398, से अल्पमत के हितों की रक्षा के लिये न्यायालयों को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, तथा धारा 408 भी प्रत्येक मामले में, अभिसंविदित अवस्थाओं को पूर्ण करने की शर्त पर, सरकार को वैसी ही शक्तियां देती है। कम्पनी अधिनियम को धारा 265 में, वैकल्पिक रूप से, एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, जो एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहायक हो, के निदेशक मंडलों में, हिस्सेधारियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। क्या निदेशक मंडलों में, इस प्रकार का आनुपातिक प्रतिनिधित्व, कानून में समुचित संशोधनों से अधिदेशक बनाया जा सकता है, यह प्रश्न, विचाराधीन है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

*1093. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में चौथी योजना के व्यय में इस काम के लिये उड़ीसा का हिस्सा कितना होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Small Car Project

*1094. **Shri Bal Raj Madhok :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Hem Barua :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Compan Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 31 on the 12t November, 1968 regarding proposal for a small car project and state :

(a) when the proposal was sent to the Planning Commission **and** whether the Plannin Commission has communicated its views to his Ministry ;

(b) if not, the reasons for delay in the matter ; and

(c) whether a copy of the letter sent to the Planning Commission would be laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) to (c) : The first reference on the subject was made to the Planning Commission in March, 1968, to ascertain the availability of resources for the Small Car Project during the 4th Five Year Plan. Since then there has been exchange of correspondence and discussions between the Planning Commission and my Ministry. The matter is still under discussion with the Planning Commission and other Ministries concerned. It is not customary to place copies of such correspondence on the Table of the House.

समवाय विधि मंडल द्वारा बही खातों की जांच

*1095 **श्री कामेश्वर सिंह** :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री समवाय विधि मंडल द्वारा बही खातों की जांच के बारे में 19 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक निदेशकों ने विभिन्न समवायों के सम्बन्ध में कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्यमंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : 53 कम्पनियों की सूची, जिनके बारे में, अगस्त, 1968 की अवधि के मध्य निरीक्षण के लिये आदेश दिये गये थे, सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। इनमें से, 47 निरीक्षण पूर्ण हो चुके हैं, तथा 39 कम्पनियों की रिपोर्टों की परीक्षा की जा चुकी हैं। अठारह कम्पनियों के मामले में, पाई गई अनियमिततायें, नियमित कर दी गई है, अथवा संतोषजनक रूप से उनका स्पष्टी-करण कर दिया गया है। 21 कम्पनियों के विषय में, प्रादेशिक निदेशकों को जहाँ आवश्यक हो, समुचित कार्यवाही करने को कहा गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेल गाड़ियों में भीड़भाड़

*1096. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों में भीड़भाड़ को कम करने के लिये चालू वर्ष में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जाती हैं, वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया जाता है और उनमें अधिक डिब्बे लगाये जाते हैं। 1968-69 में 29 नयी

गाड़ियाँ चलाई गयीं और 24 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया जिससे 5614 गाड़ी किलोमीटर प्रति दिन की वृद्धि हुई। इसके अलावा इस वर्ष 57 उपनगरीय गाड़ियाँ चलाई गयीं। गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया जिससे 1779 गाड़ी किलोमीटर प्रति दिन की वृद्धि हुई। इसके अलावा 137 गाड़ियों में नियमित रूप से अधिक डिब्बे लगाये गये हैं।

1-4-1969 से लागू होने वाली चालू समय-सारणी में भी उपनगरीय गाड़ियों सहित कुल 47 नयी गाड़ियां चलायी गयीं। गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया जिससे प्रति दिन 2497 गाड़ी किलोमीटर की वृद्धि हुई।

(ख) उपर्युक्त उपायों से यात्रियों के लिए अतिरिक्त जगह की व्यवस्था हुई है लेकिन कुछ खण्डों और गाड़ियों में अब भी भीड़-भाड़ रहती है।

बिना टिकट यात्रा

*1097 **श्री म० ला० सौंधी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों में विधान मण्डलों के भूतपूर्व सदस्य, अध्यापक और कुछ मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) पिछले बारह महीनों में उत्तर रेलवे में राज्य विधान परिषद् के एक भूतपूर्व सदस्य द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के एक मामले का पता लगा था लेकिन किसी अध्यापक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के किसी मामले का पता नहीं चला है।

(ख) रेलों में अब तक बिना टिकट यात्रा की सघन रोक-थाम के लिए जो उपाय किये गये हैं, वे सब पर लागू होते हैं, चाहे बिना टिकट यात्रा करने वाले का व्यवसाय अथवा हैसियत कुछ भी हो।

Increase in Capital of Certain Industrial House

*1098 **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the extent and percentage of increase in the capital of eight chief industrial establishments viz, Birla Group of Industries, Martin Burn, Kamanis Larsen and Toubro, Matatlal, Sahu Jain, Bird Heilgers and J. K. Singhania, after 1957 ;

(b) the amount of the capital of the said companies in the financial year 1960-61 ; and

(c) the extent of increase in the capital at present and the present amount of each of the said companies, separately.

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)

(a) **to** (c) : The paid-up capital figures of the Groups, as given by the Monopolies Inquiry Commission in th ir report in 1963-64 were as under ;

		(Rs. in crores)
		Paid-up Capital
1.	Birla	76.3
2.	Martin Burn	22.8
3.	Kamanis	2.3
4.	Mafatlal	10.3
5.	Sahu Jain	19.6
6.	Bird Heilgers	14.9
7.	J. K. Singhania	14.2

The paid-up capital of Larsen and Taubro Ltd. during 1963-64 was Rs. 1.8 crores.

Rest of the information is not available except to the extent that, according to a survey by Shri B. Datta, the figures of paid-up capital of the companies listed by the Monopolies Inquiry Commission as belonging to the Birla and the Mafatlal Groups in 1963-64 stood at Rs. 96.0 crores and 24.6 crores in 1966-67 showing an increase of 25.5 per cent and 138.8 per cent respectively over the figures of 1963-64.

Invalid Votes During Mid-Term Elections

*1099. **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of invalid votes cast during the mid-term elections in U. P., Bihar and West Bengal, separately ;

(b) the number of cases filed by the police in this connection in the above States, separately ; and

(c) the number of persons arrested on various grounds ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri P. Govinda Menon) :

(a) the required information is as under :

Sl. No.	Name of State	No. invalid votes cast
1.	Bihar	450,301
2.	Uttar Pradesh	800,860
3.	West Bengal	353,762

(b) and (c) : The information is being collected.

सोडियम सल्फेट का उत्पादन

*1100 **श्री वे० कृ० दास चौधरी** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में सोडियम सल्फेट का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक नया संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) देश में इस समय सोडियम सल्फेट की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : राजस्थान सरकार का विचार अपने डीडवाना स्थित सोडियम सल्फेट के विद्यमान संयंत्र की क्षमता का विस्तार 16 मी० टन प्रति दिन से बढ़ाकर 56 मी० टन प्रति दिन कर देने का है।

(ग) भारत के विभिन्न एककों में 1968 में 48,010 मी० टन सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया गया।

स्कूटरों की कमी

*1101. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूटरों की मांग उनकी सप्लाई की अपेक्षा बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने स्कूटरों की कमी है ;

(ग) जिन और कारखानों, की स्वीकृति देने का प्रस्ताव है और जिन वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, उनसे यह कमी सीमा तक पूरी हो जायेगी ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार नये कारखाने स्थापित करने के लिए और अधिक आवेदकों को स्वीकृति देगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) मशीनी उद्योगों के आयोजन दल ने 1973-74 तक स्कूटरों, मोटर साइकिलों, तीन पहिये वाले स्कूटरों, मोपेडों आदि की मांग 2,00,000 संख्या प्रतिवर्ष आंकी है। केवल स्कूटरों की मांग को अलग से नहीं आंका गया है।

विगत चार वर्षों में स्कूटरों का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन (संख्या)
1966	20,296
1967	30,296
1968	35,952
1969 (जनवरी-मार्च)	12,644

यद्यपि उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है फिर भी यह बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये

पर्याप्त नहीं है। देश में स्कूटरों के विभिन्न विक्रेताओं के पास 28 फरवरी, 1969 को 2,15,000 स्कूटरों के आर्डर बाकी थे।

(ग) और (घ) : 50,000 प्रति वर्ष की क्षमता वाले स्कूटरों के एक और एकक को लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। आशा है कि विद्यमान एककों तथा प्रस्तावित नए एकक में उत्पादन होने लगने पर धीरे-धीरे देश में स्कूटरों की मांग पूरी हो जायेगी जैसा कि इस समय अनुमान है।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो

*1102. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रोमेश थापर द्वारा 30 नवम्बर, 1968 के 'इकनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली' में लगाये गये इस आरोप में कुछ सचाई है कि भारत सरकार के केन्द्रीय इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो पर रूस सरकार के नियंत्रण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप के सम्बन्ध में कोई जांच कराई है ;

(ग) यदि हां, तो किस तंत्र के द्वारा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

जवाहरलाल नेहरू संस्था में विकलांग बच्चों के लिए अनुदान

*1103. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में जवाहरलाल नेहरू संस्था के विकलांग बच्चों के लिए कितनी राशि के अनुदान दिये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में इस संस्था को समय पर अनुदान नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज |कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) भारत सरकार ने संस्था को वर्ष 1967-68 में लगभग 2,18,900 रुपये तथा वर्ष 1968-69 में लगभग 2,34,000 रुपये के अनुदान दिए थे।

(ख) और (ग) सामान्यतया अनुदान समय पर ही दिये जाते हैं। कभी-कभी संस्था की ओर से पूरी सूचना न भेजने के कारण देर हो जाती है।

बिना जोड़ के ट्यूबों के निर्माण के लिये हंगरी से तकनीकी सहायता

*1104. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री चेंगलाराया नायड् : **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि बिना-जोड़ इस्पात की ट्यूब और कम दबाव वाले गैस के सिलन्डर बनाने वाले कारखानों की स्थापना में तकनीकी सहायता देने के लिये हंगरी सरकार ने पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने हंगरी के इस प्रस्ताव पर विचार लिया है; और

(ग) इस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ। पेशकश एच० पी० गैस सिलेन्डरों के लिए थी न कि एल० पी० गैस सिलेन्डरों के लिए।

(ख) और (ग) एच० पी० गैस सिलेन्डरों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के लिए सिद्धान्तरूप से निर्णय कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गयी सम्भाव्यता तथा परियोजना रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। इस परियोजना के लिये आवश्यक विदेशी तकनीकी सहायता सम्बन्धी साधन के बारे में परियोजना की रिपोर्ट पर निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही निर्णय किया जायेगा और विदेशी उत्पादकों से बातचीत की जायेगी। परियोजना प्रतिवेदन पर आगामी कुछ सप्ताह में निर्णय लिए जाने की आशा है। जोड़ रहित ट्यूबों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

मफतलाल उद्योग समूह

*1105. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार जाँच आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार मफतलाल उद्योग समूह का देश के सब से बड़े एकाधिकारपति उद्योग समूहों की सूची में 15वां स्थान था;

(ख) क्या इस समय देश के सब बड़े उद्योग समूहों की सूची में मफतलाल का तीसरा स्थान है;

(ग) क्या 1966-67 में पूरे होने वाले गत तीन वर्षों से इस समूह की कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी बढ़कर लगभग 19 करोड़ रुपये और कुल आस्तियां बढ़कर 80.8 करोड़ रुपये हो गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इतनी वृद्धि कैसे और किस तरीके से हुई है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हां, श्रीमान्। एकाधिकार जाँच आयोग की रिपोर्ट में दी गई 75 समूहों की सूची में मफतलाल समूह पन्द्रहवें स्थान पर था।

(ख) चूंकि, केवल इन्हीं तीन गृहों का अध्ययन किया गया है अतः मफतलाल का स्थान निश्चित करना सम्भव नहीं है जब तक कि अन्य गृहों की भी उसी प्रकार परीक्षा न की जाय।

(ग) श्री बी० दत्ता द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, मफतलाल समूह की कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी तथा परिसम्पतियों में, (कुछ अन्य कम्पनियों को सम्मिलित करके, जो इस समूह के नियन्त्रण में आ गई है) 1967 में क्रमशः 19.0 करोड़ रुपये तथा 80.8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई।

(घ) कथित सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य रूप से यह वृद्धि, प्रदत्त पूंजी में 19 करोड़ रुपये बढ़ाकर तथा अल्प अवधि व लम्बी अवधि के 50.5 करोड़ रुपयों के ऋणों में वृद्धि करके व्यय की गई थी।

सिला कपड़ा उद्योग

*1106 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिला कपड़ा उद्योग इस समय संकटग्रस्त है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में यह संकट किस प्रकार का है;

(ग) इस उद्योग की सहायता के लिये सरकार की क्या योजनाएँ हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल और विशेषकर 24 परगना जिले के महेश टोला थाना क्षेत्र में बेरोजगार या कम रोजगार वाले दर्जियों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या योजनाएँ बनाई हैं?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे भोजन-प्रबन्ध जाँच समिति

*1107. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सरकार ने रेलवे भोजन-प्रबन्ध की जाँच के लिये जो समिति नियुक्त की थी, उसने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या समिति ने यह सुझाव दिया है कि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भोजन-व्यवस्था का काम गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंप दिया जाये?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) रेलवे खानपान और यात्री सुविधा समिति 13-7-1967 को नियुक्त की गयी थी और उसने 17-2-1968 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने केवल एक रिपोर्ट दी थी।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें रेलवे खानपान के सम्बन्ध में अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत समिति के निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों का संक्षेप दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 764/69]

(ग) जी नहीं।

हरियाणा में स्कूटर परियोजना

*1108. **श्री राम किशन गुप्त** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) स्कूटरों के निर्माण के लिए विचाराधीन चार योजनाओं पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। विचाराधीन चार योजनाओं में से एक का प्रस्तावित स्थापना स्थल हरियाणा में है और दूसरी का या तो हरियाणा में अथवा पश्चिमी बंगाल में कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रिसर्च, डिजाइन्ज एण्ड स्टैन्डर्ड आर्गनाईजेशन

*1109. **श्री क० लकप्पा** : **श्री ए० श्रीधरन** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिसर्च डिजाइंज़ एण्ड स्टेंडर्ड्ज आर्गेनाईजेशन द्वारा लखनऊ और शिमला में जो कुछ अनुसंधान कार्य किये गये हैं, वे वर्कशाप में प्रयोग में सफल सिद्ध नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

नेपा अखबारी कागज का एक समान मूल्य

*1110. **श्री गणेश घोष** : **श्री अ० कु० गोपालन** :

श्री उमानाथ : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के लिये नेपा अखबारी कागज का रेल पर्यन्त शुल्क समान मूल्य है;

(ख) यदि नहीं, तो लिखने के कागज, लोहा, इसपात, सीमेंट, उर्वरक आदि भारत में निर्मित वस्तुओं की तरह नेपा अखबारी कागज के लिये भी रेल पर्यन्त निशुल्क समान मूल्य नियत न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि नेपा अखबारी कागज के लिये रेल पर्यन्त निशुल्क समान मूल्य निर्धारित न होने के कारण केरल जैसे राज्यों के समाचार-पत्रों के प्रति भेदभाव करना है, जो नेपा नगर से बहुत दूरी पर हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो नेपा अखबारी कागज के रेल पर्यन्त निशुल्क समान मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) नेपा अखबारी कागज का कारखाना इस समय देश की लगभग 20 प्रतिशत आवश्यकता पूरी करता है और शेष आवश्यकता आयात के द्वारा पूरी की जाती है। केरल के समाचार पत्रों में नेपा के अखबारी कागज के बहुत थोड़े अंश की खपत हो रही है। 1964 में ही समाचार पत्रों के कुछ प्रतिनिधियों को यह बता दिया गया था कि नेपा अखबारी कागज के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि नेपा अखबारी कागज के प्रमुख उपभोक्ता कागज का अतिरिक्त मूल्य देने के लिए सहमत हो जाएँ और समाचार-पत्र संघों द्वारा सभी को मान्य कोई फार्मूला ढूँढ़ निकाला जाय।

Availability of Reports

6365. **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state the names, dates of publication, language, price and the position regarding the availability of the reports (recommendations etc.) submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and subordinate institutions and organisations during the last three years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad):

A statement is attached. (Placed in Library See No. LT-765/69).

ट्रैक्टरों का निर्माण

6366. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टरों के निर्माण में बलगारिया और रूमानिया के साथ सहयोग करने के इच्छुक भारतीय लोगों के नाम क्या हैं और प्रत्येक द्वारा निर्माण के निर्धारित लक्ष्य सहित उनके द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उक्त योजनाओं के लिये कितने मूल्य के पूंजीगत माल की आवश्यकता होगी तथा उनकी किस प्रकार व्यवस्था की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा बलगारिया के सहयोग से ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये भेजे गये प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने अनावश्यक रूप से रोक रखा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दिये जाने के कारण क्या हैं ;

(ङ) किन अन्य राज्यों ने ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये योजनाएं भेजी हैं तथा उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(च) उक्त योजनाओं पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : बलगारिया तथा रुमानिया के सहयोग से कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए है :

पार्टी का नाम	ट्रैक्टर का नाम तथा वार्षिक क्षमता	प्रस्ताव में दी गई पूंजीगत वस्तुओं की प्रस्तावित आवश्यकताएं	विदेशी सहयोगी का नाम
1. पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि० चण्डीगढ़	बौल्गर 13. अश्व-शक्ति 12000 सं०	3.44 करोड़ रुपये	मे० स्ट्रैट-मशीनस इम्पोर्ट एंड टेकनो-एक्सपोर्ट बल्गेरिया।
2. मै० प्रेम एग्रो इंजीनियरिंग कारपोरेशेन, नई दिल्ली	यू०-650 तथा 651 (65 अश्व शक्ति).10,000 संख्या	2.70 करोड़ रु०	मै० इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टआफ रुमानिया।
3. मै० मोदनवी प्रा० लि० नई दिल्ली।	यूटोस 45/65 अश्व शक्ति। 10,000 संख्या	बताई नहीं गई	वही

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। प्रस्ताव की आगे जांच तब तक के लिए स्थगित कर दी गई थी जब तक कि बुन्दनी (मध्य प्रदेश) स्थित ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र से ट्रैक्टर के नमूने की परीक्षण रिपोर्ट नहीं मिल गई। बुन्दनी केन्द्र से परीक्षण रिपोर्ट हाल ही में मिल गई है और प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही इस परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है।

(ङ) किसी अन्य राज्य सरकार ने कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखाने

6367. **श्री बाबूराव पटेल** : **श्री म० चं० दीक्षित** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम ने मध्य प्रदेश में जगदलपुर, नीमच और कटनी में सीमेंट के कारखाने खोलने के लिये परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) तीनों में से प्रत्येक परियोजना की प्रस्तावित क्षमता कितनी होगी तथा प्रत्येक वित्तीय परिव्यय कितना होगा ;

(ग) ये परियोजना प्रतिवेदन कब से सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) उनके बारे में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में जगदलपुर तथा नीमच में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी निम्न प्रकार है ;

क्रम सं०	परियोजना स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता	अनुमानित पूंजीगत लागत (लाख रु० में)
1.	जगदलपुर	2,00,000 मी० टन पोर्टलैंड सीमेंट	537.5
2.	नीमच	वही	491.0

(ग) 22 जून, 1967।

(घ) सीमेंट कारपोरेशन को कुछ और सीमेंट संयंत्र लगाने के लिये अनुमति देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों पर निर्भर करेगा।

आदिवासियों के लिये पृथक औद्योगिक विकास निगम

6368. **श्री बाबूराव पटेल** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों के उत्थान की योजना बनाने और कार्य करने के लिये एक पृथक औद्योगिक विकास निगम बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य बात क्या हैं ;

(ग) मध्य प्रदेश के आदिम जातीय और आदिवासी लोगों के सम्बन्ध में सरकार का कब और क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों के लिये योजना बनाने और उनके लिए कार्य के हेतु अलग से कोई औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने का इस मन्त्रालय का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायतार्थ तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्य क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। ये कार्यक्रम सामान्यतः प्रशिक्षण संस्थाओं तथा उत्पादन केन्द्रों द्वारा चलाये जाते हैं तथा इनका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता एवं तकनीकी प्रशिक्षण देना है जिससे इनसे लाभ उठाने वाले अपने व्यवसाय या व्यापार की स्थापना कर सकें या उसमें सुधार कर सकें।

पिछड़े वर्ग क्षेत्र में स्थापित किये गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में बड़े लोकप्रिय सिद्ध हुये हैं। रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का विकास भी वहां काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है और इससे अनुसूचित जातियों को रोजगार दिलाने में काफी सहायता मिली है। छः विभिन्न जिलों में, आदिम जाति सहकारी विकास निगम द्वारा तेल की छः मिलों तथा लकड़ी चीरने वाली 13 मिलों की स्थापना या तो हो चुकी है या हो रही है।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों का विकास

6369. **श्री दे० वि० सिंह :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1969-70 के लिये अथवा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित करने हेतु मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों का विकास करने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत लगेगी ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि-मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) से (ग) : एक विवरण, जिसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1969-70 के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों का सार दिया गया है, संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 766/69]

चतुर्थ योजना को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

मद्रास से दिल्ली आने वाली गाड़ियों को न रोका जाना

6370. **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसा कोई निदेश है कि मद्रास से दिल्ली आने वाली गाड़ियों

को नहीं रोका जाना चाहिए और उन्हें विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ियों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) सरकार की ये नीति है कि इकहटी लाइन वाले सैक्शनों पर ऐसी गाड़ियों को जो लम्बे मार्गों पर चलती हो तथा अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने वाली हों तब गुजरने के लिए प्राथमिकता दी जाये जब वह 'लेट' हों।

जी० टी० एक्सप्रेस का देर से चलना

6371. **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार को मालूम है कि दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस सदा देर से चलती है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि चलने में देरी नागपुर और दिल्ली के बीच ही होती है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) : दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली 15 डाऊन/16 अप जी० टी०/ ए० सी० एक्सप्रेस गाड़ी विशेषकर दिल्ली और नागपुर के बीच संतोष जनक रूप से नहीं चलती है क्योंकि इस भाग में यातायात अधिक है तथा अनधिकृत रूप में रेलों की जंजीर खींची जाती हैं तथा रेल उपकरणों की चोरियां होती हैं।

(ग) इन गाड़ियों के चलने के बारे में प्रतिदिन ध्यान रखा जा रहा है तथा इनको ठीक समय पर चलाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

गुजरात में स्टेनलैस स्टील बनाने के लिये लाइसेंस

6372. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में गुजरात में स्टेनलैस स्टील बनाने के लिये कितने पक्षों ने आवेदन पत्र दिये थे।

(ख) गुजरात में 1968 तक कितने लोगों को लाइसेंस प्राप्त थे ; और

(ग) लाइसेंसों की राशि कितनी थी और ये लाइसेंस किन प्रयोजनों के लिये दिये गये थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) 1968 से पूर्व गुजरात में केवल एक पार्टी को 10,000 मीटरी टन बेदाग इस्पात बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था। चूंकि इस पार्टी ने भी योजना को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की अतः उनका लाइसेंस भी प्रतिसंहृत कर दिया गया।

गुजरात में लघु उद्योग

6373. **श्री सोम चन्द सोलंकी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग के लिये गुजरात को कितनी राशि मंजूर की गई हैं ; और

(ख) ये उद्योग गुजरात में किन-किन स्थानों में स्थापित हैं तथा किन-किन स्थानों में चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में नये उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः गुजरात राज्य में लघु उद्योगों के लिए स्वीकृत राशि अभी ज्ञात नहीं है। ये लघु उद्योग एक गैर सरकारी उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जायेंगे इसलिए सरकार के लिए यह बताना सम्भव नहीं है कि ये एकक कहां स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उड़ीसा से आवेदन-पत्र

6374. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये उड़ीसा से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) कितने लाइसेंस मंजूर किये गये ; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों की व्यौरे सहित वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) गत तीन वर्षों अर्थात 1966, 1967 तथा 1968 में उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के 38 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) एक अनुमति-पत्र तथा 3 आशय पत्रों के अतिरिक्त 3 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) शेष 31 आवेदनों में से 15 आवेदन रद्द कर दिए गये हैं; 4 आवेदन उन उद्योगों के लिए थे जिन्हें लाइसेंस देने से मुक्त कर दिया गया है और जिनके लिए अब लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 12 आवेदन पत्र अभी विचाराधीन है।

उन आवेदनों का विवरण तथा उनके आवेदकों के नाम, जिन पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है, सामान्यतः प्रकट नहीं किये जाते।

प्रतिरक्षा कोटे से स्कूटरों का आवंटन

6376. **श्री अदिचन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा तथा सेना के कर्मचारियों को प्रतिरक्षा कोटे से स्कूटर के आवंटन में सामान्य सरकारी कोटे से असैनिक सरकारी कर्मचारियों को होने वाले स्कूटरों के आवंटन की तुलना में अधिक समय लगता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त कोटों के अन्तर्गत स्कूटर के आवंटन में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) उक्त दोनों कोटों में से स्कूटरों के आवंटन के लिये सम्बन्धित विभागों के पास कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और प्रत्येक कोटे में सबसे पुराने आवेदन-पत्र की अवधि कितनी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां। असमानता का मुख्य कारण यह है कि आवेदनों का वर्गीकरण करने और नियतन करने के लिए अपनाए गए नियमों की कसौटी अलग अलग होती है।

(ख) प्रतिरक्षा कोटा से स्कूटरों के आवेदनों के सम्बन्ध में प्रतीक्षा में औसतन 5 वर्ष का समय लगता है जबकि औद्योगिक विकास विभाग के कोटे से नियतन किए जाने वाले आवेदनों में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है।

(ग) प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने स्कूटरों के आवंटन के लिए विचाराधीन आवेदनपत्रों की संख्या	लगभग 20,000 संख्या
सबसे अधिक समय जब से प्रतिरक्षा मंत्रालय में आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।	23-12-1963
औद्योगिक विकास विभाग में स्कूटरों के आवंटन के लिए विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	लगभग 42,000 संख्या
सबसे अधिक अवधि जब से औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन पत्र विचाराधीन है।	31-7-1965।

रेलवे में सहायक निर्माण निरीक्षक के पद भरना

6377. **श्री रामानन्द शास्त्री :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 205-280 रुपये (ए० एस०) के वेतनमान में सहायक निर्माण निरीक्षकों के 75 प्रतिशत पद सिविल इंजीनियरी के डिप्लोमाधारियों की सीधी भर्ती से तथा 25 प्रतिशत पद कम वेतनमानों से पदोन्नति करके भरे जाने चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भर्ती के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत के अनुपात को सदा बनाये रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के सभी डिवीजनों में उपयुक्त अनुमान को न बढ़ाये रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) वर्तमान हिदायतों के अधीन, 205-280 रुपये के वेतनमान में सहायक रेल-पथ निरीक्षक की 25 प्रतिशत रिक्तियां वर्क्स मिस्त्रियों की पदोन्नति से भरी जाती हैं और शेष 75 प्रतिशत को सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। लेकिन मितव्ययता की आवश्यकता और फालतू कर्मचारियों को समाहित करने की आवश्यकता को देखते हुए, रेलों में भर्ती तभी की जाती है जब उसकी नितान्त आवश्यकता होती है और यह भर्ती कम से कम संख्या तक सीमित रखी जाती है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इटारसी-जबलपुर सेक्शन (मध्य रेलवे) के स्टेशनों पर यात्री तथा माल सुविधायें

6378. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के इटारसी जबलपुर सैक्शन के स्टेशनों पर जिन यात्री तथा माल सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं क्या वे पर्याप्त हैं;

(ख) क्या वे सुविधायें उपर्युक्त रेलवे के झांसी-इटारसी सेक्शन पर उपलब्ध सुविधाओं के बराबर हैं अथवा कम या अधिक ; और

(ग) उन सुविधाओं को अन्य स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं के समान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) उस प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि खण्डीय तुलना के आधार पर यात्री या माल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती बल्कि ये सुविधाएँ प्रत्येक स्टेशन पर यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

इटारसी जंक्शन (मध्य रेलवे) पर टर्मिनल तथा यात्री सुविधाओं की व्यवस्था :

6379. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटारसी जंक्शन (मध्य रेलवे) की देश के अन्य समान जंक्शनों की तुलना में यात्रियों की संख्या तथा माल के लाने ले जाने की टनभार में स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इटारसी पर इस समय उपलब्ध गाड़ियों के रुकने की सुविधायें तथा यात्री सुविधायें समान यातायात वाले जंक्शनों की सुविधाओं के बराबर हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उनमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या रेलवे ने इटारसी के निकट आर्टिलरी प्रूफ फाइरिंग रेंज स्थापित हो जाने से वहां यात्री तथा माल के यातायात बढ़ाने का विचार किया है या कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इटारसी पर कौन सी अन्य गाड़ियों के रुकने तथा यात्री सुविधायें प्रदान करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) इटारसी से जाने वाले और वहां पहुंचने वाले यात्री और माल यातायात की दृष्टि से इस जंक्शन का स्थान बहुत ऊँचा नहीं है, क्योंकि यहां प्रतिदिन 2400 टिकट बिकते हैं और प्रतिदिन औसतन 1840 क्विंटल माल यहां आता है तथा 1610 क्विंटल माल यहां से बाहर जाता है। इस दृष्टि से इटारसी झांसी जैसे जंकशन स्टेशन के स्तर तक भी नहीं पहुंचता। इटारसी का वास्तविक महत्व यही है कि यह विभिन्न दिशाओं के सीधे यातायात के संचलन के लिए एक केन्द्रीय स्थल है।

(ख) और (ग) : भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर टर्मिनल और यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है और इसके लिए दूसरे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं को आधार नहीं बनाया गया है। किसी स्टेशन पर उपलब्ध टर्मिनल और यात्री सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं, इस बात की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इटारसी के मामले में ऊपरी पैदल पुल को चौड़ा करने और उसके ऊपर छत डालने, तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार करने और प्रतीक्षालय तथा प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त पेशाबघर बनाने, माल प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाने तथा छतदार माल शेड का विस्तार करने जैसी अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के प्रश्न पर पहले से विचार किया जा रहा है।

(घ) इटारसी के पास आर्टिलरी प्रूफ फायरिंग रेंज स्थापित किये जाने के बारे में अभी तक रक्षा मंत्रालय से कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Cultivable land on Central Railway

6380. **Shri Deorao Patil :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to allot the cultivable land near the Darwha-Pusad narrow gauge line of the Central Railway, which was dismantled during War time, to the local cultivators ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes. The cultivable land available on this line has already been handed over to the State Government for management and allotment to the cultivators.

(b) Does not arise.

क्षेत्रीय रेलों से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भेजे गये क्लर्क

6391. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :** क्या रेलवे मंत्री 17 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न 4748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राधिकृत अधिकारी कौन है और उक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित मंजूरी किस नियम के अन्तर्गत जारी की गई थी ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे संस्थापना संहिता खण्ड 2 का एफ० आर० 15 उस नियम में दी गई विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त तबादला होने पर किसी कर्मचारी के स्थायी दर्जे को घटाने की किसी प्राधिकारी की शक्ति को सीमित करता है ;

(ग) क्या जहां तक इन क्लर्कों का सम्बन्ध है, उक्त मंजूरी आरम्भ से ही अवैध है ;

(घ) क्या इनमें से कुछ क्लर्कों की 28-3-1961 को जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत अपर डिवीजन क्लर्कों के वेतनमान में दी अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर उस वेतनमान में रखा गया था क्योंकि उनकी नियुक्ति को नियमानुकूल बनाने के लिये यह आवश्यक समझा गया था ; और

(ङ) क्या इस मामले पर नये सिरे से विचार किया जायेगा और रेलवे बोर्ड के कार्यालय में उनकी नियुक्ति को नियमानुकूल बनाने के लिये आदेश जारी किये जायेंगे।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 20-4-61 को जारी की गयी मंजूरी से सम्बन्धित आदेश की एक प्रति संलग्न है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 767/69]

(ख) और (ग) : नियम 2011-आर II (मू० नि० 15) के अनुसार किसी प्राधिकारी का, किसी रेल कर्मचारी को मूल रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, किसी निचले पद पर स्थानान्तरित करने का प्राधिकार बाधित हो जाता है। जब ये व्यक्ति रेलों/भा० रे० सं० से रेलवे बोर्ड में स्थानान्तरित किये गये तो उस समय उन्हें प्रतिनियुक्ति के रूप में माना गया था और इस नियम के उपबन्ध इन पर लागू नहीं थे। इसलिए कथित मंजूरी प्रभावहीन नहीं है।

(घ) जी हां। फिर भी, समीक्षा के फलस्वरूप 20-4-1961 के आदेशों द्वारा 28-3-1961 के आदेशों का अधिक्रमण कर दिया गया था।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

रेल का यात्रा भाड़ा

6382. **श्री क० लकप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि स्टेशनों के बीच यात्रा भाड़ा 5 पैसे से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है अर्थात् कानपुर से इलाहाबाद तक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का भाड़ा 6.37 रुपये तथा साधारण यात्रियों का भाड़ा 4.97 रुपये है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि रेलवे को इस कारण बहुत हानि हो रही है क्योंकि टिकट देने वाले बाबू 5 पैसे का बचा अंश यात्रियों को वापिस नहीं करते और अपनी जेब में डाल लेते हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी विदित है कि इससे भ्रष्टाचार फैलता है तथा यात्रियों और टिकट देने वाले बाबुओं के बीच सम्बन्ध खराब हो जाते हैं; और

(घ) क्या उपर्युक्त बातों को देखते हुए सरकार भाड़े को इस तरह से निर्धारित करेगी कि भाड़े के लिये 5 पैसे से छोटे सिक्कों की आवश्यकता न पड़े जिससे न तो यात्रियों को नुक्सान हो तथा रेलवे की आय भी बढ़ जाये तथा यात्रियों और रेल कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध खराब होने की सम्भावनायें भी दूर हो जायें ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल यात्रा भाड़ा इस समय 5 पैसे से पूरी

तरह विभाजित होता है। विशेष मामले में जैसे 12 पैसे का तीर्थ यात्रा कर 5 पैसे से पूरी तरह विभाज्य रेल यात्रा-भाड़े में जोड़ दिया गया है। इस तीर्थ यात्रा कर को जोड़ने के कारण भाड़े की कुल राशि 5 पैसे से पूरी तरह विभाजित नहीं होती।

(ख) जी नहीं। ये आदेश दे दिए गए हैं कि यात्रियों को रेज़गारी जो वाजिब हो वापस दे दी जाए।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

(घ) जहाँ तीर्थ-यात्रा कर लागू है वहाँ इसे 5 पैसे से पूरी तरह विभाजित करके निर्धारण करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

कानपुर से इलाहाबाद तक मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ी

6383. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6.15 बजे और 17.15 बजे के बीच कानपुर से इलाहाबाद तक कालका मेल के अलावा और कोई मेल / एक्सप्रेस रेल गाड़ी नहीं चलती है तथा कालका मेल में तीसरे दर्जे के लिये यात्रियों को 480 किलोमीटर तथा दूसरे दर्जे के यात्रियों को 320 किलोमीटर से कम के टिकट जारी करने पर प्रतिबन्ध हैं;

(ख) क्या इलाहाबाद से कानपुर तक की भी यही स्थिति है अर्थात् कालका मेल के अलावा जिसमें उपर्युक्त प्रतिबन्ध है 5.00 बजे से 16.00 बजे के बीच कोई मेल / एक्सप्रेस रेल गाड़ी नहीं चलती हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी विदित है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच बहुत यात्री यात्रा करते हैं तथा दिन के समय कोई मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ी न चलने के कारण लोगों को बहुत असुविधा होती है तथा उन्हें बसों के अड्डों पर घंटों तक पंक्तियों में खड़े रहना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिन के समय कम से कम दो नई मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ चलाने अथवा अन्य रेलगाड़ियों का समय इस प्रकार निर्धारित करने का सरकार का विचार है जिससे इन दोनों स्टेशनों के बीच हर तीन घंटे बाद रेलगाड़ी उपलब्ध हों ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) कानपुर-इलाहाबाद खण्ड पर जितना और जिस तरह का यातायात होता है उसे देखते हुए मौजूदा गाड़ियां पर्याप्त समझी जाती हैं और कानपुर-इलाहाबाद के बीच अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने का औचित्य नहीं है। इन गाड़ियों का समय सीधे यात्रियों की सुविधा, टर्मिनल स्टेशनों पर प्लेटफार्म की उपलब्धता, लाइन की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। इन विभिन्न तथ्यों को देखते हुए इस खण्ड पर चलने वाली लम्बे सफर की गाड़ियों के समय में भी अधिक समंजन व्यावहारिक नहीं है।

गुजरात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान बनाने सम्बन्धी केन्द्रीय योजनाएँ

6384. **श्री रा० की० अमीन :**   **श्री द० रा० परमार :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, गुजरात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई और कितनी राशि को प्रयोग में लाया गया;

(ख) क्या पी० डब्ल्यू० आर० योजना संख्या 219, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को सहायता अनुदान और बिना ब्याज के ऋण दिये जा रहे थे, अभी चल रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार किसी अन्य योजना पर विचार करेगी जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग लाभान्वित हैं और उन्हें मकान बनाने में वित्तीय सहायता मिले ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) :

(क) जो राशि दी गई है वह इस प्रकार है;

वर्ष	1966-67	16.65	लाख रुपये
"	1967-68	11.05	" "
"	1968-69	28.55	" "

हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जो राशि खर्च हुई है वह इस प्रकार है :

वर्ष	1966-67	9.27	लाख रुपये
"	1967-68	11.12	" "
"	1968-69	28.55	" "

(ख) से (घ) : राज्य सरकार से अपेक्षित ब्यौरे मंगाये गए हैं तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिए जाएंगें ।

Late Arrival of a Train at Moradabad

6385. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that those passengers who have to go from Delhi to Bareilly, Lucknow etc. by the Train which leaves Delhi at 6.40 A. M. have to wait for hours at Moradabad due to its late arrival there ;

(b) if not, the number of days when this train reached there in time during the year 1968 ; and

(c) the steps Government propose to take, taking into consideration the inconvenience caused to the passengers, to remove this mis-management ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Only occasionally, when 56 Dn. Moradabad Express misses connection with 52 Dn. Sealdah Express at Moradabad.

(b) During 1968, 56 Dn. Express arrived Moradabad right time on 224 days but maintained connection with 52Dn. Sealdah Express on 339 days.

(c) Late running of 56Dn. Moradabad Express is caused chiefly due to heavy incidence of alarm chain pulling and thefts of copper wire resulting in control failures on the Delhi-Moradabad section. Every feasible effort is being made to improve the running of this train.

Travelling Allowance to Running Staff

6386. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Ranjit Singh :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Brij Bhusan Lal :** **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the report regarding the rules and the rates of Travelling Allowance of the running staff has been considered ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if so, the details and the outcome thereof ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes, presumably the Hon'ble Members are referring to Running Allowance, as Running Staff are not paid Travelling Allowance.

(b) Does not arise.

(c) A statement showing the principal recommendations contained in the report and the action taken by Government is attached. (Placed in library. See No. L. T. 768/69).

पश्चिम रेलवे में रेलवे लाइन के साथ-साथ कृषि योग्य भूमि

6387. **श्री द० रा० परमार :** **श्री रा० की० अमीन :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के पास कुछ ऐसी कृषि योग्य भूमि खाली पड़ी हुई है जिसमें कृषि की जा सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम रेलवे के पास प्रत्येक डिविजन में, अलग-अलग व्यौरे सहित कुल कितने क्षेत्रफल कृषि-योग्य भूमि बेकार पड़ी है; और

(ग) क्या सरकार ऐसी भूमि को रेलवे प्रशासन से छुड़ाकर अनुसूचित जातियों के लोगों को कृषि-कार्य के लिये देने पर विचार करेगी क्योंकि वे लोग भूमिहीन हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख)

बम्बई मण्डल	280.03 एकड़	बड़ौदा मण्डल	57.94 एकड़
रतलाम मण्डल	68.67 एकड़	कोटा मण्डल	71.44 एकड़
अजमेर मण्डल	कुछ नहीं	जयपुर मण्डल	171.97 एकड़
राजकोट मण्डल	241.45 एकड़	भावनगर मण्डल	कुछ नहीं

(ग) रेल प्रशासनों की यह नीति रहती है कि स्टेशन यार्ड के बाहर खेती योग्य जितनी भी भूमि फालतू होती है उसे राज्य सरकार को प्रबन्ध तथा खेती करने के लिए आबंटन हेतु सौंप

दिया जाता है। जब तक सरकार ऐसी फालतू भूमि को अपने अधिकार में नहीं ले लेती तब तक रेल-प्रशासनों को प्राधिकार दे दिया जाता है कि वे निकटवर्ती खेत के मालिकों को ऐसी जमीन खेती के लिए पट्टे पर दे दें और यदि निकटवर्ती खेत के मालिक लेना न चाहें तो अन्य आवेदकों को दे दें।

Shahdara-Saharanpur Light Railway

6388. **Shri Bal Raj Madhok : Kumari Kamla Kumari : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Qestion No. 280 on the 12th November, 1968, and state :

(a) whether a copy of the contract signed between Government and the Company in regard to Shahdara-Saharanpur light Railway would be laid on the Table of the House ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) A copy of contract is laid on the Table of the Sabha. (Placed in Library. See No. LT. 769/69).

(b) Does not arise.

मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, लिमिटेड

6389. **श्री कामेश्वर सिंह : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि बोर्ड ने मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स लिमिटेड की लेखा पुस्तकों तथा संबन्धित दस्तावेजों की जांच आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गणेश फ्लोर मिल्स लिमिटेड की लेखे की किताबों का निरीक्षण पूर्ण किया जा चुका है।

(ख) तथा (ग) : उपरोक्त (क) के दिये गये उत्तर को दृष्टि से, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Vigilance Department

6390. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government feel that the Vigilance Department constituted at present has become corrupt and is not fulfilling its duties successfully ;

(b) whether Government propose to appoint the staff of Vigilance Department on permanent basis and directly under the Railway Minister instead of taking them on deputation ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No.

(b) and (c) : No, since the Vigilance Department is temporary, there is no likelihood of making them permanent. The staff for Vigilance Directorate, Railway Board are selected from employees holding permanent posts on the Railways/Railway Board/State Police. These staff are transferred to the Vigilance Directorate for a period of 3 to 5 years.

Hindustan Steel Ltd. and Heavy Engineering Corporation

6391. **Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether the scheme to make the production of the Hindustan Steel Limited conforms to the development of metallurgical industries and to make the Heavy Engineering Corporation capable of designing equipment has been started ; and

(b) if so, outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) :

(a) and (b) : Yes, Sir. Hindustan Steel Limited is currently studying how best its products could be improved in the light of the latest developments abroad. They have already undertaken production of high tensile ribbed bars which are used as re-inforcement in reinforced concrete construction, cold rolled galvanised sheets and electrolytic tinplates in their plants. Some of the other schemes, which Hindustan Steel Limited is currently studying to undertake are :

1. Increasing production of killed steel ;
2. colour coated galvanised sheets ;
3. spiral welded pipes ;
4. normalising and heat treating of pipes required by the oil industry.

On the strengthening of Heavy Engineering Corporation's capacity for designing equipment, currently negotiations are going on with renowned makers of steel plant equipment for concluding agreements either with HEC or with other organisations like CEDB of HSL with a view to acquire the latest know-how for designing and manufacture of steel plant equipment.

The steps required for developing and strengthening the Design Organization of HEC to enable it to prepare designs for equipments to be manufactured there, are actively under consideration.

रेलवे दुर्घटनाएं

6392. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के ड्राइवरों ने देश में रेल दुर्घटनायें कम करने के कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) उत्तर रेलवे के ड्राइवरों ने कुछ सुझाव जैसे 'रन्निग' कक्षों में सुविधाओं की व्यवस्था, इन्जनों पर वैक्युम की आवश्यकता, मार्ग चिन्हों की व्यवस्था तथा वर्दियों का दिया जाना आदि, दिये थे। उनके कुछ सुझाव तो पहले से ही निर्धारित नीति के अन्तर्गत आ गए थे, कुछ अव्यवहारिक पाए गए, जब कि कुछ शिकायतों के रूप में थे जिनकी जांच की गई थी। कुछ शिकायतें भ्रम के कारण हुई थी जिसके विषय में उत्तर रेलवे को कहा गया था कि सम्बद्ध ड्राइवरों को स्थिति स्पष्ट कर दें।

मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

6393 **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 27 नवम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 2311 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर को अपने नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, कानपुर के कूपर एलेन तथा नार्थ वेस्ट टैनरी एककों को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया है। इन एककों का स्वामित्व तथा प्रबन्ध टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के अधिकार में होगा जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है।

Paper and Cement Industries in Assam

6394. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shrimati Jyotsna Chanda :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ministers of the Assam Government have asked the Central Government to set up Paper and Cement Industries in the State during the Fourth Plan ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) A request to that effect has been received from the Government of Assam.

(b) Proposals for putting up one Cement and one Pulp/Paper plant in Assam are under consideration by Government.

पूर्वी रेलवे द्वारा कोयले के माल डिब्बों की सप्लाई

6395 **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे इस बात पर आग्रह कर रही है कि व्यापारिक तथा औद्योगिक फर्मों की कोयले के माल डिब्बों की मांग पर पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये हालाँकि कोयले पर नियंत्रण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा आग्रह किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) लालफीताशाही को दूर करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने और उद्योग की सीधी मांग पर माल डिब्बे सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं। सभी तरह के नान-कोकिंग कोयले को नियंत्रणमुक्त हो जाने से रेल प्रशासन इसकी ढुलाई के लिए निर्बाधरूप से इंडेंट स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इन इंडेंटों को निबटाने में गैर-प्रायोजित माँगों की अपेक्षा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के प्राधिकारियों अथवा किसी दूसरी अनुसूचित एजेंसी द्वारा प्रायोजित माँगों को तरजीह दी जाती है।

(ख) सवाल नहीं उठता क्योंकि किसी विशेष मांग के प्रायोजन के लिए ज़ोर नहीं दिया जाता। लेकिन प्रायोजन प्रणाली को जारी रखा जा रहा है और प्रायोजित मांगों को तरजीह दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलों के पास बहुत बढ़ा-चढ़ाकर की गयी और काल्पनिक मांगों के कारण इस तरह प्रायोजित वास्तविक उद्योगों और दूसरे उपभोक्ताओं की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हुए बिना न रह जायें।

(ग) कोयले के नियंत्रण-मुक्त होने से पहले की अपेक्षा वर्तमान प्रक्रिया सरल है। अब उपभोक्ता सीधे संयुक्त निदेशक, परिवहन (कोयला), कलकत्ता के पास पहुँच सकते हैं और वह कोयला नियंत्रण कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना विभिन्न प्रायोजन अधिकारियों से सीधे प्राप्त सिफारिशों के आधार पर उच्च अग्रता के अनुसार ढुलाई कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। कोयला व्यापार और उद्योग से भी कहा गया है कि वह वर्तमान प्रणाली के बदले कोई व्यावहारिक वैकल्पिक व्यवस्था सुझायें और उस पर रेलें समुचित विचार करेंगी।

तार (केबल) उद्योग में बेकार क्षमता

6396. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार उद्योग में बेकार क्षमता है तथा उसने टेलीफोन की तारों के लिये सरकार से क्रयादेश मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या वर्तमान तार उद्योग को क्रयादेश देने की बजाय सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन तार का कारखाना खोलने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) : पावर केबल निर्माताओं के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके पास उपयुक्त क्षमता है जिसे दूर संचार के केबल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। केबल निर्माताओं की इस वस्तु का निर्माण प्रारंभ करने की क्षमता का पता लगाने और विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् अंतिम निर्णय किया जायेगा।

सिग्रेटों का उत्पादन

6397. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिग्रेटों का उत्पादन तथा उनकी खपत बहुत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बात को देखते हुए कि उनके उत्पादन पर अधिकांश विदेशी हितों का नियंत्रण है सरकारी क्षेत्र में सिगरेटों के उत्पादन की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) देश में पिछले 10 वर्षों में सिगरेटों का उत्पादन निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :

1966	1967	1968
	(दस करोड़ संख्या)	
5862.6	5377.7	6043.2

देशी सिगरेटों की खपत उत्पादन के बराबर है।

(ख) सरकारी क्षेत्र में सिगरेटों का उत्पादन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक बस्तियां

6398. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य**-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में कोई औद्योगिक बस्ती स्थापित न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई और उनके निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(घ) क्या विकसित औद्योगिक बस्तियां आवश्यकतानुसार पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो और औद्योगिक बस्तियां स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अब तक 493 औद्योगिक बस्तियां बसाने का कार्य शुरू किया गया है जिनमें से 31 मार्च, 1968 तक 311 बस्तियां पूरी हो चुकी थी और इन बस्तियों पर, जिनमें अभी बन रही बस्तियां भी सम्मिलित हैं, किया गया व्यय लगभग 42 करोड़ रुपये हैं ।

(घ) तथा (ङ) विकासशील देश में स्थापित की गई औद्योगिक बस्तियों की बढ़ती हुई मांग का विस्तार देखते हुए अपर्याप्त होगी । फिर भी, इस कार्यक्रम में विस्तार की अपेक्षा समेकीकरण की आवश्यकता है । यह आवश्यक तथ्य राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है और उन्हें यह परामर्श भी दिया गया है कि किसी औद्योगिक बस्ती की स्थापना करने से पूर्व उसके विकास का सम्भाव्यता सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के लिये पूंजी परिव्यय

6399 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों के लिये पूंजी परिव्यय 15.76 करोड़ रुपये से घटा कर 3.34 करोड़ रुपये कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः पश्चिमी बंगाल के लिए व्यय की ठीक-ठीक राशि ज्ञात नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला खान मालिकों को माल डिब्बों की सप्लाई

6400. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मालिकों ने यह शिकायत की है कि कोयला खानों से कोयला बाहर भेजने के लिये उन्हें जितने माल डिब्बों की आवश्यकता है, उन्हें उतनी संख्या में माल डिब्बे नहीं मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों को माल डिब्बे सप्लाई करने की सही-सही स्थिति क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां। समय-समय पर कुछ शिकायतें आई हैं।

(ख) वर्ष 1968-69 में सब क्षेत्रों से कोयले का प्रतिदिन का औसतन लदान लगभग 7,932 वैगन था जबकि पिछले वर्ष 7638 वैगन था अर्थात लगभग 294 वैगन अधिक प्रतिदिन था। वर्ष 1967-68 की तुलना में वर्ष 1968-69 में 23.52 लाख टन अधिक कोयला उठाया गया। इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोयले के लदान के लिए माल गाड़ी के डिब्बों की उपलब्धि में विशेष अधिकता हुई। वर्ष 1968 के सितम्बर तथा अक्टूबर मास में सारे क्षेत्रों से लदान का कार्य इतना अधिक बढ़ा जितना इससे पहले किसी भी महीने में नहीं हुआ तथा इस कार्य में वर्ष 1969 के जनवरी तथा फरवरी महीनों में और अधिक उन्नति हुई।

अब क्योंकि माल डिब्बे पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिए इनके न मिलने के सम्बन्ध में शिकायतें न्यायोचित नहीं हैं।

महाराष्ट्र के गांव में जातिवाद

6401 **श्री. ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1969 को **स्टेट्समैन** में "कास्टिजम फोमेन्ट्स न्यू सोशल टेंसन इन महाराष्ट्र" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के धूलिया जिले में बालखेडे गांव में, कोली जाती के 90 परिवारों, जिसमें 400 पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, का गाँव के मराठा पाटिल समुदाय के नेता के निदेश के अनुसार सवर्ण हिन्दुओं द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कोली जाति के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या गांवों में से जातिवाद को दूर करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का व्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) इस प्रकार का समाचार 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रेस समाचार ने कोली जाति के मछेरो का उल्लेख किया है जो परम्परा से पानी तथा पालकी वाहक हैं। इस उल्लिखित सम्प्रदाय को न तो अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी है और ना ही अनुसूचित आदिम जाति के रूप में।

(घ) और (ङ) छुआछूत अधिकांश रूप में नगरीय क्षेत्रों में समाप्त हो गई है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इक्के-दुक्की मामले अभी भी हो जाते हैं। इस समस्या को वैधानिक मापदण्डों, अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक, तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रचार तथा कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से सुलझाया गया है। इन उपायों को चतुर्थ योजना में बढ़ाया जा रहा है।

एपेंडिक्स III - ए० की परीक्षा

6402 **श्री तैन्नेटि विश्वनाथम : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेखा विभाग के लिये निर्धारित एपेंडिक्स III- ए० की परीक्षा माह नवम्बर, 1968 में ली गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली केन्द्र के उम्मीदवारों की छ: पर्चों में से केवल एक पर्चे की, अर्थात एडवांसड कर्मशियल बुक-कीपिंग के पर्चे की, फरवरी 1969 में इस आधार पर कि परीक्षा कक्ष में बाहर वालों द्वारा नहीं बल्कि स्वयं परीक्षार्थियों द्वारा गड़बड़ पैदा की गई थी, फिर से परीक्षा ली गई थी ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने रेलवे बोर्ड को केवल दिल्ली केन्द्र के लिये दूसरी बार परीक्षा लेने के लिये बाध्य किया; और

(घ) क्या अन्य केन्द्रों की ओर से भी ऐसा किये जाने की मांग की गई थी और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जो हाँ ।

(ख) और (ग) : 10 फरवरी, 1969 को दिल्ली केन्द्र के उम्मीदवारों की "उच्च वाणिज्यिक बहीखाता" विषय की दुबारा परीक्षा ली गयी । 11-11-1968 को इस केन्द्र के कुछ उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में बाधा डालने और उनके अनियंत्रित व्यवहार के कारण इस विषय की मूल परीक्षा को छोड़ देना पड़ा था । हालांकि परीक्षा में बाधा डालने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह विनिश्चय किया गया कि केवल दिल्ली केन्द्र में परीक्षा दुबारा ली जाये, क्योंकि इस केन्द्र के अधिकतर निर्दोष उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने का अवसर नहीं दिया गया ।

(घ) जी हां । जिन परिस्थितियों के कारण 10-2-69 को "उच्च वाणिज्यिक बही-खाता" की दुबारा परीक्षा लेना आवश्यक हुआ, वे केवल दिल्ली केन्द्र में उत्पन्न हुई थीं और अन्य केन्द्रों में इस तरह की परिस्थितियां नहीं थीं । इसलिए अन्य केन्द्रों में दुबारा परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं हुई ।

दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त बरीयता सूची

6403. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर गत दस वर्षों से दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने में असफल रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अप्रैल, 1968 में परिचालित अन्तिम वरीयता सूची अभी भी गलत है और यदि हां, तो गलत वरीयता लगाने वाले उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस सूची से जी० एम० एन० डब्ल्यू० रेलवे लाहोर के दिनांक 27-11-43 के पत्र संख्या 847-इ०/48 और जी० एम० दिल्ली के दिनांक 14. 6. 65 के पत्र संख्या 757-ई०, 24-चार ई० आई० बी० के भर्ती प्राधिकार का उल्लंघन होता है ;

(घ) क्या उक्त सूची को कई बार परिचालित किया गया था ; यदि हां, तो प्रत्येक को

किस वर्ष और किस तारीख को परिचालित किया गया था और अभ्यावेदन के बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि सूची को वर्ष 1954 से अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका अतः कर्मचारियों का स्थायीकरण रुक गया है ; और

(च) सूची को ठीक तरह से तैयार न करने के लिये दोषी कर्मचारियों, जिसके कारण कर्मचारियों को धन की हानि हुई है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (च) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा (मिलने पर) सभापटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी कल्याण निरीक्षक

6404. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी कल्याण निरीक्षकों का 150-225 रुपये और 200 300 रुपये वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान 210-320 रुपये तथा 250-380 रुपये) आरम्भ में सेलेक्शन ग्रेड था ;

(ख) क्या यह सच है कि 200-300 रुपये के वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान 250-380 रुपये) को बाद में गैर-सेलेक्शन ग्रेड घोषित कर दिया गया था और तीसरे और अन्तिम 260-380 रुपये के वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान 335-425 रुपये) जो गैर-सेलेक्शन ग्रेड था को 1959-60 में सेलेक्शन ग्रेड घोषित कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या दो ग्रेडों को पास करने के बाद कुछ कार्मिक कल्याण निरीक्षकों को वरीयता से वंचित रखा गया है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) 21-11-53 को इस आशय के सामान्य आदेश जारी किये गये थे कि 200-300 रुपये (निर्धारित वेतन-मान) और इससे ऊपर के ग्रेड के सभी अराजपत्रित पदों को प्रवरण पद माना जाये। रेलवे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से प्रवरण पदों की सूची में 150-225 रुपये (निर्धारित वेतन-मान) के ग्रेड के कुछ उन विशिष्ट वर्गों को भी शामिल कर लिया गया जिनमें पर्यवेक्षण और एक अंश तक व्यक्तिगत जिम्मेदारी का काम रहता है। बाद में विभिन्न ग्रेड के कल्याण निरीक्षकों के पदों को 1-4-57 से नीचे लिखे अनुसार पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया :—

(i) सहायक कल्याण निरीक्षक
(210-320 रुपये (अ० वे०) —प्रवरण

(ii) कल्याण निरीक्षक
(250-380) रुपये (अ० वे०) —अ-प्रवरण

(iii) कल्याण निरीक्षक
(335-425 रुपये (अ० वे०) —प्रवरण

(ग) और (घ) 1-1-1958 से विभिन्न वेतन-मान वाले कार्मिक निरीक्षकों के पदों के लिए इसी तरह का वर्गीकरण किया गया। कुछ रेलों पर कार्मिक निरीक्षकों और कल्याण निरीक्षकों का संवर्ग इकट्ठा है और कुछ पर अलग-अलग है। जिस ग्रेड में कोई काम करता रहता है, उसमें उसकी वरिष्ठता कम नहीं होती, केवल अगले ऊँचे ग्रेड में पदोन्नति का आधार बदलकर प्रवरण से अ-प्रवरण अथवा अप्रवरण से प्रवरण हो सकता है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा हरिजनों को गृह-निर्माण के लिये अनुदान दिया जाना

6405. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से हरिजनों को गृह-निर्माण के लिये अनुदान देने के उद्देश्य से 5 लाख रुपये की मांग की है ;

(ख) यह अनुदान दिल्ली प्रशासन को कब दिया जायेगा ; और

(ग) हरिजनों को नकद अनुदान किन आधारों पर दिया जायेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के कल्याण की राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए 1969-70 के बजट प्राक्कलनों में 4.008 लाख रुपए की कुल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इसमें गृह-निर्माण उपदानों के लिए 2 लाख रुपए की राशि शामिल है। बजट पास होने के बाद बजट व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लाभार्थियों को चुनने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त हैं :—

(1) अनुसूचित जाति का सदस्य हो।

(2) मेहतर भंगी, इत्यादि के कामों जैसे गंदे व्यवसायों में लगा हुआ हो।

(3) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहता हो।

(4) कम से कम 60 वर्ग गज जमीन रखता हो।

(5) किसी पक्के मकान का मालिक न हो।

ए० टी०/एस० बी० डिजाइन के डिब्बे

6406. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व और दक्षिण रेलवे पर ए० टी०/एस० बी० डिजाइन के 'कोचिंग गाड़ियों' की बहुत कमी हो गई है क्योंकि ये वर्कशाप में लम्बी अवधि से बड़ी संख्या में मरम्मत होने के लिए पड़े हैं ;

(ख) क्या कोचिंग गाड़ियों की इस कमी के कारण रेल सेवा में बहुत असुविधा हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो शीघ्र और कोचिंग गाड़ियों का निर्माण करने के बारे में रेलवे बोर्ड का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

ए० टी०/एस० बी० डिजाइन के दो टायर वाले शयनयान

6407 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलवे में ए० टी०/एस० बी० डिजाइन के दो टायर वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शयनयान और गार्ड के डिब्बों (टी० एल० आर०) की भारी कमी है जिसके कारण गाड़ियों को बिना ए० टी० डिजाइन के टी० एल० आर० डिब्बों को लगाकर चलाने की अनुमति देनी पड़ती है जिससे जनता की सुरक्षा को खतरा है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व उत्तर और दक्षिण रेलवे में पर्याप्त संख्या में ए० टी० डिजाइन के टी० एल० आर० दो टायर वाले शयनयान जी० एस० सी० एफ० और प्रथम श्रेणी के डिब्बों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) आमतौर पर डाक / एक्सप्रेस / तेज सवारी गाड़ियों के लिए इस टाइप के एक दूसरे में न धंसने वाले / इस्पात के खोल वाले सवारी डिब्बों की कमी नहीं है। फिर भी उत्तर और पूर्व रेलों की शाखा लाइन की सवारी गाड़ियों के लिए एक दूसरे में न धंसने वाले / इस्पात के खोल वाले टी० एल० आर० डिब्बों की कमी है। लेकिन डिब्बों की उपयुक्त ढंग से मार्शलिंग करके यात्रियों की संरक्षा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Fan and Lighting Arrangements in Punjab Mail

6408. **Shri Meetha Lal Meena:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the fact that there are no arrangements for lights and fans in the Ist class compartments attached to the Punjab Mail from New Delhi to Hindumalkote ;

(b) whether it is a fact that there exist a wooden bar across the lower berth in Ist class compartments causing a good deal of inconvenience to passengers in sleeping ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) the action proposed to be taken by Government to improve the compartments or to replace them, and the time by which such an action is likely to be taken ; and

(e) whether the uncovered fans, bulbs and switches, are stolen away from these compartments ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) It is not a fact that there are no arrangements for lights and fans in Ist class compartments attached to Punjab Mail from New Delhi to Hindumalkote.

(b) and (c) Yes. This was due to defect in fitting of springs in the bed-cum-back rest.

(d) These coaches have since been replaced.

(e) Thefts and pilferage of electrical fittings from coaches by anti-social elements also take place.

Conversion of Gangapur City Railway School into Degree College

6409. **Shri Meetha Lal Meena :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a persistent demand for the conversion of the Gangapur City (Western Railway) Railway School into a Degree College ;

(b) whether it is a fact that the people of the Railway colony and others have assured Government to give their whole-hearted cooperation, besides a free plot of land for the construction of the school building ;

(c) if so, the decision proposed to be taken by Government in this regard ;

(d) whether Government have any other problem before them for which they want cooperation of the public ; and

(e) if so, the nature thereof ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No.

(b) No.

(c) to (e) Do not arise.

Gangapur City Railway School

6410. **Shri Meetha Lal Meena :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scheme to construct a new building for the Gangapur City (Western Railway) Railway School had been under consideration of the Western Railway ;

(b) whether a final decision has been taken thereon ;

(c) if so, the details thereof and the time by which the construction of the building is likely to be completed ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No. However, the extension of the existing building of the Secondary school at Gangapur is under consideration of the Railway.

(b) to (d) Does not arise.

Improvements in Kota Division

6411. **Shri Meetha Lal Meena :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some assurance were given by the then Railway Minister, Shri C. M. Poonacha to public representative at a meeting in Kota (Western Railway) some time back to bring about improvements in Kota Division ;

(b) if so, the details of assurances given ;

(c) the steps proposed to be taken to fulfil them ;

(d) whether one of these assurances was regarding up-grading the Railway Secondary School, Gangapur City into a Higher Secondary School this year ;

(e) if so, when this would be done ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No.

(b) to (f) Do not arise.

छोटी इस्पात बेलन-मिलों के लिये लाइसेंस

6412. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में छोटी इस्पात बेलन-मिलों को कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) इस्पात के बेलन और ढले इस्पात की बड़े उद्योगों को होने वाली कम सप्लाई को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, कोई नहीं। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत इस्पात-बेलन मिलों को लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अन्तर्गत छोटी इस्पात बेलन मिलों के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं है।

(ख) संभवत: अभिप्राय प्रमुख उपभोक्ताओं को इस्पात के बेलन और ढलाई के लिए बिलेट की आपूर्ति से है। प्रमुख निर्माताओं से बिलेट के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने को कहा गया है। आपवादिक स्थितियों तथा पहले से किए गए करारों को छोड़कर बिलेट के निर्यात के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को बिलेट बनाने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने से 100,000 टन पिण्डक सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया है। जहां तक प्रमुख उद्योगों को ढले लोहे की पूर्ति का प्रश्न है, अपर्याप्तता की कोई शिकायत नहीं है। इसके विपरीत गत वर्ष उपभोक्ताओं से पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त न होने के कारण ढलाई उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा। स्थिति अब अच्छी हो गई है और उत्पादन भी बढ़ गया है।

North Eastern Railway Workers' Union Sonepur Branch

6413. **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sonepur Branch of the North-Eastern Railway Workers' Union had presented a Memorandum to the then Railway Minister during his visit to Sonepur in the month of February last ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) There is no record of any such memorandum having been received.

(b) and (c) Do not arise.

Progress of Nepa Mills (M. P.)

6414. **Shri G. C. Dixit :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Newsprint Advisory Committee of Government has made any proposals for the progress of Nepa Mills (Madhya Pradesh) during the year 1969-70 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any scheme in regard to diverting or accumulating elsewhere the contaminated water that flows out of the Nepa Mills and pollutes the water of Tapti river, has also been submitted ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Compauy Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir.

(d) A statement is attached.

Statement

The Nepa Mills have been examining the following proposals to minimise the effects of pollution of the Tapti River :

(i) to dispose of efluent by installing a purification plant ;

(ii) to divert the effluent into tanks for being converted into manure for agricultural purposes ;

(iii) to supply drinking water to Burhanpur through pipe line from Nepa Mills to that town which is at a distance of 22 miles.

Some schemes on the obove lines have been prepared which are under the examination of the Board of Directors. Meanwhile, the Mills have been donating some cash amount every year to Burhanpur town and Ambada village which are depending for drinking water on Tapti River, for digging tubewells for drinking water supply to their inhabitants.

Bogies Attached to Dehradun Express

6416. **Shri Onkar Lal Berwa :**   **Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bogies attached to Dehradun Express for Rishikesh are entirely inadequate in view of rush of passengers ;

(b) if so, whether Government propose to attach more bogies thereto ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that due to excessive rush, the bogies are jampacked ;

(e) if so, whether any arrangements are proposed to be made by Government in this regard ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) The partial three-tier through service coach running between Howrah and Rishikesh by 9 UP/10 Dn. Doon Expresses is not overcrowded. No through coach for Rishikesh runs by 19 Up/20 Down Dehra Dun Expresses.

(b) No.

(c) Lack of traffic justification.

(d) No.

(e) Does not arirse.

(f) Lack of traffic justification.

मध्य रेलवे की इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शाप में कर्मचारियों की बहाली

6417. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने सिफारिश की थी कि मध्य रेलवे की बम्बई में मातुंग स्थित इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वर्कशाप के उन कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखा जाये जिन्हें अप्रैल, 1965 में उपस्थिति कार्ड को पंच करने से सम्बन्धित विवाद के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था ;

(ख) इस मामले में जस्टिस श्री तारकुण्डे तथा जस्टिस श्री बाल द्वारा की गई सिफारिशों का ठीक ठीक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) : माटुंगा स्थित बिजली वर्कशाप के तीन कर्मचारियों द्वारा अपील दायर करने के सन्दर्भ में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री तारकुण्डे तथा न्यायाधीश श्री बाल ने 27-4-67 को निम्नलिखित आदेश किया था ;

"प्रतिवादियों की ओर से श्री वाई० बी० रीज के न्यायालय की इस सिफारिश को अपने प्रतिवादियों तक पहुँचाने को सहमत होने पर कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थियों को उनकी पदच्युति की अवधि को अवैतनिक अवकाश मानते हुए परन्तु पूर्ण स्वेच्छानुसार इसके दौरान प्रार्थियों को निर्वाह भत्ता देकर, उन्हें फिर से नौकरी पर रखा

जाए, प्रार्थियों की ओर से श्री प्रधान ने अपील वापस लेने की अनुमति मांगी। अपील वापस लेने की अनुमति दे दी गई। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।"

(ग) और (घ) : आदेशों के अनुरूप न्यायालय की सिफारिशों पर सक्षम अधिकारी बहुत ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त वह इस परिणाम पर पहुंचा कि प्रार्थियों को फिर से नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे गम्भीर दुराचार के दोषी पाए गए थे। उनके द्वारा अभ्यावेदन करने पर उन्हें उत्तर भेज दिया गया था कि न्यायालय की सिफारिशों को माना नहीं जा सकता।

Supply of Ambar Charkhas to Madhya Pradesh

6419. **Shri G. C. Dixit** :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Ambar Charkhas supplied to Madhya Pradesh in the year 1968-69;

(b) the number, out of them, which were actually put to use during the said period ; and

(c) the quantity of yarn made available for this purpose during the aforesaid period ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) to (c) : The information is being collected and it will be laid on the Table of the House in due course.

Cottage Industries in Madhya Pradesh

6420. **Shri G. C. Dixit** :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have sent any schemes for giving incentive to the cottage industries in the State during 1969-70 ; and

(b) if so, the details thereof and the steps proposed to be taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) and (b) : The information is being collected and it will be laid on the Table of the House in due course.

Contracts to Co-operative Societies for Supply of Drinking Water and Food-Stuffs at Railway Stations on the Central Railway

6421. **Shri G. C. Dixit** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of stations on the Central Railway where contracts were given to Co-operative Societies between 1965 and 1968 for supplying drinking water and food stuffs and the terms of such contracts ; and

(b) the names of those places where such contracts have been given to private contractors for supplying foodstuffs apart from Co-operative Societies ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) On the Central Railway during the period 1965-1968 no Co-operative Society was given contract for supplying drinking water to passengers. No contracts are awarded to either Co-operative Societies or private parties for supply of drinking water for which the Railway Administration makes necessary arrang.ments. Contracts for Tea, Coffee and Sweetmeet stalls were given to Co-operative Societies at Itarsi and Khandwa stations during this period. The terms of the contracts were as per the standard agreement of the Railway for sale of sweetmeat, tea and other articles within Railway premises on Central Railway.

(b) A statement is attached. (Placed in Library. See No. LT-770/69).

Over Bridges in Madhya Pradesh

6422. **Shri G. C. Dixit :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of bridges over the Railway lines in Madhya Pradesh ;

(b) the number of bridges constructed there during the last two years ;

(c) the number of bridges which are more than 20 years old and the action taken to carry out their periodic repairs ;

(d) the date on which the bridge on Burhanpur Railway Station has been constructed ;

(e) whether Government propose to reconstruct this bridge by extending it on both sides ; and

(f) if not, the reasans therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

Presumably, the Honourable Member is referring to the number of road overbridges in Madhya Pradesh. If so, the position is as under :

(a) Thirty one.

(b) Nil.

(c) Thirteen. The bridges are inspected periodically once in a year and repairs to the bridges are carried out as and when found necessary.

(d) The foot overbridge at Burhahpur Railway Station was constructed in the year 1887. It was later strengthened in the year 1940.

(e) and (f) No. The condition of the foot overbridge is structurally sound and does not warrant reconstruction at present. The extension of the foot overbridge on either side is not considered desirable from the Railway's point of view.

Memorandum from Employees of Sabarmati Loco Shed, Western Railway

6423. **Shri Ramavatar Shastri:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of Sabarmati loco shed on the Western Railway have submitted a memorandum to their General Manager and have given notice of a Satyagrah by them ;

(b) if so, the main features of the memorandum and the causes of their resorting to Satyagrah ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes, Sir,

(b) The management of the canteen at loco shed, Sabarmati which, at present, is being run by a private contractor should be handed over to staff.

(c) Action has already been initiated by the Western Railway Administration to transfer the management of the canteen to a duly constituted staff committee.

Stopping of Trains Coming to Delhi near Red Fort

6424. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that trains coming to Delhi Junction from the East are generally stopped near the Red Fort before these are allowed entry into the main station causing unnecessary delay thereby ;

(b) whether it is also a fact that 11 Up (Delhi Express) was halted near Red Fort on the 2nd March, 1969 at 6 A. M. and the train reached the station only at 6.45 A. M.

(c) whether trains running on schedule also get late there ;

(d) if so, the reasons for doing so ; and

(e) the steps proposed to be taken to remove the obstacle or difficulty in the way of smooth running of trains ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No.

(b) Yes.

(c) and (d) : Passenger-carrying trains, whether running on time or late, are normally not detained outside signals at Delhi Station except for unavoidable reasons like sudden equipment failure, alarmchain pulling, etc. For example, during March, 69, out of 510 trains received at Delhi, only 7 trains were detained outside signals for more than 5 minutes each.

(e) The running of passenger-carrying trains receives high-level attention from day to day and prompt remedial or punitive action is taken in regard to causes of late running which are within the control of Railways. Furthermore, at the time of the six-monthly revision of the Time Table, every effort is made to schedule trains in such a way as to ensure their smooth running.

Memorandum from All India Ministerial Staff Association Danapur Branch

6425. **Shri Ramavtar Shastri:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a four-point memorandum had been submitted to the former Railway Minister, Shri C. M. Poonacha during his visit to Danapur on the 2nd February 1969 by the Danapur Branch of the All India Ministerial Staff Association ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have decided to implement it ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Yes Sir.

(b) The points reised in the memorandum related to :

(i) Less percentage allotted and operated in Higher Grades than provided by the Railway Board.

(ii) Stagnation in the initial grade of Clerks.

(iii) Wide disparity in the promotion of Higher grades due to section wise seniority.

(iv) There should be no reversion after officiating continuously for more than three years.

(c) and (d) : These demamds have been examined and the position against each of them is given below :

(i) Necessary instructions were issued on 15.12.67 that the higher grade posts should be distributed between Headquarters and Divisions or Workshops or other subordinate offices, separately for each of the units of promotion strictly according to the prescribed percentages and the position should be set right within a period of two years.

(ii) The question of giving some relief to staff including Clerks who have for some time been at the maximum of their scale of pay is under active consideration.

(iii) In the case of most categories of Railway staff, seniority in the lower grades of each category is maintained division wise and seniority of staff in the higher grades is maintained on the all-Railway basis. Maintaining an all-Railway list of staff in the lower grades also will not be administratively feasible ; nor will it be in the interest of the staff themselves.

(iv) Continuance of a staff in a grade depends on the availability of a vacancy in such a grade, Often temporary posts are created due to increase of workload and they are abolished on completion of work. It is therefore, not possible to meet this demand of the Association.

Rajdhani Express

6426. **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the estimated income and expenditure per month from the Rajdhani Express introduced between Delhi and Calcutta ;

(b) whether Government have ascertained whether there would be profit or loss from the said train ;

(c) if so, the amount of profit or loss per month ;

(d) whether Government propose to provide some special facilities on permanent basis to the Railway staff posted on this train ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) to (c) : The estimated monthly direct cost of running the Rajdhani Express with 4 A. C. C. Chair cars and 1 A. C. C. First Class is approximately Rs. 2 lakhs. This cost

includes the cost of diesel oil consumed by engines, engine crew, train staff, staff for operation of the generator cars, repairs and maintenance of locos and coaches, fuel for the generator car, interest and depreciation of coaches and engines. This estimated cost does not include the cost of provision and maintenance of permanent way, signal and tele-communication, other equipments and facilities, the cost of reservation and booking, cost of train passing staff, coaching yard staff, expenses on catering and overheads, etc. which is common with other services.

The estimated monthly earnings (excluding the receipts from catering) at different levels of occupation are given below :

Percentage level of occupation	Monthly earnings (excluding catering receipts)
	(Rs. in lakhs)
40 percent	1.99
50 percent	2.49
60 percent	2.99
75 percent	3.73
100 percent	4.98

It is not feasible to work out the fully distributed cost of this train taking into account the direct expenses and the overheads, common and joint expenses (track, station buildings, train passing staff, general administration, etc.). Therefore, the profit or loss of running this train cannot be assesssed. However, a comparison of direct cost with direct earnings could be made. If the level of occupation of this train is 41 per cent, the direct expenses are fully covered. Any occupation level higher than 41 per cent would contribute towards the overheads, joint or common cost.

(d) and (e) : There is no proposal for special facilities for the staff posted on this train, as their working conditions are not, in any way, inferior to those of other staff. However, the Drivers and Assistant Drivers of this train have been granted kilometerage allowance at the actual kilometerage run, inflated by 50 per cent more, in consideration of the greater vigilance they have to exercise at high speed. The Train Superintendent and the Steward of the train who look after the comforts of the passengers, including the catering service, have been given a special pay of Rs. 75/- and Rs. 30/- per month respectively.

नार्वे के उद्योग मंत्री की यात्रा

6427. डा० सुशीला नैयर : श्री ए० श्रीधरन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे के उद्योगमंत्री ने फरवरी, 1969 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उस के साथ क्या बातचीत हुई ; और

(ग) क्या-क्या निर्णय किये गये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : नार्वे के उद्योग मंत्री की केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रियों तथा प्राधिकारियों से हुई बातचीत सामान्यतः दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की गुंजाईश का पता लगाने के संबंध में थी । इस बातचीत के साथ-साथ नार्वे के उद्योग मंत्री विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों को देख कर प्रभावित हुए हैं और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया है कि वह दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और उसे सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे ।

उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों के लिये विभागीय परीक्षा

6428. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में, विशेषतः उत्तर रेलवे में लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों के पदों के लिये विभागीय परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार स्टेनों टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों के पदों के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लोअर डिवीजन क्लर्कों को भी प्रत्याशी के रूप में बैठने देने की अनुमति देने पर विचार करेगी जिससे यह सेवा भी केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अन्तर्गत अन्य सरकारी विभागों के बराबर हो जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (घ) रेलवे में लिपिकों एवं टाइपिस्टों के पृथक संवर्ग हैं। इस विषय पर स्पष्ट आदेशों के अनुसार केवल टाइपिस्ट ही रेलवे में आशुलिपिकों की प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं ।

सचिवालय में टाइपिस्टों का कोई पृथक संवर्ग नहीं है । इस प्रकार रेलवे के लिपिकों और सचिवालय के लिपिकों में कोई उचित तुलना नहीं है ।

बाल कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

6429. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री बलराज मधोक :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल कल्याण का कार्यक्रम तैयार करने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ग) क्या इस समिति का प्रतिवेदन सभी राज्यों तथा स्वयंसेवी संगठनों को उनकी टिप्पणी और इस क्षेत्र में नई दिशाओं को प्रोत्साहन देने के लिये परिचालित कर दिया गया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि विभिन्न सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी और यदि हाँ, तो क्या उनकी क्रियान्विति के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जायेगी ?

विधि-मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) समिति को रिपोर्ट का परीक्षण किया जा चुका है और उसे राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों को उनके विचारार्थ और उसमें दी गई सिफारिशों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भेज दिया गया है ।

(ग) समिति की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दी गई है । यह रिपोर्ट छप रही है । जब उसकी प्रतियां उपलब्ध होंगी, उन्हें अखिल भारतीय आकार के स्वयंसेवी संगठनों को भेज दिया जाएगा ।

(घ) हां, श्रीमान ।

धन की उपलब्धि साधनों की स्थिति पर निर्भर करेगी ।

वर्तमान बाल कल्याण केन्द्रों / संस्थानों की स्थिति में सुधार

6430. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण : श्री बलराज मधोक : श्री रणजीत सिंह :**

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों ने स्वयंसेवी संगठनों अथवा दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थानीय रूप से चलाए जा रहे किसी बाल कल्याण केन्द्र (उदाहरण के लिये मेगेजीन रोड पर स्थित बाल गृह) का दौरा किया था और उन संस्थानों में विद्यमान स्थिति को देखा था ; और

(ख) क्या नई परियोजनाएँ आरम्भ करने से पहले वर्तमान केन्द्रों / संस्थानों के कार्य संचालन में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणू गुह) :

(क) जो नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग से स्थापित कम्पनियों के चेयरमैन

6431 **श्री देवेन सेन : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** 3 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पूंजी के अधिक अंश वाले ऐसे भारतीय समवाय कितने हैं, जिनके विदेशी अंशधारी चेयरमैन अथवा प्रबन्ध निदेशक हैं और उन समवायों के नाम क्या हैं ; और

(ख) विदेशी पूंजी के कम अंश वाले ऐसे कितने भारतीय समवाय हैं जिनके विदेशी अंशधारी चेयरमैन अथवा प्रबन्ध निदेशक हैं और उन समवायों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : सूचना संग्रह की जा रही है व वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

नये मद्य कारखानों के लिये लाइसेंस

6432. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **औद्योगिक विकास**, आन्तरिक व्यापार तथा **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में नये मद्य कारखानों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) उन राज्यों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें मद्य कारखानों के लिये नये लाइसेंस दिये गये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : मद्य कारखानों के लिए कोई भी नए औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये गए हैं, किन्तु निम्नलिखित को आशय-पत्र जारी किए गए हैं :—

		स्थान (राज्य)
1.	मेसर्स शा वलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली	महाराष्ट्र
2.	मेसर्स ब्रेवरीज इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड, परिमादी (केरल)	केरल
3.	डा० डी० कुमार एण्ड श्री एम० एम० महाजन- नई दिल्ली	दिल्ली
4.	श्री एम० के महापात्रा, तुलसीपुर, कटक	उड़ीसा
5.	श्री ए० के० घोष, रांची	बिहार
6.	श्री एम० के जाजोदिया, नई दिल्ली	आंध्र प्रदेश
7.	श्री प्रहलाद राय डालमिया, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	राजस्थान
8.	हरियाणा स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	हरियाणा
9.	पंजाब स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	पंजाब

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को घाटा

6433. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को उसकी स्थापना के समय से अब तक घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या देश में तथा विदेशों से क्रयादेश प्राप्त करने के मामले में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ अधिक सफल रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की 45 करोड़ रुपये की इस परियोजना को लगातार हो रहे घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ कठिनाइयों के बावजूद लाभ कमा रही हैं ; और

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिये तथा सरकारी क्षेत्र के इस एकक को लाभ कमाने वाला कारखाना बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) से (घ) : इस कारखाने ने जिसने बहुत विलम्ब के पश्चात् 1965-66 में उत्पादन करना शुरू किया था, अभी अपनी पूर्ण उत्पादन-क्षमता प्राप्त नहीं की है और जो घाटा हुआ है उसके बड़े कारणों में से एक यह भी है। भारी पूंजी वाली विशिष्ट प्रकार की भारी इंजीनियरी परियोजनाओं की प्रारम्भिक अवस्था में इस प्रकार के घाटे स्वाभाविक हैं क्योंकि जटिल प्रकार की मशीनों के बैच उत्पादन में कुछ वर्ष लग जाते हैं। कारखानों को पूर्ण क्षमता तक लाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है और उत्पादन में विविधता लाने पर भी विचार किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि निजी क्षेत्र में विशिष्ट खनन और सम्बद्ध उपस्कर का निर्माण करने वाला ऐसा कोई कारखाना नहीं है जो खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम की तरह भारी पूंजी-नियोजन आदि जैसी समस्याओं से घिरा हो।

स्कूटरों का वितरण

6434. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से अपील की है कि स्कूटरों की बिक्री में कदाचार रोकी जाये और स्कूटरों का वितरण ठीक ढंग से किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन लोगों ने स्कूटरों के लिये लम्बे समय से अपने नाम दर्ज करा रखे हैं, उनकी उपेक्षा न की जाये और उन्हें उनके टर्न के अनुसार स्कूटर दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समय एक लाख से अधिक स्कूटर स्टाक में पड़े हैं और उनका वितरण स्थगित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) के सम्बन्ध में तथा स्कूटर एलाट करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) भारत के उपभोक्ता परिषद से एक अभ्यावेदन इस आशय का प्राप्त हुआ है कि देश में स्कूटरों के वितरण की सुचार व्यवस्था करने के लिए एक प्रभावी ढांचे की स्थापना की जाये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत के उपभोक्ता परिषद के सुझाव पर विचार किया गया है और देश में

स्कूटरों का वितरण समान रूप से और एकरुपता के आधार पर करने के हेतु उत्पादकों को ये निर्देश दिये गए हैं कि वे अपने विभिन्न विक्रेताओं को निम्न प्रकार स्कूटरों का वितरण करें :—

(1) जनता में बिक्री के लिए उपलब्ध स्कूटरों की कुल संख्या का 80 प्रतिशत विक्रेताओं को उनके पास 31 दिसम्बर, 1968 तक बचे आर्डरों के अनुपात से दिये जायें।

(2) शेष 20 प्रतिशत विक्रेताओं को अप्रत्याशित मांग को पूरा करने अथवा 31 दिसम्बर 1969 के पश्चात् कुछ क्षेत्रों में बुक किये नये आर्डरों के कारण उत्पन्न हुए असंतुलन को ठीक करने के लिए उत्पादक स्वेच्छा से दे सकेंगे।

Casting of Bogus Votes in the Last Mid-term Elections

6435. **Shri Gunanand Thakur : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bogus votes were cast on a large scale in the last mid-term elections ;

(b) whether it is also a fact that a large number of genuine voters were prevented from casting their votes ; and

(c) if so, the concrete steps proposed to be taken by Government to check such malpractices in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) :

(a) No, Sir.

(b) The exact number of genuine voters who were prevented from casting their votes can be ascertained only from the total number of tendered ballots received. This information is not available at present.

(c) The Election Commission are actively considering a number of proposals for reforming the Election Law in this behalf, such as the setting up of additional polling stations in areas where Harijans etc. reside, the introduction of mobile polling stations and issue of photographed identity cards for electors in specified constituencies or in specified polling areas as safeguards against bogus voting and impersonation.

रेलवे में सेवामुक्ति संबंधी आदेश

6436. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारी अनुशासन तथा अपील नियमों के नियम 5 (2) और 1706 (आर० आई०) में यह उपबन्ध है कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी चाहे वह अस्थायी हो अथवा स्थायी, अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नजरबन्द रहता है तो उसे सक्षम अधिकारी के आदेश के द्वारा उस तारीख से मुअत्तिल समझा जायेगा जिस तारीख से वह नजरबन्द है ;

(ख) क्या 18 और 19 सितम्बर, 1968 को गिरफ्तार किये गये तथा अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखे गये अनेक अस्थायी कर्मचारियों को उपर्युक्त नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध नौकरी से निकाला गया है तथा अन्य को केवल मुअत्तिल किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार नियम 149-आर० आई के अन्तर्गत नौकरी से निकालने के आदेशों को वापिस लेने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न के भाग (क) में वर्णित नियम केवल रेल कर्मचारी की मुअत्तली से सम्बन्धित है और सेवा समाप्ति से सम्बन्धित उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अतएव अस्थायी रेल कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, जो नियम 149-आर 1 के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार होता है, को उपर्युक्त नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

(ग) उन अस्थायी कर्मचारियों के मामलों की जिनकी सेवायें केवल सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गयी थीं, समीक्षा की गयी है। लेकिन सरकार द्वारा जो आदेश जारी किये गये हैं उनमें उन कर्मचारियों के मामलों से सम्बन्धित कोई समीक्षा नहीं की गयी है जो अन्य अपराध करने के दोषी थे।

रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों के लिये मध्यान्ह भोजन का समय

6437. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक लिपिकों के लिये उनके 8 घंटे के कार्य के समय में मध्यान्ह भोजन के समय की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक लिपिकों की कार्य कुशलता पर इस व्यवस्था का बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार वाणिज्यिक लिपिक, को मध्यान्ह भोजन के लिये आधे घंटे का समय देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) काम के घंटे विनियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि किसी रेलवे कर्मचारी को दोपहर के भोजन के लिए छुट्टी दी जाय।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

N. G. Railway Line from Sawai Madhopur to Jaipur

6438. **Shri Meetha Lal Meena :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme to convert the narrow-gauge Railway line from Sawai Madhopur to Jaipur and to lay a new broad-gauge line from Ganapur City to Dholpur in Rajasthan has been accepted for consideration ;

(b) whether a survey has been conducted for the said lines ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor and the time by which the survey would be made ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No.

(b) **and** (c) A survey for the conversion of Sawai Madbopur-Jaipur M. G. line into B. G. was carried out in 1905 by the ex-Jaipur State. The results of this survey are not available now. An investigation made in 1949 revealed that this conversion would cost Rs. 1.08 crores. But for the Gangapur City-Dholpur B. G. line, no surveys were carried out in the past.

(d) Due to the present difficult financial position these proposals may have to await better times and the question of carrying out surveys will be considered at the appropriate time.

समस्तीपुर में मकैनिकल वर्कशाप में पदों का दर्जा बढ़ाना

6439. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5979 के उत्तर में दिये आश्वासन को करने सम्बन्धी 21 फरवरी, 1969 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच समस्तीपुर में मकैनिकल वर्कशाप के पदों के दर्जे बढ़ाने पर विचार पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) वित्तीय पहलुओं का हिसाब लगाया जा रहा है और इस सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्र कोई विनिश्चय किया जायेगा।

मद्यनिषेध संबंधी विधान

6440. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या विधि तथा सामाजिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 मार्च, 1969 को दिल्ली में मद्यनिषेध पर दो दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण करते हुए वित्त मंत्री ने पुनः कहा था कि समूचे देश में विधान द्वारा मद्यनिषेध लागू किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय प्राप्त कर ली गयी है ; और

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को आवश्यक विधान लागू करने का आश्वासन दिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Assistance for Rajasthan Harijans

6441. **Shri Shiv Charan Lal :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government have agreed to give 50 lakhs of rupees in the form of grant for the assistance of Harijans ;

(b) whether Central Government have given any direction to the State Government to do so ;

(c) whether Government propose to make this arragement in Uttar Pradesh also ; and

(d) if so, by which date and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :

(a) The reference is perhaps to the Rajasthan Finance Minister's Budget speech in which he referred to the State Government's proposal to spend Rs. 50 lakhs for the construction of flush latrines in public places in towns all over Rajasthan.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir. The matter is entirely within the purview of the State Government.

(d) Does not arise.

पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे फाटक

6442. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी जंक्शन से राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 के जंक्शन को मिलाने वाली कोल बोर्ड सड़क अधूरी और अप्रयुक्त पड़ी है क्योंकि उस पर दो रेलवे फाटक नहीं हैं;

(ख) क्या बिहार राज्य के कई मन्त्रियों ने उक्त फाटकों के बनाने के लिये रेलवे मन्त्री से अनुरोध किया है;

(ग) क्या उक्त दो अत्यावश्यक फाटकों को बनाने का निर्णय कर लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उन्हें कब बनाया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ) बरौनी और तिलख स्टेशनों के बीच 'बी' श्रेणी के रेलवे फाटक को और गरहारा तथा तिलख के बीच 'सी' श्रेणी के रेलवे फाटक को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 के जंक्शन से प्रस्तावित कोल बोर्ड रोड पर नये स्थानों पर स्थानान्तरित करने के लिये बिहार सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे ने राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये एक प्राक्कलन भेजा था जिसमें इन रेलवे फाटकों के

स्थानान्तरण और उनका दर्जा बढ़ाने पर आने वाली प्रारम्भिक लागत का ब्यौरा दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार की प्रेरणा पर इस मामले पर पुनः विचार किया गया था और उन्हें मई, 1968 में सलाह दी गई थी कि रेलवे फाटक (बी श्रेणी के रेलवे फाटक का मामला राज्य सरकार द्वारा छोड़ दिया गया था) के स्थानान्तरण और उसका दर्जा बढ़ाने पर आने वाली प्रारम्भिक लागत राज्य सरकार वहन करेगी परन्तु एक विशिष्ट मामले के रूप में आवर्ती खर्चा रेलवे वहन करेगी। तदनुसार, राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे ने 42,205 रुपये का एक प्राक्कलन सितम्बर, 1968 में लोक निर्माण विभाग, बिहार के चीफ इंजीनियर को स्वीकृति के लिये भेजा था जिसमें गरहारा और तिलख स्टेशनों के बीच 'सी' श्रेणी के रेलवे फाटक के स्थानान्तरण और उसका दर्जा बढ़ाने पर आने वाली लागत का ब्यौरा दिया था। अनेक स्मरण पत्र भेजने के बावजूद राज्य सरकार की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव से प्रार्थना की गई है कि वह पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार की प्राक्कलनों की स्वीकृति की सूचना दें ताकि रेलवे शीघ्रातिशीघ्र इस काम को चालू करके समाप्त कर सके।

राज्यों द्वारा रेलवे सम्पर्क सड़कों का निर्माण

6443. **श्री मंगल थुमाडोम** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां पर ऊपर के और नीचे के पुल हैं वहाँ पर राज्यों द्वारा केन्द्र की सहायता से रेलवे सम्पर्क सड़कें बनाने के लिये कोई निश्चित नीति है; और

(ख) चौथी योजना में केरल राज्य के लिये इस सम्बन्ध में कितनी राशि स्वीकृत की गई है अथवा स्वीकार करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रेलवे की लागत पर बनाये गये रेलवे फाटकों के स्थान पर सड़क के ऊपरी/नीचे के पुल बनाने का खर्चा रेलवे और सड़क प्राधिकार द्वारा उठाया जायेगा। मोटे तौर पर, 24 फीट चौड़े सड़क मार्ग और इसके सम्पर्क मार्गों (जमीन की कीमत को छोड़कर) के लिये सड़क के ऊपरी/निचले पुल के निर्माण का 50 प्रतिशत खर्चा रेलवे वहन करती है और सम्पर्क सड़कों के लिये अपेक्षित भूमि की अर्जन लागत सहित शेष 50 प्रतिशत खर्चा सड़क प्राधिकार उठाता है।

इस निर्माण-कार्यों की लागत में राज्य सरकारों को उनका अंश पूरा करने में सहायता करने की दृष्टि से 1966-67 से एक रेलवे सुरक्षा कार्य निधि बनाई गई है। यह अनुमान है कि 1966-67 से 1970-71 की पाँच वर्ष की अवधि में इस निधि में रेलवे मन्त्रालय से 9.28 करोड़ रुपये का कुल अंशदान प्राप्त होने की सम्भावना है। इस धन राशि में केरल सरकार का अंश 1970-71 तक लगभग 17.18 लाख रुपये आयेगा। बाद के वर्षों में उन पर आने वाले अंश की निश्चित धनराशि इस समय पता नहीं हैं।

Double Track on Suburban routes for Electric Trains

6444. **Shri Maharaj Singh Bharati** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for not running electric suburbun trains in the Fifth Plan when electric trains would run bet ween Howrah and Delhi during the Fourth Plan ; and

(b) if such trains would start running during the Fifth Plan, the reasons for not constructing double tracks on suburban routes during the Fourth Plan ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b) : Electrification of suburan services and provision of double or multiple track on suburban routes, are done on a programmed basis, depending on the availability of funds and the anticipated increase in suburban traffic. It is too early to say as to what suburban routes will need electrification in the Fifth plan.

बोखारा में हाल्ट स्टेशन

6445. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोखारा में एक हाल्ट स्टेशन खोलने के लिये रेलवे मन्त्रालय / रेलवे बोर्ड को मुर्शीदाबाद जिले में धनपतगंज में गठित बोखारा संग्राम समिति से अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन सर्व-प्रथम कब प्राप्त हुआ था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह मांग करने के कारण बोखारा में अनेक नागरिक गिरफ्तार किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किन कारणों से गिरफ्तार किया गया था; और

(ङ) रेलवे अधिकारियों का विचार बोखारा में कब हाल्ट स्टेशन खोलने का है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : **(क)** जी हां।

(ख) बोखारा संग्राम समिति से पहला अभ्यावेदन सितम्बर, 1968 में मिला था। अभ्यावेदन में किया गया अनुरोध माना नहीं गया क्योंकि वह इंजीनियरिंग और परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं था और उसमें वित्तीय हानि भी निहित थी। प्रस्तावित हाल्ट स्टेशन निकटवर्ती स्टेशन मोर ग्राम से केवल 1.39 कि० मी० दूर है।

(ग) और (घ) : गाड़ियों के चलने में रुकावट डालने के लिए भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे;

1 श्री शम्भूनाथ दत्त	5 श्री बबलू दत्त
2 श्री महादेव चक्रवर्ती	6 श्री सीताराम शा
3 श्री बासुदेव चक्रवर्ती	7 श्री रशीद शेख
4 श्री सिंह दत्त	8 इनाश अली मंडल

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

मैसर्स टर्नर मॅरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

6446. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 में आयकर विभाग ने मेसर्स टर्नर मोरिसन एण्ड

कम्पनी लिमिटेड में लगे श्री हरिदास मूंदड़ा के 49 प्रतिशत शेयरों को कुर्क कर लिया था और वह विभाग अभी भी इन शेयरों को बेच कर धनराशि वसूल करने में असफल रहा है जिससे श्री मूंदड़ा के खिलाफ प्रस्तुत मांगों के एक अंश को वसूल किया जा सके।

(ख) क्या यह सच है कि 19 प्रतिशत शेयरों के कुर्क किये जाने के बावजूद भी श्री मूंदड़ा का कम्पनी पर नियन्त्रण है ;

(ग) क्या उनके द्वारा नियन्त्रित कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों की आस्तियों में कमी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों की आस्तियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) नहीं श्रीमान्। यह सही नहीं है कि मेसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड में लगे श्री हरिदास मूंदड़ा के 49 प्रतिशत हिस्से, आयकर विभाग द्वारा 1964 में कुर्क कर लिये गये थे। कथित हिस्से बहुत पहले ही कुर्क किये जा चुके थे। यह कुर्क किये गये हिस्से इस कारण से अभी नहीं बेचे गये हैं कि एक स्वत्व बाद (1959 का 93 की संख्या का) नवम अधरिक न्यायाधीश, अलीपुर, कलकत्ता के न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है।

(ख) कम्पनी द्वारा मिसिल की गई, नवीनतम वार्षिक विवरणों के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड हरिदास मूंदड़ा के नियन्त्रणाधीन है। तथापि, 1961 के बाद सं० 600 के अनुसार, हरिदास मूंदड़ा, टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के हिस्सों का भोगस्वामी है।

(ग) नहीं, श्रीमान्। नवीनतम मिसिल किये गये तुलन-पत्रों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया है कि शालीमार टार प्रोडक्ट्स (1935) लि० के सिवाय, जिसने, 1965-66 तथा 1966-67 में भारी हानियां उठाई है, अन्य कम्पनियों की परिसम्पतियां या तो स्थिर रही अथवा उन्नत हुई।

(घ) पूर्वीय प्रदेशों के प्रादेशिक निदेशक तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, को इस समूह की कम्पनियों के ऊपर कड़ी दृष्टि रखने का परामर्श दिया गया है।

तलाक का अधिकार

6447. **श्री रणजीत सिंह : श्री हरदयाल देवगुण : श्री दी० चं० शर्मा : श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 488 के अधीन आदेश के अनुसार किसी हिन्दू आवेदक को हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त किये बिना प्रत्यर्थी से अलग रहने का क़ानूनी अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस न्यायिक पृथक्करण के आधार पर ये पक्षकार तलाक की डिक्री के द्वारा कभी भी अपना विवाह भंग नहीं करा सकते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी कठिनाई तथा उन्हें तलाक मांगने का अधिकार देने की वांछनीयता पर विचार किया है ।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 488 में यद्यपि इस बात को ध्यान में रखा गया है कि अपने पति से पृथक निवास करने पर भी किसी पत्नी को भरणपोषण भत्ता दिया जाए परन्तु यह तब जब कि वह उचित हेतुक दर्शित कर सकती हो, फिर भी यह धारा पृथक निवास करने का कोई वैध अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं देती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का असंतोषजनक कार्य

6448. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों से यह पता चला है कि इनमें से अधिकतर उपक्रमों का कार्य असंतोषजनक है तथा उनकी वित्तीय स्थिति खराब है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जिसका पूंजी विनियोजन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है और जिसमें आधुनिक उपकरण प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी हैं तथा जिसे सरकार से पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, की स्थिति अब भी चितातुर है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन सब सुविधाओं के होते हुए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 2,400 रुपये की लागत से एक टन इस्पात का उत्पादन करता है जबकि इंडियन आइरन्स की उत्पादन लागत 925 रुपये प्रति टन है तथा इसका घाटा वर्ष 1966-67 में 19.8 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1967-68 में 37.5 करोड़ रुपये हो गया था; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का सामान्यकरण संभव नहीं है । कुछ उपक्रमों ने अच्छा कार्य किया है, कुछ ने अच्छा नहीं किया है । 67 उपक्रमों में से (निर्माणाधीन उपक्रमों तथा भारत के जीवन-बीमा निगम को छोड़कर) 39 को वर्ष 1967-68 में लाभ हुआ ।

(ख) से (घ) : जिन मूल कठिनाइयों के रहते हुए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कार्य कर रही है उनका उल्लेख 'परफार्मेंस आफ हिस्दुस्तान स्टील' नामक पुस्तिका में किया गया है जिसकी प्रति 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी एक कठिनाई यह है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की पूंजीगत लागत अधिक है जिसका पता इंडियन आयरन की तुलना में हिन्दुस्तान स्टील के अधिक 'ग्रास ब्लाक' से लगता है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1966-67 में 229.39 मिलियन रुपये और 1967-68 में 401.19 मिलियन रुपये का घाटा हुआ । सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों

के कार्यकरण में सुधार करने के लिए जो उपाय किये हैं / कर रही है उनका उल्लेख उपर्युक्त पुस्तिका में किया गया है ।

ढलाई उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता

6449. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढलाई उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 1970-71 की अनुमानित मांग से 1,00,000 मीट्रिक टन बढ़ चुकी है और जिन नये ढलाई घरों के लिए लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं उनकी स्थापना से तथा बोकारों, रूरकेला तथा अन्य स्थानों पर बनाये जाने वाले घरों के परिणाम-स्वरूप इसमें 1,00,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हो जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : 'ढलाई उद्योग' का स्पष्ट तात्पर्य-इस्पात की ढली वस्तु उद्योग से है। अनुमान है कि 1973-74 तक इस्पात की ढली वस्तुओं (मिश्रित इस्पात की ढली वस्तुओं सहित) की आवश्यकता 200,000 से 250,000 मी० टन प्रति वर्ष तक हो जायेगी। जिसके लिए 250,000 से लेकर 310,000 मी० टन प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी। उस समय तक अधिष्ठापित क्षमता 320,000 मी० टन तक हो जाने की आशा है और ढली हुई विशिष्ट वस्तुओं जैसे भारी विद्युत उपकरणों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उद्योग के संगठित क्षेत्र में इस समय अधिष्ठापित क्षमता लगभग 1.35 लाख मी० टन प्रति वर्ष है। इसमें इस्पात संयंत्रों आदि की बाधित क्षमता अथवा लघु क्षेत्र की क्षमता सम्मिलित नहीं है। यह उद्योग अब उद्योग अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी उपबन्धों से मुक्त है और निश्चित रुप से यह बता सकना सम्भव नहीं है; कि आगामी दो तीन वर्षों में कितनी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो सकेगी।

मंदी की प्रवृत्तियों के कारण विशेष रूप से मशीन निर्माण आदि जैसे उद्योगों में जिनके लिए इस्पात की ढली वस्तुएं पूरक उद्योग के रूप में कार्य करती हैं, अधिष्टापित क्षमता के बहुत कम अंश का उपयोग हो रहा है। फिर भी उपयोक्ता उद्योगों की बढ़ती हुई मांग से स्थिति में सुधार हो रहा है।

तांदूर स्टेशन पर आक्रमण

6450. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 फरवरी, 1969 को लगभग 300 छात्रों ने हैदराबाद के निकट तांदूर स्टेशन पर आक्रमण किया था तथा रेलवे की सम्पत्ति को बहुत अधिक क्षति पहुँचाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का व्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जाँच कराई गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जो हां। लगभग 300 से 400 विद्यार्थियों ने जिनमें कुछ बाहरी व्यक्ति भी शामिल थे, 24-2-69 को विकाराबाद-वाडी खंड के तांदूर स्टेशन पर हमला कर दिया और रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुँचाई। विद्यार्थी स्टेशन यार्ड में घुस गये और उन्होंने केबिन पर पत्थर बरसाये जिनसे सभी खिड़कियों के शीशे टूट गये। एक दूसरा जत्था समपार फाटक सं० 12/क की ओर बढ़ा और उसने फाटक और सिगनल लैम्प को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसने डाउन स्टार्टर सिगनल के सभी संचार तार काट दिये और वे लोग फाटक से ग्रुप टेलीफोन उठा ले गये। भीड़ पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आन्दोलन कर रही थी।

(ग) तांदूर की जिला पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और जाँच-पड़ताल अभी हो रही है।

बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना

6451. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन, कपड़ा, सीमेंट आदि बुनियादी उपभोक्ताओं उद्योगों पर से लाइसेंस संबन्धी नियंत्रण हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उसकी क्रियान्वित के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) : सीमेंट, कागज़ तथा वनस्पति उद्योगों को उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस को प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है। वस्तु उद्योग को इसी प्रकार मुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहाँ तक चीनी का सम्बन्ध है, इस उद्योग से अभी लाइसेंस हटाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

The Collective Farms and Forests Company, Kheri-Lakhimpur (U. P.)

6452. **Shri Sarjoo Pandey :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the collective Farms and Forests Company, Kheri-Lakhimpur (U. P.) was registered in 1948 ;

(b) if so, the number of Directors and the total capital thereof at that time ;

(c) whether it is a fact that the said company has not paid any tax to Government so far ;

(d) whether any complaints regarding irregularities by the said company were received by Government ; and

(e) if so, the action being taken thereon ?

Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) Yes, Sir. The Collective Farms and Forests Company Private Ltd was registered on 27.12.1948.

(b) At the beginning the company had seven Directors and an authorised capital of Rs. 5 lakhs.

(c) No, Sir. The Company has paid Rs. 29,524.60 to the Government by way of various taxes during the period 30.6.1956 to 30.6.1967. Of this amount, income-tax accounted for Rs. 4,209 and Agriculture income-tax for Rs. 638. Information for the period prior to 1956 is not available as private limited companies were exempt from filing annual returns under the provisions of the Indian Companies Act, 1913.

(d) Yes, Sir. One complaint was received agaiast the company in the year 1967 regarding charging of travelling allowances by the Directors for attending Board meetings.

(e) The allegations made by the complainont were not substantiated by the records of the company produced by it to the Registrar. No further action in the matter was, therefore, taken.

Housing Scheme for Scheduled Castes/scheduled Tribes sent by Goa Government

6453. **Shri K. M. Madhukar :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Goa have sent a scheme for the housing of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people for the approval of the Central Government ;

(b) if so, the details of the scheme, the time by which the Central Government are likely to approve the scheme and the extent of assistance proposed to be given therefor ; and

(c) if no assistance is proposed to be given, the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :

(a) **to** (c) : The so-called "scheme" was a draft of procedural regulations for disbursement of housing grants to members of the Scheduled Castes and Tribes. The draft regulations were approved several weeks ago. Under the regulations, the State Government is competent to release grants not exceeding Rs. 1200/- in each case. Central assistance will be released from time to time in accordance with plan and budgeting provisions.

अहमदाबाद-आबु रोड रेल सेवा को मारवाड़ जंकशन तक बढ़ाना

6454. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन को अहमदाबाद-आबु रोड रेल सेवा को गर्मियों के महीनों में मारवाड़ जंक्शन तक बढ़ाने के लिये आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में महीने-वार कितने यात्रियों ने अहमदाबाद से आबु रोड तक और आबु रोड से मारवाड़ जंक्शन तक यात्रा की ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) आवेदन पर विचार किया गया है और उससे सिद्ध होता है कि छुट्टियों के यातायात का अधिकांश अहमदाबाद और आबु रोड के मध्य होता है। कुछ ही यात्री आबु रोड से आगे मारवाड़ की ओर जाते हैं, जिनके लिए वर्तमान रेल सेवाओं की क्षमता बढ़ा कर गर्मियों के महीनों के यातायात को पूरा किया जा सकता है। अहमदाबाद-आबु रोड के मध्य चलने वाली विशेष गाड़ियों का मारवाड़ जंक्शन तक विस्तार करने में कोई औचित्य नहीं है।

(ग) विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 771/69]

फालना और रानी स्टेशनों पर ऊपर के पुल

6455. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में फालना और रानी स्टेशनों पर रेल समपारों के स्थान पर ऊपर के पुलों के बनाने का रेलवे प्रशासन का क्या कार्यक्रम है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुरोध किये गये हैं ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) वर्तमान नियमों के अनुसार मौजूदा समपारों के स्थान पर ऊपरी / निचले सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा यह बताते हुए प्रायोजित किये जाने चाहिए कि इस काम की सापेक्ष अग्रता क्या है और इस काम की लागत में सड़क प्राधिकरण के हिस्से की रकम की व्यवस्था किस वर्ष की जायेगी।

अभी तक राजस्थान सरकार ने फालना और रानी स्टेशनों पर मौजूदा समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

(ख) जी हां।

Central Grants to Madhya Pradesh Social Welfare Department

6456. **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of Central Grants given to Social Welfare Department of Madhya Pradesh in 1966-67, 1967-68 and 1968-69 respectively as also the amount allocated therefor for 1969-70 ;

(b) whether it is a fact that there has been a reduction in such grants during the year 1968-69 as compared to earlier years ;

(c) if so, the reasons thereof ; and

(d) whether fees are charged from Harijan and Adivasi students of most of the classes as the State Government is unable to bear the expenses due to reduction in Central grants ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) The amount of Central Grants given to Social Welfare, and Tribal and Harijan Welfare Departments of Madhya Pradesh Government is as under;

1966-67	Rs. 346.55 lakhs	
1967-68	Rs. 235.78 ,,	(including loan of Rs. 16 lakhs)
1968-69	Rs. 288.42 ,,	

Outlay for 1969-70 has not been finalised.

(b) The figure for 1968-69 exceeds that for the previous year by more than Rs. 50 lakhs. The difference in the figures for 1966-67 and 1967-68 is accounted for by the fact that the State Government had reduced the size of its plan in this sector; there was also a reduction in the centrally sponsored programmes due to budgetory cuts.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

त्रिपुरा में बनों पर आधारित उद्योग

6457. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में बनों पर आधारित उद्योगों के स्थापित करने और विस्तार करने का कोई कार्यक्रम भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का व्यौरा और परिव्यय क्या है ; और

(ग) यदि योजना आयोग ने कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है और यदि किन्ही परिवर्तनों के साथ तो किन-किन परिवर्तनों के साथ ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) त्रिपुरा सरकार ने अपने क्षेत्र में वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने का कोई निश्चित प्रस्ताव चतुर्थ वर्षीय योजना के मसौदे में प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

त्रिपुरा में रेलवे लाइनों का विस्तार

6458. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या रेलवे मंत्री 5 मार्च, 1969 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में, जिसमें उन्होंने सामरिक महत्व के क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का विस्तार करने का आश्वासन दिया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइनों का विस्तार करने के प्रयोजन से त्रिपुरा को, जो पूर्वी पाकिस्तान से तीन दिशाओं से घिरा हुआ है सामरिक महत्व का क्षेत्र समझा जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस क्षेत्र के सामरिक महत्व के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के विस्तार की योजनाओं का व्यौरा क्या है और इन्हें कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) : सामरिक महत्व के आधार पर नई लाइनों के सुझाव प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं। उन्होंने सामरिक दृष्टिकोण से त्रिपुरा में किसी नई लाइन के निर्माण के लिए नहीं कहा। फिर भी धर्म नगर से अगरतल्ला तक रेलवे लाइन के विस्तार-कार्य का व्यय तथा अर्थ क्षमता जानने के लिए शीघ्र ही सर्वेक्षण किया जायेगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की उत्पादन दर में कमी

6459. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन दर गत वर्ष की तुलना में बहुत कम रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारी मशीनी औजारों के उत्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है और यह गत वर्ष के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में कैसी है ;

(ग) क्या भारी मशीनी औजारों के उत्पादन में कमी होने के कारणों की जाँच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) से (घ) : वर्ष 1967-68 और 1968-69 का उत्पादन इस प्रकार है :—

	1967-68	1968-69
भारी मशीनें बनाने का कारखाना	14611 टन	23850 टन
फाउण्ड्री फोर्ज कारखाना	9003 टन	16687 टन
भारी मशीनी औजारों का कारखाना	15 मशीनें	8 मशीनें

वर्ष 1967-68 में भारी मशीनी औजारों के कारखाने में निर्मित मशीनें मुख्यतः आयातित घन-पात संघटक जोड़ कर तैयार की गई थीं जबकि वर्ष 1968-69 में कारखाने में संघटकों के निर्माण में पर्याप्त वृद्धि हुई। जनवरी-मार्च, 1969 में कारखाने में लगभग 61 टन संघटकों का निर्माण किया गया।

राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में मिलने वाले भोजन का स्तर

6460. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस रेल गाड़ी में कुछ स्थान खाली रहते हैं

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक ट्रिप में कितने यात्रियों ने यात्रा की ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गाड़ी में उपलब्ध किया जाने वाला खाना अच्छा नहीं होता ; और

(घ) यदि हां, तो भोजन के स्तर में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) अभी इस गाड़ी में उपलब्ध पूरे स्थान का उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन लगभग 75 प्रतिशत स्थान का उपयोग होने लगा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 772/69]

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

कर्मशियल क्लर्क

6461. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : श्री प० ला० बारूपाल : श्री ओंकारलाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री 11 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित मानदण्डों की उचित कार्यान्विति की पड़ताल के लिये सरकार ने क्या मार्गोपाय किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1968-69 में इस प्रकार के अनुदान की धन-राशि कम कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अधिकांश कक्षाओं के हरिजन तथा आदिवासी विद्यार्थियों से फीस ली जाती है क्योंकि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान की राशि कम किये जाने के कारण उस खर्च का बोझ वहन नहीं कर सकती ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (घ) : आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही हैं और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तर रेलवे ओक ग्रोव स्कूल, झारी पानी में प्रश्न-पत्रों का पहले पता लग जाना

6462. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ओक ग्रोव स्कूल, झारी पानी (मसूरी) में प्रश्न-पत्रों का पहले ही पता चल गया था ;

(ख) क्या कोई जांच की गई थी और अपराधी को पकड़ा गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराध आसूचना विभाग इस मामले की जांच कर रहा है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

6463. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने 1968 के दौरान कितनी मात्रा में केबल्स का निर्माण किया और चौथी योजना अवधि में कितनी मात्रा में निर्माण होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

वर्ष 1968 में उत्पादन के आंकड़े निम्नप्रकार हैं :—

	परिमाण (किलो मीटरों में)	मूल्य (लाख रु० में)
ड्राई कोर केबल	3748. 50	632. 65
को एम्सियल केबल	803. 25	207. 81
प्लास्टिक के तार और केबल	3345. 26	33. 23

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्पादन का प्रस्तावित कार्यक्रम है :—

वस्तु	चौथी योजना
ड्राई कोर	83 लाख सी० के० एम० (अनुमानतः)
को एम्सियल	20,000 टी० के० एम० (अनुमानतः)
प्लास्टिक के तार और केबल	3 से 5 लाख सी० के० एम०
तांबा चढ़े इस्पात के तार	6500 टन (अनुमानतः)

गुन्टाकल से मचेरला तक बड़ी लाइन

6464. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने गुन्टाकल से मचेरला तक लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और मचेरला से नागार्जुन सागर और आगे सिकन्दराबाद तक मिलाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इन लाइनों पर सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(घ) क्या इन लाइनों पर कार्य चौथी योजना के दौरान आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (घ) गुन्टूर-माचर्ला खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने और नडिकूडे से (गुन्टूर-माचर्ला खण्ड पर) सिकन्दराबाद तक नयी बड़ी लाइन बनाने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण का काम चल रहा है और इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो

आने की आशा है । इस प्रस्ताव पर आगे विचार तभी किया जा सकता है जब सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाये और उसके परिणाम का पता लग जाये ।

आन्ध्र प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

6465. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 18 से 25 अश्व शक्ति का और 52 से 65 **अश्व शक्ति** का ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उस का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्ताव के अनुसार कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(घ) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) मे० आन्ध्र एग्रो इण्डस्ट्रीज कम्पनी से सोवियत रूस के मै० प्रोमाश एक्स-पोर्ट के सहयोग से 8 अश्व-शक्ति से 20 अश्व-शक्ति के कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव अप्रैल, 1968 में प्राप्त हुआ था । चूंकि यह योजना अपूर्ण थी, अतः मई, 1968 में उनसे कुछ और जानकारी मांगी गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया समझा जा रहा है ;

इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए कारखाने लगाने के लिए तीन अन्य गैर-सरकारी पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए सिफारिश की है । इन प्रस्तावों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	पार्टी का नाम	प्रस्तावित स्थापन स्थल	ट्रैक्टर का नाम	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता (संख्या)	पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा	विदेशी सहयोग का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० प्रेम एग्रो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली ।	हैदराबाद	यू० 650-651 45/65 अश्व शक्ति	10,000	बताया नहीं गया है	मै० इण्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट आफ रूमानिया ।

1	2	3	4	5	6	7
2.	मै० इण्डियन एग्रो मशीन्स बम्बई।	हैदराबाद	आर० एस०-9 औजार वाहक 20 अश्व शक्ति	1 ,000	वही	पूर्वी जर्मनी के मै० ट्रैक्टोव वर्क्स शनिबेक।
3.	डा०आर०कमाल, हैदराबाद	हैदाराबाद	15-76, अश्व शक्ति	10,000	1.40 करोड़ रु०	पश्चिमी जर्मनी के मै० लिण्डे गुल्डनर।

ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

रेलवे में आशुलिपिकों का चयन

6466. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आशुलिपिकों की भर्ती के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आदेशों का आदर करने में रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद के असफल रहने के परिणाम-स्वरूप वर्ष 1966-67 से पहले चयन किये गये आशुलिपिकों की कठिनाइयों को कम करने के बिचार से दिये गये एक अतिरिक्त अवसर का लाभ केवल उन्हें हुआ है जो अधिक कुशल नहीं है और योग्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके मामले पर भी विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बोर्ड के अनुदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस अवधि में परीक्षा हुई थी उसमें उम्मीदवार पूर्णकालीन नौकरी कर रहे थे तथा उन्हें नए उम्मीदवारों की भांति परीक्षा के लिए उचित वातावरण नहीं मिल पाया, इसलिए अतिरिक्त अवसर दिया गया।

(ख) उन्हें किस प्रकार कुछ छूट दी जाये यह प्रश्न बिचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के आशुलिपिक

6467. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में डिवीजन-वार प्रत्येक वेतन-क्रम में कितने आशुलिपिक हैं ;

(ख) डिवीजन-वार 130-300 रुपये वेतन-क्रम प्राप्त करने वाले कितने आशुलिपिक हैं जिन्हें 210-425 रुपये के वेतन-क्रम में चयन प्रक्रिया से छूट मिली हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार रिक्त स्थानों को भरने के लिये नियुक्तियों को अन्तिम रूप दिये जाने तक ऐसे आशुलिपिकों को 210-425 रुपये के वेतन-क्रम में अस्थायी अवसर प्रदान करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

माहनार रोड स्टेशन पर प्रतीक्षालय

6468. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर माहनार रेलवे स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय बनाने के लिये जनता की कई वर्षों से मांग चली आ रही है;

(ख) क्या इस स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्रियों, जिनमें उच्च श्रेणी के यात्री भी हैं, के होने के कारण प्रतीक्षालय होना युक्ति संगत है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य 1969-70 से हाथ में लिया जा रहा है; यदि हां, तो उसके लिये क्या प्रावधान किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। इस स्टेशन पर ऊँचे दर्जे का यात्री यातायात इतना अधिक नहीं है कि उसके लिए एक प्रतीक्षालय बनाने का औचित्य हो।

(ग) सवाल नहीं उठता।

भगवानपुर स्टेशन के निकट रेलवे फाटक तक सम्पर्क सड़क

6469. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर भगवानपुर रेलवे के निकट रेलवे फाटक तक की सड़क कच्ची ही है हालांकि इसे पक्का बनाने की बड़ी माँग है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1969-70 में कार्य को हाथ में लिया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके लिये क्या प्रावधान किया गया है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जब भी आवश्यक समझा जाता है, सड़क की मरम्मत कर दी जाती है और

इस प्रकार सड़क को अच्छी हालत में रखा जाता है जिससे प्रयोग-कर्ताओं को कोई असुविधा न हो ।

(ग) और (घ) सड़क को पक्का बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है, कार्य 1969-70 में प्रारम्भ कर दिया जाएगा और उसके लिए धन की व्यवस्था पहले से ही है।

स्टेशनों पर माल उतारने, चढ़ाने व रखने के ठेके

6470. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के उन स्टेशनों, माल गोदामों, पारगमन गोदामों और लोको शेडों की संख्या कितनी है, जहाँ (1) गैर-सरकारी अधिकरणों अथवा ठेकेदारों (2) श्रमिकों की सहकारी समितियों द्वारा पार्सल शीघ्र पारगमन सेवा, माल और कोयले को चढ़ाने तथा उतारने का काम किया जाता है;

(ख) सहकारी आन्दोलन को गति देने और श्रमिकों की सहकारी समितियों को रेलवे में उचित तथा व्यावहारिक दरों पर माल चढ़ाने तथा उतारने के ठेके देने के लिये उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) (1) पूर्वी रेलवे के कलकत्ता क्षेत्र और दक्षिणी-पूर्वी रेलवे; और (2) स्यालदह, हावड़ा आसनसोल, आडरा और खड़गपुर डिवीजनों में माल उतारने तथा चढ़ाने के कितने ठेके सहकारी समितियों के पास है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) (1) रेलों पर 904 स्थानों पर प्राइवेट एजेंसियाँ / ठेकेदार माल चढ़ाने-उतारने का काम कर रहे हैं।

(2) रेलों पर 95 स्थानों पर श्रमिक सहकारी समितियाँ माल चढ़ाने-उतारने का काम कर रही हैं।

(ख) पेशगी और जमानत की रकम की अदायगी के सम्बन्ध में श्रमिक सहकारी समितियों को रियायत दी जाती है। हाल में ही इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि ऐसी सहकारी समितियों को माल और पार्सल तथा कोयला चढ़ाने-उतारने के लिए बिना टेंडर माँगे 1,20,000 रु० की सीमित रकम तक का काम सौंपा जाये और माल चढ़ाने-उतारने की दर अधिकारियों की समिति द्वारा निश्चित की जाये। जिन स्टेशनों पर फिलहाल माल चढ़ाने-उतारने का काम ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, वहाँ यथासम्भव श्रमिक सहकारी समितियाँ बनाने के लिए रेलों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) (1) एक।

(2) सात।

रेलवे में वरिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारियों के लिये आशुलिपिक

6471. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1965 में विशेष आदेश दिये जाने के बाद भी कुछ रेलों ने वरिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारियों को या तो 210-425 रुपये के वेतन-मान वाले आशुलिपिक नहीं दिये हैं या 130-300 रुपये वाले आशुलिपिक दिये हैं;

(ख) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में रेलवे के राज्य मन्त्री द्वारा सभा में दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कारों के शीशों की किस्म में गिरावट

6472. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास,** आन्तरिक व्यापार तथा सम**वाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कारों के दरवाजों और शीशें की किस्मों में घटियापन आने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ख) : सरकार को कारों की किस्म में कुछ खराबियों के विषय में कुछ शिकायतें मिली हैं जिसमें दरवाजों की खराब फिटिंग और कांच लगाया जाना भी शामिल है । इन शिकायतों के मिलने पर सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है जो कार की किस्म में गिरावट के कारणों की जाँच करेगी तथा इसमें सुधार करने के उपायों के बारे में सुझाव देगी । समिति की सिफारिशें निर्माताओं को बता दी गई हैं और इन सिफारिशों में से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का पालन करने का सुनिश्चय करने के लिए कानूनी निदेश जारी कर दिए गए हैं । विशेष रूप से विंड स्क्रीन के विषय में कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं देशी कारों में लगी विन्ड स्क्रीनों में लहरियापन और वक्रीकरण जैसी कुछ खराबियाँ पाई जाती हैं क्योंकि वे प्लेट कांच की बजाय देशी चादर की कांच के बने होते हैं । तदनुसार विन्ड स्क्रीन कांच के निर्माताओं को विन्ड स्क्रीनें बनाने के लिए प्लेट कांच का आयात करने हेतु आर्थिक सहायता दी गई । समझा जाता है कि देश के यात्री कारों के तीन निर्माताओं में से एक निर्माता अपनी कारों में प्लेट कांच से बनी विन्ड स्क्रीनों का पहले से ही उपयोग कर रहा है । शेष दो निर्माता अब भी शीट की बनी विन्ड स्क्रीनें अपनी कारों में लगा रहे हैं । प्लेट कांच से बनी विन्ड स्क्रीनों का प्रयोग न करने का कारण इन निर्माताओं के अनुसार यह है कि वे सीट कांच की बनी विन्ड स्क्रीनों की अपेक्षा अधिक मंहगी होती है । फिर भी उन्होंने यह कहा है कि देशी शीट कांच की किस्म में पर्याप्त सुधार हो गया है तथा उनके द्वारा बनाई जाने वाली विन्ड-स्क्रीनें बढ़िया किस्म के कांच की चादरों की बनी होती हैं ।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के कार्य संचालन के बारे में जांच

6474. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये स्थापित किये गये जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आयोग ने काम में विलम्ब के कारण बताये हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात की सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करेगी कि आयोग बिना किसी विलम्ब के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : जांच करने वाले अधिकारी की प्रगति सन्तोषजनक ढंग से चल रही है। सरकार को आशा है कि रिपोर्ट बिना अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बीकानेर डिवीजन में असिस्टेंट पर्सनल इन्सपेक्टर

6475. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में जोधपुर डिवीजन की तुलना में बीकानेर डिवीजन का क्षेत्र बड़ा है, इसके संस्थान बड़े हैं और इसके कर्मचारी अधिक हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जोधपुर डिवीजन की तुलना में बीकानेर डिवीजन में असिस्टेंट पर्सनल इन्सपेक्टरों (न्याय निर्णय) की संख्या कम है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) किसी विशेष मंडल में सहायक कार्मिक निरीक्षकों (न्याय-निर्णय) की संख्या कितनी होनी चाहिए, यह उस मंडल के कार्य-भार के आधार पर निश्चित की जाती है। बीकानेर मंडल में निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है।

रेलवे अधिकारियों द्वारा आयातित प्लेट प्यालों आदि का उपयोग

6476. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गण्यमान्य व्यक्तियों के उपयोग के लिये आयात किये गये प्लेट प्यालों आदि का उपयोग रेलवे अधिकारियों को करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो उनसे कितना शुल्क लिया जाता है; और

(ग) क्या गण्यमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किन्हीं व्यक्तियों को इन प्लेट प्यालों आदि का उपयोग करने की अनुमति है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

चुनाव याचिकाओं के निपटाने के लिए समय-सीमा

6477. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव याचिकाओं के मामलों को अन्तिम रूप देने तथा उनके निपटाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके फलस्वरूप कभी-कभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा विधान मण्डलों की सदस्यता की पूरी अवधि का लाभ उठा लिये जाने के पश्चात् उनके चुनाव अवैध घोषित किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों के निपटारे के लिये उचित समयी-समय-सीमा निर्धारित करने के लिये कानून में संशोधन करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) निर्वाचन अर्जियों को निपटाने के लिए कोई कानूनी समय-सीमा नहीं है। किन्तु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 (7) में यह उपबन्ध किया गया है कि निर्वाचन अर्जियों का विचारण यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और यह प्रयत्न किया जाएगा कि उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय में विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण समाप्त कर दिया जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निर्वाचन अर्जियों को निपटाने के लिए कानूनी समय-सीमा नियत करना और इस प्रकार उच्च न्यायालयों के विवेक पर अनावश्यक रूप से बन्धन लगाना न तो वाँछनीय हैं और न उचित ही है। अर्जियाँ निपटाने में विलम्ब होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अन्तर्वलित विवाद्यकों की जटिल प्रकृति, बड़े-बड़े अभिलेख और अनगिनत साक्षियों की परीक्षा।

अतः न्यायालयों को अर्जियों का विचारण उचित रूप से करने की दृष्टि से इन सब बातों की जांच बड़ी सावधानी से और पूरी तरह से करनी पड़ती है। वर्तमान विधि के अधीन, विधि के प्रश्न हों चाहे तथ्य के प्रश्न, दोनों पर उच्चतम न्यायालय में अपीलें अधिकार के रूप में की जा सकती हैं जिसके कारण निर्वाचन अर्जियों का अन्तिम निपटारा करने में कुछ युक्तियुक्त विलम्ब हो जाता है। निर्वाचन अर्जियों का विचारण उच्च न्यायालयों द्वारा किए जाने की वर्तमान व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह चल रही है और अनुभव यह बताता है कि निर्वाचन अर्जियाँ पहले की अपेक्षा अधिक शीघ्रता के साथ निपटाई जा रही हैं। इन कारणों से, सरकार अर्जियों को निपटाने के सम्बन्ध में किसी कानूनी समय-सीमा के पक्ष में नहीं है।

राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

6478. **श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना तथा उसमें सम्मिलित किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में अभी अन्तिम निर्णय किया जाना शेष है अतः योजना की अवधि में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में किन-किन उद्योगों के स्थापित किए जाने की संभावना है । यह बता सकना अभी संभव नहीं है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में घड़ियों का उत्पादन

6479. **श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ने कितनी घड़िया तैयार की थी; और

(ख) वर्ष 1969 का लक्ष्य क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) कलेण्डर वर्ष 1968—288,504 घड़ियाँ।

(ख) लक्ष्य कलेण्डर वर्ष के अनुसार तैयार न किए जाकर वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं । 1968-69 तथा 1969-70 में उत्पादन के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

1968-69	3,00,000 घड़ियां
1969-70	3,60,000 घड़ियां

उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

6480. **श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में (आज तक) उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कितनी नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश और आँध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा किन-किन रेलवे लाइनों को बिछाने की सिफारिश की गई है; और

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र

विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि अंशतः आंध्र प्रदेश में पड़ने वाली बेलाडिल्ला-कोटट्वलासा लाइन और आँध्र प्रदेश में रेणिगुंटा और तिरुपति के बीच एक अलग बड़ी लाइन 1968-69 में यातायात के लिए खोली गयी थी। अंशतः उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली ओबरा से सिंगरौली तक बड़ी लाइन को 1968-69 में पूरा किया गया।

(ख) और (ग)-चालू वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने नयी लाइनों के निर्माण के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं की। फिर भी, जैसा कि आँध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है, सिकन्दराबाद और नडिकुडे के बीच एक नयी बड़ी लाइन बनाने और भद्राचलम रोड-कोव्वूर रेल सम्पर्क के लिए पहले किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अद्यतन करने के साथ-साथ गुंटूर-माचेर्ला मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये हैं और इस सम्बन्ध में आगे काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और हल्द्वानी के बीच एक नयी रेल लाइन बनाने के लिए भी सर्वेक्षण किये गये हैं।

कियूल पूर्वी रेलवे के निकट 39 अप अपर इंडिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

6481. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में कियूल रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर 13 मार्च, 1969 को 39 अप अपर इंडिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी के तीसरी श्रेणी की दो बोगियां पटरी से उतर गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस दुर्घटना के कारण रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय 23-3-1969 को हुई उस दुर्घटना से है जिसमें किऊल स्टेशन में प्रवेश करते समय 13 अप अपर इंडिया एक्सप्रेस का इंजन और दो बोगियां पटरी से उतर गयीं।

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

(ग) जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोक थाम के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी और दुर्घटना के लिए जिम्मेवार कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(घ) रेल सम्पत्ति की क्षति की लागत लगभग 800 रुपये होने का अनुमान है।

रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गोलीकांड

6482. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में रेलवे सुरक्षा दल ने कितनी बार गोली चलाई;

(ख) इसके फलस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये;

(ग) गोली लगने से मरे लोगों के परिवारों को यदि कोई मुआवजा दिया गया तो कितना; और

(घ) गोली चलने के कितने मामलों की जांच कराई गई और कितने मामलों में गोली चलाना अनुचित पाया गया ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) वर्ष 1968 के दौरान रेलवे सुरक्षा दल ने 86 बार गोली चलाई।

(ख) 35

(ग) कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अपराधियों के साथ मुठ-भेड़ गैर सरकारी जन-धन की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी।

(घ) 9 मामलों की अदालती जांच कराई गई तथा सब मामलों में गोली चलाना उचित पाया गया। फिर भी अन्य चार मामलों में स्थानीय पुलिस ने प्रारम्भिक जांच के उपरान्त रेलवे सुरक्षा दल के विरुद्ध प्रज्ञेय अपराध दायर किए जिनकी पुलिस जाँच कर रही है।

Pilgrims Tax From Railway Passengers

6483. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pilgrims tax is charged on certain Railway Stations on the Indian Railways ;

(b) if so, the number of such stations ;

(c) whether such tax has been levied in consultation with State Governments concerned ; and

(d) the income from such tax during 1968-69 to Government ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b) Yes. This tax is levied on Railway passengers travelling to/from 139 railway stations at present.

(c) Yes.

(d) The figures are not available since the accounts for 1968-69 have not yet been closed.

पूर्वी राजस्थान में रेल परियोजनाएं

6484. **श्री बृजराज सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र आर्थिक विकास के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी राजस्थान के विकास की गति को तेज करने, विशेषकर झालावाड़ (पश्चिमी रेलवे) को एक बड़ी लाइन से मिलाने के लिए सरकार का कौन-सी नई परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये नई लाइनों का निर्माण नहीं किया जा सकता। आजकल नई लाइनों के निर्माण में बहुत लागत आती है और जब तक रेलवे के पूंजी विनियोजन से पर्याप्त आय सुनिश्चित न हो जाय, इन लाइनों के स्थायी प्रभारों का रेलवे की पहिले से ही कठिन वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अन्ततोगत्वा यह सामान्य राज-कोष पर एक भारी भार होगा। अतः इस समय केवल उन नई लाइनों के निर्माण पर विचार किया जा सकता है जिनसे अयस्कों और खनिजों तथा अन्य माल के काफी मात्रा में यातायात की गुंजाइश हो सके। इस आधार पर पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ में एक बड़ी रेलवे लाइन की व्यवस्था अथवा इस क्षेत्र में किसी अन्य नई रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में विचार के लिये प्राथमिकता नहीं दी जा सकती और इसके लिये उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

Translation of State Laws into Hindi

6485. **Shri Nageshwar Dwivedi** :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 570 on the 18th March, 1969 and state :

(a) when the work of translation of State laws into Hindi would start ; and

(b) the names of laws which are to be translated in the first phase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) :

(a) The work of translation of State laws which are in languages other than Hindi into Hindi is proposed to be taken up after the completion of the preparation of Hindi texts of Central Laws.

(b) Does not arise.

डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, नई दिल्ली के रेलवे एक्सचेन्ज में हैड गीयर टेलीफोन

6486. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के हैड गीयर टेलीफोन जो सरकार द्वारा मानकीत किये गये हैं; डिवाजनल सुपरीनटेंडेंट कार्यालय, नई दिल्ली के रेलवे एक्सचेंज को प्रदान किये गये हैं;

(ख) क्या यह हैड गीयर अच्छे माल का प्रयोग न किये जाने के कारण टिकाऊ नहीं है क्योंकि थोड़े ही समय में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में बने अनेक टेलीफोन टूट गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो हैडगीयर टेलीफोन की इस किस्म को मानकीकृत करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रा (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) डिवाजनल सुपरिनटैंडेंट कार्यालय, नई दिल्ली के रेलवे टेलीफोन एक्सचेंज आपरेटरों

को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा मानकीकृत और निर्मित हैड गीयर टेलीफोन प्रदान किये गये हैं।

(ख) जी, नहीं, ये हैड गीयर भारी हैड गीयरों की तुलना में, जो पहिले प्रयोग में आते थे, काफी हल्के हैं और इनके टूटने के मौके तभी आते हैं जब कि इनका लापरवाही से प्रयोग किया गया हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Theft of Railway Property

6488. **Shri Ramavtar Sharma : Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Protection Force personnel have a hand in the cases of thefts of Railway property ;

(b) if so. the number of employees in each category caught for this misdeed during the last year and during the current year till date ;

(c) whether Government propose to adopt any strong measures for the verification of the character of recruits for the said Force ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No. However, in some cases a few of them have been found involved.

(b) The number of Railway Protection Force personnel found involved in theft cases on all the zonal railways is as under :

1968	443
1969 (upto February)	13

Category-wise figures are not available. However, they are all Class IV staff, except 1 Sub-Inspector.

(c) and (d) There is a specific procedure for recruitment as prescribed in the R. P. F. Rules and Regulations made under the R. P. F. Act, 1957. Apart from other checks exercised, the character and antecedents of candidates are also verified by police before the appointments are made.

रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का चोरी में हाथ

6489. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1969 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेलवे में होने वाली चोरियों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का भी हाथ होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो चोरी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के जिन कर्मचारियों का चोरी के मामले में होना सिद्ध हो जाता

है, उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। अन्य मामले, जो साक्ष्य की कमी के कारण अदालत में नहीं भेजे जाते, उन पर भारी दण्ड के लिए विभागीय कार्रवाई की जाती है।

औद्योगिक बस्तियों के उत्पादन

6490. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बस्तियों के उत्पादन में विविधता लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि इनका अधिक उत्पादन किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुई का व्यापार

6492. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के व्यापारियों ने रूई के अग्रिम सौदे करने की अनुमति देने के लिए सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने न तो रुई व्यापारियों के अनुरोध को माना है और न चालू सीजन में रुई के अग्रिम सौदे करने की अनुमति ही दी है।

कन्नौज के निकट कूडापुर में रेलवे क्लर्क की हत्या

6493. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : क्या रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च, 1969 को फर्रुखाबाद-कानपुर यात्री गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में कन्नौज के निकट कूडापुर के रेलवे क्लर्क को मृत पाया गया था ;

(ख) क्या उन परिस्थितियों की जांच की गई है जिनमें हत्या की गई थी;

(ग) क्या बार-बार आलोचना किये जाने के बावजूद रेल गाड़ियों में अपराध कम नहीं हुए हैं; और

(घ) उपरोक्त मामले में रेलवे सुरक्षा दल को क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां। रेलवे स्टेशन का नाम खुदलापुर है।

(ख) फरुखाबाद की सरकारी रेलवे पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच पड़ताल हो रही है ।

(ग) और (घ)-जी हां । चलती गाड़ियों में यात्रियों की जान और माल की हिफाजत 'अपराध सम्बन्धी ड्यूटी' है जिसके लिए राज्य सरकार और सरकारी रेलवे पुलिस जिम्मेदार है । जबकि रेल सुरक्षा दल का उत्तरदायित्व रेल सम्पत्ति की सुरक्षा और संरक्षा करना है । फिर भी, जब कभी आवश्यकता पड़ती है, रेल सुरक्षा दल रेलों पर कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार पुलिस की सहायता करता है । अपराध सम्बन्धी मामलों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार से हर समय निकट सम्पर्क रखा जाता है और जब भी कोई गंभीर अपराध होता है तो उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान तुरन्त दिलाया जाता है और किसी विशेष क्षेत्र या गाड़ी में अपराध सम्बन्धी घटनाएं न बढ़ने पाये इसके लिए उपचारी उपाय किये जाते हैं ।

Sale of Inferior Quality Honey in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

6494. **Shri A. Dipa** :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Manager of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi, had allowed the sale of inferior quality of honey in the Bhawan inspite of the ban imposed on its sale by Government.

(b) if so, full details in regard thereto ;

(c) whether it is also a fact that cash payment was accepted for the retail sale of this honey but no Cash Memos were issued therefor and the sale has been entered in the books of the Bhawan ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government against the Manager of the Bhawan responsible therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) to (d) : The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Khadi and village Industries Commission

6495. **Shri A. Dipa :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the dates on which the tenure of the present Chairman, Member Secretary and other Members of the Khadi and Village Industries Commission would be over ;

(b) the policy on the basis of which persons are nominated to all the said posts of the Commission ; and

(c) whether it is a fact that Government now propose to nominate such persons for full time who do not have any concern with any Khadi institution so that the work relating to Khadi could be done properly and the funds being granted by Government for this purpose could be utilised properly ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) 30th April, 1969.

(b) and (c) Persons considered suitable by Government to promote cause of Khadi and village industries are appointed to the Commission. Under rule 4 (e) of Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, a person is disqualified for appointment as a Member of the Commission if he has any financial interest in any business undertaking dealing with Khadi or any other village industry specified or deemed to be specified in the schedule to the Act. This rule does not, however, proclude the appointment of a person who is connected with such an institution in an honorary capacity.

Khadi Exhibition in connection with Gandhi Ji's Birth Centenary

6496. **Shri A. Dipa :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khadi and Village Industries Commission or Government propose to hold an exhibition in connection with the Gandhi Ji's Birth Centenary ;

(b) if so, full details in regard thereto and the expenditure involved thereon ;

(c) whether it is also a fact that the Manager of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi is being entrusted with some responsible job relating to the said exhibition, while many charges have already been levelled against him which are being investigated by Government ; and

(d) if so, the justification for entrusting such job to the Manager of the Bhawan ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) The Khadi and Village Industries Commission has decided to participate in an exhibition proposed to be organised under the auspices of the National Committee for Gandhi Centenary Celebration.

(b) Details are being worked out by the Khadhi and Village Industries Commission.

(c) No decision has so far been taken by the Khadi and Village Industries Commission about the personnel to be associated.

(d) Does not arise.

आस्ट्रेलिया से मोटर गाड़ी बनाने का कारखाना

6498. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया की फर्म 'जेटा' ने मोटर गाड़ी बनाने का एक पूरा कारखाना देने की पेशकश दिल्ली की एक फर्म को की है जो वर्ष में 12,000 छोटी कारें तैयार कर सकेगा;

(ख) क्या दिल्ली की फर्म ने पेशकश का विवरण अनुमति के लिये सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) : दिल्ली की जिन फर्म ने जीटा कार का निर्माण की योजना चलाई है उसने यह बताया है कि उसके आस्ट्रेलिया के सहयोगी ने उसे कहा है, 12,000 कारें प्रति-वर्ष की क्षमता के संयंत्र को उपहार स्वरुप देने का प्रस्ताव किया है। चूंकि फर्म ने इस प्रस्ताव का विस्तृत विवरण नहीं दिया है, अतः इसे फर्म से माँगा गया है।

Appointments in Instrumentation Ltd., Kota

6499. **Shri Naval Kishore Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of posts in different categories in the Instrumentation Limited, Kota, against which appointments have been made during the last three years, the pay-scales on which appointments have been made, the names of the States to which the persons appointed belong and the qualifications of the appointees separately ;

(b) whether the residents of Rajasthan have been deliberately neglected for appointment in the said concern ; and

(c) whether it is a fact that the residents of Rajasthan possessing higher qualifications as compared to candidates from other States have not been appointed on these posts ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Board of Directors of the Instrumentation Ltd., Kota

6500. **Shri Naval Kishore Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Members on the Board of Directors of the Instrumentation Limited, Kota ;

(b) the basis on which Members are nominated to the said Board ; and

(c) whether any private Member from Rajasthan has also been included in this Board of Directors and if not, whether Government propose to consider this aspect ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) The Articles of Association of Instrumentation Ltd., Kota provides for not more than fifteen Directors on its Board of Directors. The Company's existing Board of Directors comprises nine members, including the Chairman.

(b) The official members of the Board are nominated from (i) the administrative Ministry concerned, (ii) the technical and/or the Consumer Departments and (iii) the Ministry of Finance. In the case of non-official members, besides a representative of labour interest, others are included on the basis of their suitability, usefulness and experience in guiding the management in its activities.

(c) The Board includes a non-official member drawn from Rajasthan.

Bonus to employees of Instrumentation Ltd., Kota

6501. **Shri Naval Kishore Sharma** :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Instrumentation Limited, Kota has paid any bonus to its employees ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Campany Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) and (b) : Under the provisions of Bonus Act, 1965, the Company is liable to pay bonus to its employees either from the accounting year in which the employer derives profit from such establishment or from the sixth accounting year following the accounting year in which the employer sells the goods produced or manufactured by him or renders services, as the case may be, from such establishment, whichever is earlier.

Since Instrumentation Ltd., Kota commenced production only in September, 1968, no payment of bonus is liable to be made by the Company to its employees at this stage.

मध्य रेलवे में कल्याण स्टेशन पर एक अन्य प्लेटफार्म

6502. **श्री बसवन्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य रेलवे के कल्याण स्टेशन, बम्बई पर उपनगरीय यात्रियों के लिये एक अन्य प्लेटफार्म बनाने की योजना तैयार की है ;

(ख) उस पर कितनी लागत आयेगी और उसका निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा तथा प्रस्तावित प्लेटफार्म वर्तमान प्लेटफार्म के किस ओर बनाया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पर एक होम प्लेटफार्म अत्यन्त आवश्यक है; और

(घ) वहां पर किये जाने वाले किसी अन्य संभावित परिवर्तनों का व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख)--यह योजना विचाराधीन है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

लोनावला-पूना लाइन (मध्य रेलवे) पर लूप लाइन का विस्तार

6503. **श्री बसवन्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर बम्बई क्षेत्र में लोनावला-पूना लाइन के कितने स्टेशनों पर लूपलाइन का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस लाइन पर कुछ अतिरिक्त सवारी तथा उपनगरीय गाड़ियां चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस लाइन पर बढ़ते यातायात का सामना करने के लिये कोई अन्य दीर्घकालीन योजना बनाई गई है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) लोनावला-पूना खण्ड पर सभी स्टेशनों पर लूप लाइनों का विस्तार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। यह अभी व्यावहारिक नहीं है।

(ग) इस खण्ड पर यातायात को सम्हालने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही हैं।

Suburban Transport arrangements in Bombay

6504. **Shri S. D. Baswant :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had formulated any scheme to improve the transport arrangements of the Central and Western Railways in Bombay during the last five years and if so, the details thereof ; and

(b) whether Government propose to control the situation by adding 14 compartments to the nine-compartments suburban train or by starting more suburban trains ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Subject to the availability of funds, provision is made in the Railways' Five Year Plans to meet the anticipated increase in traffic in all Metropolitan cities including Bombay. Details of schemes undertaken are available in the 'Works Machinery and Rolling Stock Programme of Railways' presented to Parliament every year with the Railway Budget.

(b) A scheme for the introduction of 12-car rakes for suburban services in Bombay area is at present under study.

साउथ इण्डिया वाइकोस कम्पनी, तमिलनाडु द्वारा लाभांश का भुगतान

6506. **श्री उमानाथ :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री के० रमानी : **श्री नम्बियार :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की साउथ इन्डिया वाइकोस कम्पनी ने 1964 से 1967 तक के वर्षों के लिये अपने अंशधारियों को कोई लाभांश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना लाभांश दिया गया है ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने कुछ वर्षों के लिए लाभांश दिया है, यद्यपि इसे हानि हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस राशि का किस प्रकार समायोजन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) प्रत्येक वर्ष में दिये गये लाभांश की राशि निम्नलिखित है :—

	रु०
1964 —	49,00,000/-
1965 —	49,00,000/-
1966 —	49,00,000/-
1967 —	29,40,000/-

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिम रेलवे में नई सवारी गाड़ियां चलाना

6507. **श्री बृजराज सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम रेलवे के आगरा, नागदा-रतलाम और आगरा-कोटा बीना लाइन के बीच के सैक्शनों पर चलने वाली कितनी नयी सवारी गाड़ियां चलाई गई;

(ख) कौन कौन सी गाड़ियां यात्रियों से पूरी भरी हुई चलती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अब भी भीड़ रहती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 1-10-67 से नं० 83 डाउन / 84 अप आगरा फोर्ट-गंगापुर सिटी सवारी गाड़ियों को कोटा तक बढ़ा दिया गया था ।

11-2-67 से सप्ताह में दो बार चलने वाली नयी दिल्ली-बम्बई सैन्ट्रल वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार कर दिये गये और 11-7-68 से सप्ताह के बाकी चार दिनों में 25 डाउन / 26 अप पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयीं ।

(ख) 83 डाउन / 84 अप सवारी गाड़ियों और 25 डाउन / 26 अप वातानुकूल/ पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियों के विभिन्न दर्जों में जितने स्थान उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं :—

	83 डाउन / 84 अप सवारी गाड़ियां	25 डाउन / 26 अप वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां (सप्ताह में तीन दिन)	25 डाउन / 26 अप पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियां (सप्ताह में 4 दिन)
पहला दर्जा वातानुकूल	—	18	14
पहला दर्जा	18	24	96
दूसरा दर्जा	20	—	—
तीसरा दर्जा	551	160	475
वातानुकूल कुर्सियान	—	219	—

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

इन्स्टरूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा

6508. **श्री ब्रजराज सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टरूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा ने अपनी पूरी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार नियमित रूप से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(ख) इसमें किस-किस वस्तु का उत्पादन होता है और देश में इन वस्तुओं के उत्पादन के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) इंस्टरूमेंटेशन लि० के कोटा एकक में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन सितम्बर, 1968 में प्रारम्भ कर दिया है किन्तु सम्पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता में नहीं।

(ख) कोटा एकक में निर्माण की जाने वाली वस्तुएँ निम्नप्रकार हैं :—

(1) थर्मोक्यूपलों तथा थर्मामीटरों की कुछ किस्में,

(2) मैग्नेटो-इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे टेम्प्रेचर-पाइरोमीटर;

(3) इलेक्ट्रकनिक सिंगल प्वाइंट इंडीकेटिंग रिकार्डिंग एण्ड ब्रिज इंस्ट्रूमेंट्स;

(4) मल्टी प्वांइट इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग उपकरण;

(5) फेरोडाइनमिक प्राइमरी तथा सेकेण्डरी इंस्ट्रूमेंट्स;

(6) इलेक्ट्रानिक रेगूलेटर;

(7) पेनल तथा डेस्कें।

चूंकि संयंत्र में उपयुक्त पदार्थों का वाणिज्यिक उत्पादन सितम्बर, 1968 में ही प्रारंभ हुआ है। अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता कि देशी उत्पादन के परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी।

इन्स्टरूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा में उत्पादन

6509. **श्री ब्रजराज सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पाँच वर्षों के लिए इन्स्टरूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी है ;

(ख) क्या विद्यमान क्षमता उक्त मांग को पूरा कर सकेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा के उत्पादों की मांग का निर्धारण 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया गया है।

(ख) और (ग) : उत्पादन यदि पूरा होने लगता है तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों की विद्यमान क्षमता कुछ विशिष्ट और बढ़िया किस्म के यन्त्रों को छोड़कर जो केवल कुछ उद्योगों में ही बनते हैं, मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

सिलीगुड़ी से गोट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक टैंक वैगन का भरा जाना और भेजा जाना

6510. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैंक वेगन संख्या 5055, जिसकी आर / आर संख्या 165206 दिनांक 14 जुलाई, 1965 थी और जिसमें खनिज भरे थे, पूर्वोत्तर रेलवे में सिलीगुड़ी से गोट (उत्तर प्रदेश) तक इण्डियन आयल कारपोरेशन के नाम भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस वैगन में किस प्रकार के तथा कितने खनिज थे;

(ग) यदि वह वैगन गोट नहीं पहुँचा तो कहां गया और किसको मिला;

(घ) किस तारीख को वह माल दिया गया;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में इण्डियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली ने सम्बन्धित रेलवे के साथ कोई पत्र व्यवहार किया था, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) 30 जून, 1965 से लेकर अब तक इंडियन आयल कारपोरेशन और रेलवे के बीच ऐसे कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जिस टंकी माल डिब्बे का उल्लेख किया गया है वह न्यू जलपाइगुड़ी से न कि सिलीगुड़ी से 14-7-1965 को लादा गया था और उसी दिन भेज दिया गया था।

(ख) बताया जाता है कि इस टंकी माल डिब्बे में घटिया किस्म का 18629 लिटर मिट्टी का तेल था।

(ग) और (घ) 31 जुलाई, 1965 को वह टंकी माल डिब्बा बरौनी के तेल शोधक कारखाने को सौंप दिया गया था।

(ङ) जी हां। 10-12-1965 को इंडियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के ब्रांच मैनेजर ने परेषण की सुपुर्दगी न किये जाने के कारण पुर्वोत्तर रेलवे पर 6487 रुपये 10 पैसे की क्षति-पूर्ति का दावा किया था। 18 मार्च 1966 को रेलवे ने उन्हें मूल रेलवे रसीद भेजने के लिए लिखा, लेकिन वह रसीद प्राप्त नहीं हुई। 13 अप्रैल 1966 को रेलवे ने दावेदार को सूचित किया कि वह परेषण गलत इंद्राज के कारण गड़हरा पहुंच गया था और उसे बरौनी तेल शोधक कारखाने के सुपुर्द कर दिया गया। 16 दिसम्बर, 1968 को गोरखपुर स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन के अधीक्षक ने एक पत्र भेजा जिसके साथ इंडियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के

ब्रांच मैनेजर द्वारा पूर्वोत्तर रेल प्रशासन को भेजे गये चार पत्रों की प्रतिलिपियाँ संलग्न थीं। लेकिन इन पत्रों के उस रेलवे के दावा कार्यालय में पहुँचने का पता नहीं लगा। इस मामले के निबटारे के उद्देश्य से रेलवे द्वारा फिर से जांच की जा रही है।

(च) इंडियन आयल कारपोरेशन और पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलों के बीच इस प्रकार के कोई अन्य मामले अनिर्णीत नहीं पड़े हुए हैं।

दिल्ली और आगरा में फर्मों पर छापे

6511. **श्री जुगल मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री दिल्ली और आगरा में फर्मों पर छापे से सम्बन्धित 25 मार्च, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 4303 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और आगरा की किन-किन फर्मों पर छापे मारे गये थे; और

(ख) सरकारी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रत्येक फर्म के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 773/69]

पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए लाइसेंस

6512. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 25 मार्च, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 4285 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये किन व्यक्तियों ने आवेदन दिये;

(ख) किन-किन व्यक्तियों को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये, प्रत्येक कारखाना किस स्थान पर लगाया जायेगा और उनमें किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा; और

(ग) उक्त अवधि में जिनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं अथवा जिन्होंने लाइसेंस वापस कर दिये हैं; उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिमी बंगाल से उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 342 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से अधिकतर आवेदन अभी विचाराधीन हैं और जिन आवेदनों पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है उनके ब्यौरे सामान्यतः प्रकट नहीं किये जाते।

(ख) और (ग) जारी किये गये तथा रद्द किये गए लाइसेंसों का ब्यौरा जिसमें आवेदकों के नाम, स्थापना स्थल, तथा निर्मित की जाने वाली वस्तुएँ भी सम्मिलित हैं, साप्ताहिक बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज इम्पोर्ट लाइसेंसन एण्ड एक्स्पोर्ट लाइसेंसज्ञ 'इन्डियन ट्रेड जर्नल'

तथा मासिक 'जर्नल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' में निरन्तर प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

पश्चिम बंगाल में नये उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र

6513. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री पश्चिम बंगाल में नए उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रों के बारे में 25 मार्च, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 4369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवेदन कर्ताओं का पूरा व्यौरा क्या है जिनसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) किन-किन आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस दिया गया और शेष 13 आवेदनकर्ताओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 774/69]

कमानी मैटल एण्ड एलायेज लिमिटेड बम्बई को लाइसेंस

6514. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) कमानी मैटल एण्ड एलायेज लिमिटेड और (2) कमानी मेटेलिक आक्साइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ने किस तिथि को लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था और ये कम्पनियाँ कब से चालू हैं;

(ख) इसको चलाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं और इनके द्वारा किनका निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने के समय से अब तक कुल कितना उत्पादन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

कुछ समवायों के निदेशक तथा अंशधारी

6515. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित समवायों के निदेशकों और बीस प्रमुख अंशधारियों के नाम क्या हैं :

(1) कामानी मेटेलिक आक्साइड्स प्राइवेट लिमिटेड,

(2) लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड,

(3) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, और

(4) कामानी ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

ढले इस्पात के डिब्बों का आयात

6516. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में प्रयोग के लिए सबसे उत्तम डिब्बों का चयन करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा ढले इस्पात के विभिन्न प्रकार के डिब्बों का आयात किया गया था;

(ख) क्या उनका परीक्षण पूरा होने से पहले ही मंत्रालय ने किसी डिब्बे के पक्ष में निर्णय कर लिया था;

(ग) क्या इन्हें एक विदेशी फर्म के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय करने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) डिब्बों पर आवश्यक परीक्षण पूरा करने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम जर्मन रेलवे के साथ माल डिब्बों के बारे में करार

6517. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय का विचार माल डिब्बों के निर्माण में विदेशी सहयोग प्राप्त करने हेतु पश्चिम जर्मनी की रेलवे के साथ एक करार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय औद्योगिक दृष्टि में उन्नत देशों में इस सम्बन्ध में हुए तकनीकी विकास के गुण दोषों को ध्यान में रख कर किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Derailment of Jodhpur Mail

6518. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri A. Sreedharan :
Shri Deven Sen :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ramchandra J. Amin :
Shri Kikar Singh :
Shri D. R. Parmar :
Shri K. Lakkappa :
Shri S. K. Tapuriah :
Dr. Karni Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the causes of the derailment of Jodhpur Mail Train on the 30th March, 1969 ;

(b) whether this incident took place as a result of any subversive activities or due to negligence on the part of employees ; and

(c) the loss of life and property as a result of the said derailment ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b) The accident occurred on 29.3.1969. The Additional Commissioner of Railway Safety has held his statutory inquiry into this accident. His report is awaited.

(c) There was no loss of life. The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 1,71,500/-

Availability of Steel

6519. **Shri Jageshwar yadav :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all kinds of steel have been decontrolled and if so, whether steel of all kinds is easily available to the people in the market ;

(b) the present capacity of production of steel in the country plant-wise ; and

(c) whether steel is also imported from abroad or it is produced in a quantity adequate enough to meet the requirements of the country and also to export to other countries ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) :

(a) All categories of iron and steel have been decontrolled with effect from 1.5.67. Some categories are easily available in the market, whereas certain categories, like sheets and plates, production of which is less than the demand, have become scarce.

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) Certain categories of steel which are in short supply or are not produced in the country are allowed to be imported in accordance with the import licensing policy in force. Items in easy supply position like bars, rods, structurals, etc., are allowed to be exported.

Statement

Annual capacity of main producers of iron and Steel (In thousand tonnes)

Product	**Bhilai**		**Durgapur**		**Rourkela**		**Tisco**	**IISCO**
	MTP	**After I Exp**	**MTP**	**After I Exp**	**MTP**	**After I Exp**		
Ingot Steel	1,000	2,500	1,016	1,600	1,000	1,800	2,000	1,000
Semis for Sales	150	315	238	370	---	---	300	150
Finished Steel	620	1,650	576	869	*608	1,150	1,200	650

Death of a Khalasi in Samastipur Workshop (North-Eastern Railway)

6520. **Shri Bhogendra Jha :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 20th February, 1969, a Khalasi, named Darshan Rai, died on duty in Samastipur (North Eastern Railway) ;

(b) whether it is also a fact that the said Khalasi was a heart patient and that the doctors had recommended that he should be given some light work ;

*Excluding pipes.

(c) whether it is also a fact that against the advice of the doctors he was given heavy duty as a result of which he died on duty ; and

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, the details of action taken to fix the responsibility therefor and to pay compensation to the family of the deceased ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) to (d) : Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

वर्धा में इस्पात ढालने का कारखाना

6521. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्धा में इस्पात ढालने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव त्याग दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : इस्पात की ढली और गढ़ी हुई वस्तुओं की मांग के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार इस उद्योग में उपलब्ध विद्यमान क्षमता को ध्यान में रखते हुए वर्धा में प्रस्तावित ढलाई परियोजना को तत्काल कार्यान्वित करने का कोई विचार नहीं है। इस विषय पर यथासमय पुनः विचार किया जायेगा।

नैनी में इस्पात ढलाई कारखाना

6522. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में नैनी में इस्पात ढलाई कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को त्याग दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पहले की प्रत्याशा की अपेक्षा यातायात की वृद्धि मन्द पड़ जाने के कारण देश में इस्पात ढलाई उत्पादन कार्यों के सब से बाद के विकास को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के अंत तक चल-स्टाक के निर्माण और अनुरक्षण के लिए इस्पात की ढलाई की प्रत्याशित आवश्यकताओं के सम्बन्ध में 1967 में ब्योरेवार समीक्षा की गयी थी और यह पता चला कि चौथी और पांचवी योजना के दौरान नैनी में प्रस्तावित रेलवे इस्पात कारखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जामिया उस्मानिया स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में छात्रों द्वारा आग लगाई जाना

6523. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री क० लकप्पा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिकन्दराबाद-काचीगुडा मीटर गेज लाइन के जामिया उस्मानिया रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में कुछ छात्रों ने 28 मार्च, 1969 को आग लगा दी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में कोई जाँच की है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इससे सरकार को कितनी हानि हुई है ।

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और इसकी जाँच का काम भी अपराध आसूचना विभाग की अपराध शाखा ने ले लिया है । राज्य सरकार ने भी मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच कराने का आदेश दिया है जो अभी पूरी नहीं हुई है ।

(घ) लगभग 2,782 रुपये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये दिल्ली पोलिटैक्निक को धन का नियतन

6524. श्री **निहाल सिंह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री 3 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये नियत 5,60,000 रुपये की राशि 813 छात्रों में किस अनुपात तथा दर से वितरित की गई तथा कितनी धनराशि शेष बची ;

(ख) इन 813 छात्रों के अभिभावकों की अलग-अलग आय तथा उनके व्यवसाय क्या हैं, उनमें से प्रत्येक पर आश्रित उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है तथा जहाँ ये छात्र पढ़ रहे हैं उन कालेजों के नाम क्या हैं ;

(ग) ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें अभिभावकों ने अपनी आय के बारे में गलत प्रमाण-पत्र दिये हैं, तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) आय के बारे में जाँच करने के लिये, जनवरी 1968 से अब तक, लोगों तथा संसत्सदस्यों की ओर से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) दिल्ली के कालेजों तथा पोलिटैक्निक कालेजों में वर्ष 1968-69 में छात्रवृत्तियां देने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) और (ङ) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) 18 मार्च, 1969 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3508 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें अभिभावकों के अधिकतम तथा निम्नतम आय स्तर बताये गये हैं। अन्य ब्यौरे के एकत्र करने में जो समय और मेहनत आयेगी वह माननीय सदस्य के विचाराधीन प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगी । यदि विशिष्ट संदिग्ध मामलों का ब्यौरा दिया जाय, तो एक विशेष जांच करायी जा सकती है ।

(ग) और (घ) लोक सभा के 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में पूरे किये गये आश्वासन की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

किन्हीं उम्मीदवारों के माता-पिता / अभिभावकों को आय के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाना

6525. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री 12 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से जितने विशेषज्ञ भारत आते हैं उनमें से अधिकतर साधारण तकनिशन होते हैं और वे भारतीय विशेषज्ञों से अच्छे नहीं होते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार उन्हें भारत आने देने से पहले उनके अनुभव और कार्यकुशलता के ब्यौरे की जांच नहीं करती है ; और

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान ठेकों में ऐसी शर्तें रखी है जिनके आधार पर अयोग्य सिद्ध होने वाले विशेषज्ञों को निश्चित समय से पूर्व ही वापस भेजा जा सके ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यदि किसी विशेषज्ञ की सेवाएं आवश्यक न हों या जिस विशेष कार्य के लिए उसे बुलाया गया हो वह पूरा हो गया हो अथवा उसकी योग्यता आशानुकूल न हो तो उस विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति का काल घटाया जा सकता है ।

जर्मनी से विद्युत-चालित आरा मशीनों का आयात

6526. **श्री राम चरण** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बिक्री के लिए जर्मनी से विद्युत-चालित आरा मशीनों के आयात के लिए दिल्ली के बाजार सीताराम की इण्डियन इन्टरनेशनल कारपोरेशन नामक एक फर्म की सिफारिश चालू वर्ष में की गई है तथा उसको इन मशीनों के आयात की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या उक्त फर्म के स्थायित्व तथा पिछले अनुभव को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त फर्म के स्थायित्व तथा आस्तियो और पिछले अनुभव का सत्यापन नहीं किया गया है और यह फर्म एक झूठी फर्म है और जर्मनी से भारत में विद्युत चालित आरा मशीनों के आयात के लिए हाल में स्थापित की गई है ; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा उक्त फर्म के स्थायित्व तथा ठोसपन के बारे में जाँच कराने तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मैसर्स इन्डियन इन्टरनेशनल कारपोरेशन, बाजार सीता राम, नामक फर्म संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, अनुज्ञापन क्षेत्र, नई दिल्ली के अनुज्ञापन अधिकार-क्षेत्र में है। न तो इस कार्यालय ने और न मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के मुख्यालय के सी० जी० प्रभाग ने, 1967-68 तथा 1968-69 के वर्ष में विद्युत-चालित आरा मशीनों के आयात के लिये, इस पक्ष से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त किया है।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दक्षिण मध्य रेलवे के विरुद्ध डिग्री

6527. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री भवीरी लाल के० जैन ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, कोप्पल, जिला रायचूर, मैसूर राज्य में माल के न दिये जाने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे के विरुद्ध 1968 में समझौता डिग्री (कम्परोमाइज डिग्री) ली थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 11 मार्च, 1968 के दैनिक "दक्कन हेरल्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार डिग्री की राशि का भुगतान न किये जाने के कारण रेलवे सम्पत्ति की कुर्की कर ली गई थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो कोप्पल स्टेशन पर रेल सम्पत्ति की कुर्की करने के न्यायालय के आदेश से पहले समय पर राशि का भुगतान न करने के क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं, डिग्री की राशि का भुगतान निष्पादन आदेश में दी गई अन्तिम तिथि से पूर्व ही हो गया था।

(ग) यहां डिग्री के भुगतान में विलम्ब हुआ है, उस ओर ध्यान दिया जा रहा है और इस बारे में जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नयी दिल्ली स्टेशन पर माल डिब्बों से माल उतारना

6528. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन और तुगलकाबाद रेलवे यार्ड में काम

अस्त-व्यस्त हो गया है, क्योंकि व्यापारियों ने सैकड़ों माल-डिब्बों से कई दिनों से माल नहीं उतरवाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो व्यापारी माल डिब्बों से माल क्यों नहीं उतरवा रहे हैं ; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिए रेलवे ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) यह सच है कि मार्च, 1969 के महीने में तुगलकाबाद में असाधारण रूप से ऐसे मालडिब्बे इकट्ठे हो गये थे, जिनसे माल इसलिए नहीं उतारा जा सका क्योंकि वहां से उतना माल नहीं हटाया जा सका जितना कि मालडिब्बों से उतारा गया था। लेकिन उस स्टेशन पर काम में कोई बाधा नहीं पड़ने दी गयी क्योंकि तुगलकाबाद के लिए माल की बुकिंग पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्थिति सामान्य हो चुकी है और प्रतिबंध भी हटा दिया गया है।

जहाँ तक नयी दिल्ली का सम्बन्ध है, वहाँ असाधारण रूप से मालडिब्बे इक्ट्ठे नहीं हुए थे।

(ख) जहाँ तक रेलवे मालूम कर सकी है दिल्ली के कोयला-बाजार में कोयले की भरमार हो गयी थी और कोयले की किस्म और कीमत आदि के बारे में माल भेजने वालों और माल पाने वालों के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ था। उसका नतीजा यह हुआ कि मालडिब्बों से जो कोयला उतारा गया था, उसे रेलवे परिसर के बाहर नहीं हटाया जा सका और परिणामस्वरूप डिब्बे लदे के लदे ही खड़े रह गये।

(ग) रेलवे, स्वभावतः माल भेजने वालों और माल पाने वालों के बीच उत्पन्न विवाद को तय करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले सकी।

व्यापारियों को अपना माल हटा लेने को प्रेरित करने के लिए मंडल अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठकें की। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 56 के अधीन माल पाने वालों को अपना माल हटा लेने का नोटिस दिया गया। कोयले से लदे कुछ मालडिब्बे दिल्ली सफदरजंग भेज दिये गये, जहां उनसे माल उतारा गया।

निश्चय ही, विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क प्रभार भी लगाये गये।

Railway Line on Latur-Latur Road (South Central Railway)

6529. **Shri S. M. Joshi.**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the public demand that a Railway line should be laid on Latur-Latur Road route on the South-Central Railway ;

(b) Government's reaction in regard thereto ;

(c) whether Government have had any survey conducted in regard to this demand of the public ; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes.

(b) to (d) No surveys have been conducted for a rail link between Latur and Latur Road. As Latur is on the N. G. system an N. G. line will be required to connect it with Latur Road. The present policy of the Government is not to construct any more narrow gauge lines. There is no traffic justification for the construction of a new B. G. line between these two places.

Conversion of Miraj-Latur N. G. Line into Metre Gauge.

6530. **Shri S. M. Joshi :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Miraj-Latur (Barsi light Railway) narrow gauge line into a metre gauge line ;

(b) whether the residents, business-men and passengers in that area had made such a request to Government ; and

(c) if so, the time by which the aforesaid job is likely to be completed ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No.

(b) Yes.

(c) Does not arise in view of the reply to part (a) of the question.

कुछ फर्मों को लाइसेंस

6531. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डस्ट्रियल ज्यूल्ज़, बम्बई, जयपुर मेटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स तथा बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, दिल्ली ने लाइसेंस के लिए कब आवेदन किया था और ये मिल कब से चालू हुए थे :

(ख) इन कम्पनियों को चलाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई थी और इनके द्वारा किन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) इन कम्पनियों के स्थापना से अब तक इन कम्पनियों द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

खादी के उत्पादन में कमी

6532. **श्री तुलसीदास दासप्पा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की बिक्री की क्षमता के अनुरूप ही उत्पादन सीमित करने की नीति के परिणामस्वरूप सूती खादी के उत्पादन में 1967-68 में कमी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 की तुलना में 1967-68 में कितनी आय कम हुई; और

(ग) क्या बिक्री की क्षमता के अनुरूप उत्पादन सीमित करने की नीति जारी रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : 1967-68 में निर्मित सूती खादी का मूल्य 1966-67 के 1,971.81 लाख रुपये की अपेक्षा 1,743.76 लाख रुपये था। इन दो वर्षों में उत्पादन मूल्य में अन्तर 228.05 लाख रुपये का है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की नीति उत्पादन को बिक्री क्षमता तक सीमित रखने की थी।

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार उत्पादन का परिमाण निश्चित करने में बिक्री क्षमता के साथ-साथ रोजगार देने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखने का है।

चौथी योजना में अधिक यात्री सुविधायें

6533. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि में रेलवे यात्रियों के लिये क्या विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जायेंगी और उनका व्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चौथी योजना अवधि में रेलवे यात्रियों के लिए कोई नई सुविधा दिये जाने की योजना नहीं हैं। फिर भी उपलब्ध साधनों के भीतर वर्तमान सुविधाओं में जो कमियां हैं उनको यथा सम्भव दूर किया जाएगा। प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सुविधाओं का चयन सम्पूर्ण योजना अवधि के स्थान पर वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(ख) जब तक वर्तमान सुविधाओं की पूर्णतः व्यवस्था नहीं हो जाती, नई सुविधाओं की व्यवस्था करना उचित नहीं है।

बेनामी अंशधारी

6534. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय भी बेनामी अंशधारी और बेनामीदारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में उनकी संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) ये बेनामी अंशधारी कौन लोग है ; और

(घ) क्या सरकार को उनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) यद्यपि, यह एक सामान्य विचारधारा है कि कुछ बेनामी हिस्सेधारी तथा बेनामीदार हैं, परन्तु इस प्रकार के बेनामी हिस्सेधारियों तथा बेनामीदारों की मात्रा तथा पहचान

की बाबत कोई प्रमाणित सूचना नहीं है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, बेनामी रक्खे गये हिस्सों की सूचना देते हुये कोई विवरणी मिसिल करने की आवश्यकता नहीं, अतः इस प्रकार के बेनामी हिस्सेधारिता के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) निकट भविष्य में, इस बाबत कोई विशिष्ठ शिकायत कम्पनी अधिनियम की धारा 249 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के लिये हमारे नोटिस में नहीं आई है।

चौथी योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग

6535. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना अवधि में खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्धी अपनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) यद्यपि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना है, तथापि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए आवन्टन का ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मामला विचाराधीन है।

अमरीका को इस्पात और हैवी इंजीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात

6536. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अमरीका को इस्पात और भारी इंजीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो 1968 में अमरीका को कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :

क) जी, हां।

(ख) जैसा श्री हुकुम चन्द कछवाय के 25 फरवरी 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या

1080 के उत्तर में कहा गया है 1 जनवरी 1967 से लेकर 30 नवम्बर 1968 तक की अवधि में अमरीका को 1168.44 टन इस्पात का निर्यात किया गया जिसका पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 664,404 रुपये था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1967-68 में अमरीका को निर्यात किये गये सभी प्रकार के इंजीनियरी उत्पादों का मूल्य 2.54 करोड़ रुपये था। केवल भारी इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड

6537. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **विधि और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ऐसा पग उठाने की आवश्यकता नहीं समझती। आधुनिक विचार-धारा गम्भीरतम अपराधों में भी मृत्यु दण्ड न दिए जाने के पक्ष में है।

उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

6538. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कोई नई रेलवे लाइनें बनाने का कार्यक्रम नहीं है ;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो नई रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) रेलों का विकास राज्यों अथवा क्षेत्रों के आधार पर न किया जा कर राष्ट्रीय हित में सम्पूर्ण विकास के आधार पर किया जाता है। चौथी योजना अवधि में निर्मित होने वाली लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि चौथी योजना अवधि में कुछ नई लाइनों का निर्माण किया जाएगा अथवा नहीं। रामपुर से हलद्वानी (उत्तर-प्रदेश) तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसके पूरा होने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से माल की चोरी

6539. **श्रीमती इला पालचौधरी :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में भारत सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नाम लिखी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड-दुर्गापुर परियोजना से कई पक्षों द्वारा, जिनके नाम उसमें लिखे हैं, 45 करोड़ रुपये के मूल्य का माल चुराये जाने के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नाम भेजी गई एक गुमनाम शिकायत की प्रति इस मंत्रालय को प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो से ऐसा मालूम हुआ है कि गुमनाम शिकायत होने से तथा सामान्य प्रकार के आरोप होने के कारण उनके लिए इस शिकायत पर कार्यवाही करना संभव नहीं है । जहां तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों का प्रश्न है इस्पात कारखाने से सामान की चोरी और बिना आज्ञा के सामान ले जाने को रोकने के सामान्य सुरक्षा उपायों को छोड़कर कारखाने के कर्मचारियों या अन्य सरकारी कर्मचारियों के कदाचार की सदा जांच की जाती है और अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायतें अधिकारियों को बताई जायेंगी तो उनकी अवश्य जांच की जायेगी जिससे उचित कार्यवाही की जा सके ।

Late arrival of train at Moradabad

6540. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether Government are aware that those passengers who have to go from Delhi to Bareilly, Lucknow etc. by the Train which leaves Delhi at 6.40 A. M. have to wait for hours at Moradabad due to its late arrival there ;

(b) if not, the number of days when this train reached there in time during the year 1968 ; and

(c) the steps Government propose to take, taking into consideration the inconvenience caused to the passengers, to remove this mismanagement ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Only occasionally, when 56 Dn. Moradabad Express misses connection with 52 Dn. Sealdah Express at Moradabad.

(b) During 1968, 56 Dn. Express arrived Moradabad right time on 2?4 days but maintained connection with 52 Dn. Sealdah Express on 339 days.

(c) Late running of 56 Dn. Moradabad Express is caused chiefly due to heavy incidence of alarm chain pulling and thefts of copper wire resulting in control failures on the Delhi-

Moradabad section. Every feasible effort is being made to improve the running of that train.

सभा में प्रक्रिया के बारे में

Re : PROCEDURE IN THE HOUSE

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि कोई माननीय सदस्य कुछ कहने के लिये उठें, मैं स्वयं कुछ कहना चाहता हूँ। अब प्रश्न काल समाप्त हो गया। प्रश्नकाल समाप्त होते ही माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगते हैं। वे इसे मध्यान्ह बेला (जीरो आवर) कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस संसद में जीरो आवर नामक कोई चीज न हो। हमने यहां के नियम स्वयं बनाये हैं। नियम अध्यक्ष अथवा गृह कार्य मंत्री अथवा किसी नेता ने नहीं अपितु सम्पूर्ण संसद ने बनाये हैं।

प्रति दिन जब माननीय सदस्य खड़े होते हैं और मैं उन्हें बैठने के लिये कहता हूँ, तब हम आपस में जोर जोर से बोलते हैं। यह शोभनीय नहीं लगता है और यह मेरे लिये सिर दर्द बनता जा रहा है। आज से मैं यह करने जा रहा हूँ कि यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहे तो मैं चुपचाप बैठा रहूँगा और वह सभा कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

Shri Kabi Rai (Puri) : I had written to you.

अध्यक्ष महोदय : लिख कर भेजने का अर्थ यह नहीं होता है कि सदस्य को खड़े होकर बोलने का अधिकार है क्योंकि प्रत्येक सदस्य पर्ची अथवा पत्र भेज सकते हैं और फिर खड़े होकर बोलने लग सकते हैं। क्या यह उचित है ? लिख कर देने का तात्पर्य अनुमति तो नहीं होता है। मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य जोर जोर से बोलें। यदि सभा अथवा माननीय सदस्यों की यही इच्छा है तो होती रहे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि हम नियमों के अन्तर्गत कुछ कहना चाहें ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों में स्पष्ट कहा गया है अध्यक्ष की अनुमति से। यदि माननीय सदस्य मुझे कोई ऐसा नियम दिखा दें जिसमें अध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित नहीं है, तो मैं अनुमति देने के लिए तैयार हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : नियम 340 में ऐसा नहीं कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कुछ कहता हूँ तो श्री स० मो० बनर्जी व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए।

हमें स्थिति एक बार सदा के लिये निश्चित कर देनी चाहिए। मुझे प्रतिदिन इससे कुछ परेशानी होती है। वरिष्ठ सदस्यों और दलों के नेताओं को मेरी सहायता करनी चाहिए। यदि माननीय सदस्य चाहें कि बोलने के लिये अध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित नहीं है, तो वे नियम को बदल सकते हैं। हम आधा घन्टा इस बात के लिये निर्धारित कर देंगे कि माननीय सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकते हैं। सबसे अधिक जोर से बोलने वाले माननीय सदस्य ही इसमें बोल पायेंगे। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि नियमों का पालन किया जाये तो लिख कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अध्यक्ष की अनुमति से माननीय सदस्य बोलें तो अच्छा है। जब दलों के नेता

मुझे लिखते हैं तो प्रायः मैं उन्हें अनुमति दे देता हूँ। किन्तु मेरे लिये यह कठिनाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

जहां तक आज का सम्बन्ध है मैंने अभी तक किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। इसलिये आज ही से हम यह परम्परा बना लें कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई बात नहीं उठायेंगे। चूंकि मैंने किसी को कोई अनुमति नहीं दी है इसलिये कोई माननीय सदस्य उठकर कुछ न कहें।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कहा है कि मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। विपक्षी दल के सदस्यों ने मेरे निर्णय का पालन किया है किन्तु कांग्रेसी सदस्य खड़े हो रहे हैं। मेरी कठिनाई यह है कि कांग्रेस दल मेरी सहायता नहीं करता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेंस देना (संशोधन) नियम

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेंस देना (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2187 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 758/69]

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्न पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 758/69]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सिफारिशों के उत्तरों के बारे में विवरण

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं प्राक्कलन समिति के तिरेसठवें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में सम्मिलित सिफारिशों के अन्तिम उत्तर, जो प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गए थे, दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पेंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राज कोट) : मैं सरकारी प्रकाशनों पर निष्फल व्यय के बारे में लोक लेखा समिति के चोंतीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में लोक लेखा समिति का पेंतालीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

PUBLIC UNDERTAKING COMMITTEE

इकतीसवाँ प्रतिवेदन

श्री गु० सि० ढिल्लों (तरन तारन) : मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्यालय के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (तीसरी लोक-सभा) के अठाइसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का इकतीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

संविधान (बाइसवाँ संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में नियम 338 के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re : SUSPENSION OF RULE 338 IN RESPECT OF CONSTITUTION (TWENTY SECOND) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

'कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 338 का संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तत हुआ :—

'कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 338 का संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाये।

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : Today it has been brought before the House in a detailed and definite form, therefore I oppose it. Rule 338 has been framed after good deal of thought under which a motion shall not raise a question substantially identical to the one on which the House has given a decision in the same Session. The rule should be suspended only when it is essential to raise a matter in the interest of the country. It is not proper to suspend it now and then for such things.

The Government were at fault in asmuch as this Bill could not be passed last time. The Home Minister is trying to get it passed in this Session again without explaining the reasons for it. It may be brought before the House in the next Session. What is the hurry in it ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उनका विरोध करना चाहता हूँ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Speaker, the country is passing through a very critical situation. It is not the time further to divide the country by creating new states. Instead of doing so the Government should pay more attention towards the grievances of the people and try to redress them in a constructive way. The Government should not think that that they hold a strong position since they have divided the country into small states. What was the hurry to bring this during the current session. It could be brought after six months or so. The Government are playing a dangerous game by creating this States and leading the country towards distruction. I request the Chair that the motion should not be allowed and the rule should not be suspended.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव नियम 338 को निलम्बित करने के लिये है। अब माननीय सदस्यों को इस विधेयक गुण और दोषों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न यह है :—

"कि लोक-सभा के प्रकिया तथा कार्य सचालन संबंधी नियमों के नियम 338 का संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करेगी। इसके लिये 2 घन्टे का समय नियत किया गया है। तीन बजे तक विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और तीन और चार बजे के बीच खंडों पर विचार किया जायेगा और विधेयक को पारित करने के लिये मतदान होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि सदस्य इस अवधि में सभा में उपस्थित रहें।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, मैं वही फिर कहना चाहता हूँ जो कुछ मैंने पहले कहा था।

श्री वि० कृ० दासचौधरी (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय नियम 376 (1) के अंतर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यद्यपि विधेयक में स्वायत्तशासी राज्य शब्द प्रर्युक्त किये गये। किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि यह विधेयक एक और नया राज्य बनाया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत संसद कानून बनाकर नये राज्य का निर्माण कर सकती है और अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत संसद किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकती है अथवा दो या तीन राज्यों को मिला कर नया राज्य बना सकती है। किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जब कि इसके लिये राष्ट्रपति सिफारिश करे और सम्बन्धित राज्यों से सलाह ली जाये। इस विधेयक में स्वायत्तशासी राज्य के नाम से नया राज्य बनाया जा रहा है। इस विधेयक के सम्बन्ध में अनुच्छेद (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं की गई है।

मेरा एक और व्यवस्था का प्रश्न भी है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर माननीय सदस्य इतने बड़े भाषण दे जाते हैं, निस्संदेह सदस्यों को विधेयक का विरोध करने का अधिकार है किन्तु इससे व्यवस्था का प्रश्न नहीं कहा जाना चाहिए।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम इस विधेयक के इतिहास को जानते हैं। आसाम के आदिजातीय क्षेत्र की समस्या का लम्बा इतिहास है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वे अनुसूचित और पृथक क्षेत्र थे। बाद में वे आसाम राज्य के भाग बनाये गये थे। तदन्तर उनको कुछ राजनीतिक मान्यता देने की मांग की गई और वहां के नेताओं तथा सरकार के बीच अनेक अवस्थानों में बात हुई थी। बाद में यह सिद्धान्त मान लिया गया कि संविधान के अन्तर्गत उन्हें राजनैतिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिये स्वायत्तता दी जाये। इन प्रश्नों पर विभिन्न समितियों ने विचार किया और अन्त में पाटस्कर समिति ने इस पर विचार किया था। पाटस्कर समिति का प्रतिवेदन तीन-चार वर्ष पूर्व मिला था जिस पर आम तौर पर सहमति नहीं थी। इसलिये फिर इस प्रश्न पर विचार विमर्श आरम्भ हुआ और यह दो-तीन वर्ष तक चलता रहा। अनेक बार विचार विमर्श किये जाने के बाद अन्त में गत सितम्बर में इस बारे में वक्तव्य दिया गया था। यह विधेयक इन्हीं विचार विमर्शों के परिणामों पर आधारित है।

आसाम राज्य से एक स्वायत्तशासी राज्य बनाये जाने के साथ-साथ राज्य की एकता बनायी रखी जायेगी। इस राज्य को कार्य पालिका तथा विधायिका कार्यों के मामले में स्वायत्तता दी जा रही है। इसके लिये उनकी अपनी मंत्रिपरिषद होगी। कानून और व्यवस्था को छोड़ कर उन्हें राज्य से कुछ विषय हस्तांतरित किये जा रहे हैं, कुछ वित्तीय मामलों में नहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि इस समय केन्द्र द्वारा आदिम जातीय क्षेत्रो के लिये अनुदान दिया जाता है।

संयुक्त समिति द्वारा विचार किये जाते समय इस विधेयक के बारे में अनेक आपत्तियाँ उठाई गई थीं और दो-तीन विकल्पों का सुझाव दिया गया है। उनमें से एक सुझाव यह था कि उस क्षेत्र को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाये। हम राज्यों की संख्या अधिक बढ़ाना नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री अब्दुल गनीदार ने विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार राज्यों की संख्या बढ़ाती ही जा रही है। इसीलिये हम इसे पृथक राज्य न बना कर आसाम राज्य के अन्दर ही स्वायत्तशासी राज्य बना रहे हैं।

दूसरा सुझाव यह दिया गया था कि प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले को संघ राज्य क्षेत्र

बनाया जाये। यह सुझाव विशेषतः जन-संघ द्वारा दिया गया था। मैं समझता हूँ कि वे लोग सुरक्षा के पहलू को अधिक महत्व देते हैं। हम भी सुरक्षा के पहलू को उतना ही महत्व देते हैं। वे समझते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र होने से वह सदा केन्द्र की देख रेख में रहेगा। किन्तु इससे वह उद्देश्य ही असफल हो जायेगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें विधान मंडल आदि के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पायेगा।

सुरक्षा की दृष्टि से अधिक संघ राज्य-क्षेत्र बनाना उचित नहीं होगा। अतः वास्तव में ये दो विकल्प नहीं हैं। इसलिये संयुक्त समिति ने मूल विधेयक का समर्थन ही किया था।

अन्य राज्यों के अन्तर्गत इसी प्रकार के स्वायत्त राज्य बनाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह एक खतरनाक सुझाव है क्योंकि हम इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं बना सकते। यदि संसद चाहे तो इस विषय पर अलग से चर्चा की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार की धारणा बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यों के अन्तर्गत स्वायत्त राज्य बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं हैं। इससे देश की एकता भंग होनी आरम्भ हो जायेगी। आसाम की जनजाति समस्या का अपना विशेष महत्व है। अब भी वहां पर स्वायत्त जिले है जिनके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है। आसाम की तुलना किसी अन्य राज्य के साथ नहीं की जा सकती।

दूसरा संशोधन अंशतः नामनिर्देशित और अंशतः निर्वाचित विधान मंडल के बारे में है। यह उपबन्ध समर्थकारी उपबन्ध है कि क्या हमें नामनिर्देशित सदस्यों की व्यवस्था करनी चाहिये और यदि हां तो नामनिर्देशन किस प्रकार किया जाना चाहिये। इन विषयों पर पुनर्गठन विधेयक पर विचार करने के समय चर्चा की जानी चाहिये। यदि अल्पसंख्यक समुदाय अपना प्रतिनिधित्व चाहे तो संविधान के अनुसार उस समुदाय के सदस्यों का नामनिर्देशन किया जा सकता है। मेरे विचार में स्वायत्त शासी राज्य की मांग करने वालों को भी इस उपबन्ध के अनुसार अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन देना चाहिये।

अन्य संशोधन कुछ तकनीकी संशोधन हैं। कुछ संशोधनों में परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस संशोधन को साधारण बहुमत से पास किया जाये परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि उसे संवैधानिक संशोधन समझा जाये। ये परस्पर विरोधी बाते हैं। विधि में जहां वैधानिक एवं कार्यकारी कृत्यों के विवरण का सम्बन्ध हो वहां साधारण संशोधन के लिये दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसे इतने सरल रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में यदि संसद अधिनियम में संशोधन करना चाहे तो वह अन्य दल की सहमति से किया जा सकता है। हमने अनुच्छेद 368 का बिलकुल उल्लंघन नहीं किया है। यदि इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 239 क को पढ़ा जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इस प्रकार का उपबन्ध हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। अतः अनुच्छेद 368 का उल्लंघन करने का तर्क उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अब्दुल ग़नीदार (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को 30 जून 1969 तक लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : अब दोनों प्रस्ताव सभा में विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच बिहार) : यदि आप विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन से संतुष्ट हों तो मैं बैठ जाता हूँ। इस में उल्लिखित है कि अनुदानों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमने यह कहा था कि आसाम राज्य को दो प्रकार के अनुदान दिये जायेंगे। एक अनुदान अनुसूचित क्षेत्र के राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिये होगा जो 40 लाख रुपये है। 11 सितम्बर को दिये गये वक्तव्य में इस योजना का ब्यौरा दिया गया है। यदि सारे क्षेत्र को योजना में सम्मिलित किया गया तो यह धन राशि 40 लाख रुपये होगी और यदि उस क्षेत्र का एक भाग इस योजना में सम्मिलित किया गया तो यह धन-राशि भी 40 लाख रुपये का एक भाग ही होगी। दूसरा अनुदान उस क्षेत्र के प्रशासन और विकास कार्य को आसाम के स्तर पर लाने के लिये दिया जायेगा। अतः इस सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The decision of partition of the country was taken without taking into confidence the people of this country with the result that people of Punjab and Bengal had to suffer a lot. Again Punjab was divided into two parts. Such divisions are painful. Now again this Bill has been moved for consideration. I suggest that this Bill should be circulated to elicit public opinion whether they are in favour of division of the country in big zones or smaller zones. New States are being carved out from the existing states and after sometime they would become full fledged state. Then they may say that that they want to live seperately. In view of this I suggest that this Bill be circulated for eliciting public opinion.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना की भी प्रशंसा करता हूँ। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की जनता इस बात का स्वयं निर्णय कर सकेगी कि उन्हें किस प्रकार की सामाजिक अर्थ व्यवस्था पसन्द है। फिर इससे इस क्षेत्र और जनता के विकास कार्य में भी सहायता मिलेगी। इस समस्या का समाधान बड़े संतोषजनक ढंग से किया गया है।

दूसरी बात यह है कि कचार के लोग भी कुछ स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। इसमें उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके अपने सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यक्तित्व के अलग रूप से विकास करने को कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं का भी आदर करना चाहिये और उनकी आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करना चाहिये।

मैं सरकार के इस विचार के साथ सहमत नहीं हूँ कि राज्यों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिये। यह बात हमारे देश की परिवर्तनशील परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हमें इस कार्य को अधिक कठिन नहीं बनाना चाहिये। यदि हम अलग राज्य स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं तो हमारे सामने एक ही उपाय है कि राज्य विशेष के अन्तर्गत स्वायत्त राज्य बनाये जायें।

तेलंगाना के सम्बन्ध में हमने अन्य साथियों से मिलकर कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे। सरकार तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने के लिये तैयार नहीं है। वहां पर हजारों लोग जेलों में जा चुके हैं। यदि सरकार तेलंगाना को अलग राज्य नहीं बनाना चाहती तो भी सरकार को यह शक्ति ग्रहण कर लेनी चाहिये जिससे भविष्य में यदि सरकार उचित समझे तो उपयुक्त समय पर तेलंगाना की मांग स्वीकार कर सके। राज्य पुनर्गठन आयोग भी तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने

के पक्ष में था परन्तु संसद तथा तत्कालीन सरकार ने उसे पृथक राज्य नहीं बनाया था। फिर भी यह उनकी पुरानी मांग कायम है। अब फिर उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिये वहां की जनता बहुत उत्तेजित है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करे।

आसाम की पहाड़ी जनता को इस स्वायत्त राज्य से बहुत लाभ पहुँचेगा। यह देश की समस्त जनता के लिये संतोष की बात होगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। परन्तु गृह मंत्री को अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के समाधान के लिये व्यवस्था करनी चाहिये थी। एक बार कांग्रेस संयुक्त मोर्चे के इस विचार से सहमत थी कि दार्जीलिंग के गोरखा भाषी क्षेत्रों को कुछ स्वायत्त अधिकार दिये जाने चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

अब भी विधेयक में कुछ कमियां हैं। मैं दो तिहाई बहुमत से सम्बन्धित उपबन्ध के बारे में संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे विचार में उसे साधारण बहुमत के रूप में बदल देना चाहिये था। कचार की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। सम्भव है कि वहां फिर आन्दोलन भड़क उठे। देश के विभाजन से पूर्व हम लोग लगभग कृत्रिम ढंग से भारतीय एकता पर जोर देते रहे जिसके परिणाम स्वरूप हमें विभाजन का मूल्य चुकाना पड़ा था। भारत की एकता के नाम पर केन्द्र में मुसलमानों की संविधान की अवशिष्ट शक्ति की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। हमने इस बात का बिलकुल ध्यान नहीं किया कि हमारे देश में विविधता है। इसी तथ्य को स्वीकार न करने के कारण देश का विभाजन हुआ। यदि देश में राज्यों की संख्या बढ़ती है तो हमें इस सम्बन्ध में कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिये। हमारे नेताओं को दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये। हम अव्यवस्था फैलाने के पक्ष में नहीं हैं हम एक नया समाज बनाना चाहते हैं परन्तु सरकार उन दफतरशाहों की तरह व्यवहार करती है जिनका समर्थन करने वाले कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं। आज हमारे नेता कृत्रिम ढंग से राष्ट्रीय अखण्डता की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री तथा देश के अन्य नेता हमारे देश के सामूहिक हित को ध्यान में रख कर इस सम्बन्ध में विचार करें।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हमारे संविधान में केवल राज्यों की व्यवस्था है और हमारा संविधान संघीय की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। अब पहली बार राज्य के अन्तर्गत राज्य बनाने की व्यवस्था संविधान में की जा रही है। मेरे विचार में यह कार्यवाही संविधान की भावना के विरुद्ध होगी। फिर इस विधेयक के पास होने पर राज्य विधान मंडल में एकल सदस्यता की बजाय दोहरी सदस्यता की बात आ जायेगी। जो व्यक्ति आसाम के स्वायत्त पहाड़ी राज्य के सदस्य होंगे वे आसाम राज्य विधान सभा के भी सदस्य रहेंगे। फिर उन जिला परिषदों में विरोध की भावना फैलने की भी सम्भावना है जिन्हें स्वतंत्र एवं स्वायत्त शक्तियां दी गई हैं। इससे सदा की समस्या का समाधान नहीं होगा। सर्वदलीय पहाड़ी नेताओं ने भी इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। फिर इस प्रस्ताव में सभी पहाड़ी क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

इस विधेयक के पारित होने के बाद अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार मांगें की जायेंगी। केरल में मुसलमानों के बहुमत वाले स्वतंत्र जिले की बात हम सुन चुके हैं। इससे विभाजक शक्तियां अधिक सुदृढ़ बनेगी। हम सरदार पटेल द्वारा किये शुभ कार्य पर कुठाराघात कर रहे हैं। मेरे विचार में भारत के समस्त पूर्वी क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। हमें इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना चाहिये। आसाम का सम्पूर्ण क्षेत्र सामरिक महत्व का है। उस क्षेत्र में आर्थिक समस्या के साथ साथ प्रतिरक्षा समस्याएँ भी हैं। जन संघ ने सुझाव दिया था एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जिसमें प्रतिरक्षा विशेषज्ञ प्रशासक तथा आर्थिक एवं औद्योगिक विषयों के विशेषज्ञ सम्मिलित किये जायें, जिससे इस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार हम इस समस्या का स्थायी समाधान कर सकें।

आसाम स्वायत्त पहाड़ी राज्य बनने से छोटानागपुर जैसे क्षेत्रों से भी अलग राज्य बनाने की मांग उठाई जायेगी। जनता के किसी वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिये हमें छोटे राज्य बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह वहां जाकर उन लोगों को यह आश्वासन दे कि उनकी भावनाओं को पूरा किया जायेगा और उन्हें बताये की देश में एकता और अखंडता बनाये रखने की आवश्यकता है। उन लोगों को यह भी विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि उनकी आर्थिक, पिछड़ेपन, शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य समस्याओं को शीघ्र हल किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्ह्यान भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई :

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्ह्यान भोजन के पश्चात् 2 बज कर 2 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at two minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य संसद को यह अधिकार देना है कि वह ऐसा कानून पास करे जिससे आसाम राज्य में स्वायत्त राज्य बनाया जा सके। सर्व-प्रथम स्वायत्त राज्य में गारो पहाड़ियाँ, संयुक्त खासी और जयन्तियाँ पहाड़ियाँ शामिल होगीं लेकिन बाद में संयुक्त मिकिर और उत्तर कच्चर पहाड़ियों को भी शामिल किया जायेगा।

यदि कछार राज्य की समस्याओं पर ध्यान पूर्वक विचार नहीं किया जायेगा तो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

राज्य के लोगों की उचित माँगों को मानकर प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री ने सराहनीय काम किया है। राज्य के लोगों को जो दर्जा दिया गया है इससे वे भविष्य में सन्तुष्ट नहीं होंगे।

राज्य को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के अधिकार नहीं दिये गये हैं। अतः इस कारण भविष्य में अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। सरकार द्वारा घोषित 1968 की नीति के अनुसार समस्त अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें राज्य की उच्च सेवाएं भी शामिल हैं, संयुक्त हैं लेकिन इन क्षेत्रों को नीचा दर्जा दिया जायेगा और इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी।

दार्जिलिंग और छोटा नागपुर के दावो को स्वीकार किया जाना चाहिये।

सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वह इन स्वायत्तशासी राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार दें ताकि पहाड़ में रहने वाले लोग सन्तुष्ट हो सकें।

श्री समर गुह : (कन्टाई) मुझे अभी कलकत्ते का एक समाचार पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार श्री सत्येन्द्र नाथ बोस और डा० आर० सी० मजूमदार ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है :

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। उन्होंने जो कुछ कहा वह सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह······*

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी कहा जा रहा है वह सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री धीरेश्वर कलिता*

श्री ज्योतिर्मय बसु*

श्री मुहम्मद इस्माइल*

श्री रामावतार शास्त्री*

श्री जि० एम बिस्वास*

श्री समर गुह*

श्री शिव चन्द्र झा*

श्री स्वैल : (स्वायत्तशासी जिले) देश को प्रत्येक क्षण नई-नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इन समस्याओं को शीघ्र हल कर लेंगे।

इस समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। इस बारे में सब दलों ने आसाम के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति सदभावना व्यक्त की है। इसके लिये मैं सब दलों का आभारी हूँ।

वर्ष 1962 में और 1965 में जब चीन और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तब भी हमने ऐसा ही किया था।

हमारा राष्ट्र संकट पूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और देश के सम्मुख दिन प्रतिदिन नई समस्याएं आ रही हैं। हमें इन समस्याओं को आपसी भेदभाव मिटाकर हल करने का प्रयास करना चाहिये।

हम समस्त राष्ट्र की सहायता से भारत के इस भाग को सुन्दर बनायेंगे।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्ली) : हम उप-राज्य या स्वायत्त राज्य की बात से सहमत नहीं हैं। संविधान में कहीं भी स्वायत्त राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक उपबन्ध के अनुसार यह स्वायत्त राज्य नहीं है बल्कि राज्य में ही उप-राज्य की स्थापना करना है, जिसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उस स्वायत्त राज्य को आसाम राज्य विधान सभा के संविधान के अनुसार काम करना होगा और विधान सभा को अपने अधिकार होंगे।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not Recorded.

कानून में संशोधन करने के लिये अब दो तिहाई बहुमत की क्यों व्यवस्था की गई है जबकि संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता था ।

संविधान (22 वाँ संशोधन) विधेयक में यह व्यवस्था है कि संसद को साधारण बहुमत से स्वायत्त राज्य बनाने का अधिकार है । लेकिन यदि इसके बाद संसद कुछ खंडों में संशोधन न करना चाहे तो उसे दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी । यह बड़ी विचित्र सी बात लगती है ।

हमें मैदान में तथा पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों से पूर्ण सहानुभूति है । हम नहीं चाहते कि किसी की भी उपेक्षा की जाये । मेरा दल आसाम राज्य का शक्ति-शाली यूनिट के रूप में विकास करने के पक्ष में है । ऐसा वहां के लोगों की इच्छानुसार ही किया जा सकता है ।

हम चाहते हैं कि आसाम के दोनो भागों के लोगों में विरोधी भावना उत्पन्न न हों । पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये । उनकी आँकाक्षाओं को पूरा करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न करने चाहिये । उनको विकास करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

Shri Jaipal Singh (Khunte : I am thankful to the Government for taking action in Assam and Shilling.

The Government should act in such a way that the peace of the country may not be disturbed. Government should ascertain whether the adivasis are with it or not. If they are not with the Government the strength of the Government will reduce to half. So long as these people are not with the Government, Government can do nothing.

You should not talk of moral support. You should talk of physical support.

Let all the hills including Nagaland, come together. If they are altogether, the security and the defence of that region will be adequate.

Shri S. M. Joshi : (Poona) : However strong the army of the country may be, it is not possible to defend the country unless the people of the country cooperate the Government. We should try to get their support.

There is no harm in giving democratic autonomy. Taking into consideration the unity of the Country we should abide by the agreement entered into by the parties. Isolation should be done away with.

We shou'd see that the agreement should be implemented. The problem of Andhra arose because implementation of the agreement was not done. We cannot increase the strength of our country merely with the help of our army. Our people are our strength. I want that our country should be strong. I hope that all the agreements entered into will be fully implemented.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) देश के सब पहाड़ में रहने वाले लोगों को संसद द्वारा यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि वह उनको सब सुविधाएं देने की इच्छुक है । वे देश के अन्य नागरिकों की तरह भारत के नागरिक हैं ।

सरकार उनकी आकाँक्षाओं और उनके विकास के लिये हर सम्भव प्रयास करेगी । समस्त राष्ट्र वहाँ की समस्या से दुखी है और इस समस्या को यथा सम्भव हल करने की इच्छुक है । हम विधेयक के उपबन्धों से प्रसन्न नहीं हैं । सरकार ने इस समस्या पर पूरे दिल से विचार नहीं किया है । इस विधेयक में उन पहाड़ी लोगों के बर्ग पर विचार किया गया है जिन्होंने अन्दोलन किये हैं । उसी राज्य में अन्य पहाड़ी लोगों के लिये विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं किये गये

हैं। ऐसे करने से कुछ समय के लिये समस्या हल हो सकती है लेकिन जहां तक पहाड़ में रहने वाले लोगों का प्रश्न है, चाहे आसाम हो या अन्य क्षेत्र उनकी समस्याओं को हल करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

इस विधेयक को परिचालन करने सम्बन्धी संकल्प या उपबन्धों में किये गये संशोधनों का मैं विरोध करता हूँ। हमें इस समस्या को अन्य समस्याओं से नहीं जोड़ना चाहिये। हमें तेलंगाना के लोगों से पूरी सहानुभूति है लेकिन इस विधेयक में उसको अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी उपबन्ध अनुचित है। इस विधेयक का तेलंगाना की समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार को तेलंगाना की समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिये। यदि हम श्री रंगा के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो देश में विभाजन का भय उत्पन्न हो जायेगा। अतः इस समस्या के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये। गृह-मन्त्री को अपने इस विचार पर मजबूत रहना चाहिये कि वे अब देश का और विभाजन नहीं होने देंगे।

तेलंगाना की समस्या एक पृथक समस्या है क्योंकि उपेक्षित क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्र प्रत्येक पिछड़े राज्यों में हैं और उनकी हमारे समक्ष एक बड़ी समस्या है क्योंकि इनसे न केवल राज्यों की बल्कि देश की एकता को भी खतरा है। अतः इस समस्या पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संसद को भी उपेक्षित तथा पिछड़े क्षेत्रों के प्रश्न पर कुछ समय देना चाहिए। मैं सबसे अपील करूँगा कि वे इस विधेयक का समर्थन करें क्योंकि इससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को आश्वासन मिलेगा कि समूचा देश उनके साथ है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) उपाध्यक्ष महोदय आपने इस विधेयक पर बोलने के लिये मुझे जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और गृह-कार्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री को ऐसा अच्छा निर्णय करने के लिए बधाई देता हूँ। यह समस्या उस क्षेत्र के लोगों को एक लम्बी अवधि से क्षुब्ध कर रही थी।

गारो पहाड़ियों में 75.16 प्रतिशत जन-जातियाँ में से 37.8 प्रतिशत लोग इसाई हैं इसी प्रकार खासी तथा ज्यैन्ती पहाड़ियों को 78.53 प्रतिशत आदिजाति लोगों की संख्या में 50.6 प्रतिशत इसाई हैं। नागालैण्ड में 55.67 प्रतिशत लोग इसाई है और नागालैण्ड का निर्माण हो चुका है। इस बात का निर्णय वहाँ के लोग करेंगे कि इस क्षेत्र को अधिक समृद्ध होना है अथवा नहीं। परन्तु वहाँ के लोगों को यह शक्ति वहाँ के इसाई धर्मप्रचारकों से ही मिली है। वहाँ के इसाई धर्मप्रचारकों ने सरकार को इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बाध्य कर दिया है।

पिछले कुछ समय से झारखंड के पृथक राज्य की माँग भी की जा रही है। उस क्षेत्र के लोग जयपाल सिंह को महात्मा गांधी से कम नहीं समझते। परन्तु हम झारखण्ड का पृथक राज्य प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि वहां की केवल दस प्रतिशत जनसंख्या ही इसाई और शेष जनजाति के लोग है जिनकी सरकार कभी परवाह नहीं करती। सरकार अपनी परियोजनाओं के लिए वहाँ के लोगों से भूमि ले रही है परन्तु उन लोगों का उचित पुनर्वास नहीं किया जा रहा है और न उनको कोई उपयुक्त रोजगार दिया जा रहा है, वहाँ के लोगों को चपड़ासी की नौकरी भी नहीं दी जा रही है। अतः आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भी झारखण्ड का एक पृथक राज्य बनाया जाना चाहिए।

मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि श्री जयपाल सिंह आदिम जाति लोगों तथा उनकी मांगों का सच्चे हृदय से समर्थन करते। 16 अगस्त 1947 को जब वह अपवर्जित तथा आंशिक रुप से अपवर्जित क्षेत्रों (आसाम के अतिरिक्त) सम्बन्धी उप-समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि "पृथक राज्य बनाना उनकी जांच के क्षेत्र में नहीं है और वास्तव में, हम नहीं समझते कि ऐसा करना आदिम जाति लोगों के संतोषजनक प्रशासन के लिए आवश्यक है।"

यदि यह हाँ नहीं होता, तो झारखण्ड के पृथक राज्य के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता था।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

मैं इस सभा से अपील करूंगा कि वह इस प्रश्न पर उसी भावना से विचार करेंगे जिस भावना से उन्होंने संयुक्त खासी, जयन्ती तथा गारो पहाड़ी लोगों की मांग पर विचार किया है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The hon. Prime Minister on an early occasion gave an assurance that the creation of this state will not be quoted as precedence for creation of other States in future. I want that the hon. Home Minister should also give such an assurance at this time of passing the Bill.

After the creation of Gujarat and Maharashtra State it was stated firmly in the Poona session of the Congress that no new state will be created in the country but soon after that Nagaland was created. Afterwards Punjab and Haryana have come into being. I, therefore, want an assurance from the hon. Home Minister that no new state will be created in future and that this is the end of the matter.

It is true that there are 52 or 58 states in America and there is no danger to their unity. If we are to follow suit then at least the centre should become stronger. But it is not proper to give birth to new state even under small pressure. It has become the tendency of the Government not to arrive at any decision or accede to the demands of the people unless the later compelled the Government to do so by their violent activities.

The demand of a separate state in these areas was crept up due to two things. First of all the people of these areas were against the imposition of Assamese language over them and secondly they were of the view they are very backward economically and otherwise as compared to other areas of Assam. But so far as first thing is concerned there is nothing as such in the language Bill that was passed by the Assam Legislature that Assamese will be imposed on the people of these areas. So far as the question of economic exploitation is concerned Pataskar commission gave its recommendations. Some people sell their licences on getting them from the Government.

Some decision should also be taken in regard to the Mikir and North Kachar districts. This Bill is also silent about the Mizo Hills. Whatever the Government want to do they should do firmly but that should not endanger the integrity and unity of India. I vehmently oppose the Bill as I had done in the Joint Select Committee.

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : लगभग दस वर्ष की गड़बड़ी के पश्चात् यह विधेयक सभा के समक्ष आया है। आसाम के रहने वाले कुछ वर्गों के लोगों को विभिन्न ढंगों से परेशान किया जाता रहा है। अनेक बार आसाम में रहने वाले बंगाली भाषी लोगों को परेशान किया गया तथा दबाया गया। यहाँ तक कि उनकी औरतों को भी परेशान तथा तंग किया गया।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी जब कि सभी वर्गों को वहाँ पर समान लाभ प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 11 सितम्बर 1953 को तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में आसाम विधान सभा में बताया गया था कि 1947-48 में गेलपाड़ा जिला में 250 बंगाली माध्यम के स्कूल थे परन्तु 1950-51 में इनकी संख्या कम होकर केवल 3 रह गई है; इसी प्रकार 29-5-54 को अमृत बाजार पत्रिका में आसाम के एक साम्यवादी नेता श्री फणि बोरा का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आसाम सरकार सरकारी तथा गैर-सरकारी एजन्टों द्वारा गोलपाड़ा जिला में जबर्दस्ती बंगाली माध्यम के स्कूलों को बन्द करा रही है और बंगालियों के सांस्कृतिक तथा भाषायी अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय नहीं कर रही है।

इस तथ्य के बावजूद कि पहाड़ी लोगों के लगभग 22 नेताओं ने कल भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उन्होंने यह घोषणा की है कि भूखहड़ताल को अनिश्चित काल तक जारी रखा जायेगा। यह सभा इस विधेयक को पास कर देगी। संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन से भी इस बात का पता चलता है कि गारों पहाड़ी क्षेत्र के एक नेता ने विमति टिप्पण दिया है और जिसमें बताया गया है कि वे लोग इस विधेयक से संतुष्ट नहीं हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस विधेयक से गारो, जयन्ती अथवा खासी पहाड़ियों के लोग संतुष्ट नहीं हैं। वास्तव में वे इसका विरोध कर रहे हैं। यदि इस विधेयक को पास कर दिया जाता है तो कछार जिला आसाम से बिल्कुल अलग हो जायेगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि उत्तरी कच्छार और मिकिर पहाड़ियों के लोग इस स्वायत्तक्षेत्र में शामिल होना चाहें तो वे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि ऐसा हो जाये तो कच्छार का भविष्य क्या होगा ? वहाँ के लोगों ने प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री को एक ज्ञापन दिया था परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। यह एक गम्भीर मामला है कि यह सरकार मामूली दबाव के आगे झुक जाती है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह कच्छार के लोगों के बारे में विचार करें क्यों कि वहाँ के बंगाली स्वयं को बहुत असुरक्षित समझते हैं। 1951 में आसाम में आसामी भाषा भाषी लोगों की संख्या 19, 92,299 थी जो बढ़कर 49, 71, 229 हो गई है। यह एक बहुत ही असम्भव बात है। ऐसा लगता है कि बंगाली बोलने वाले लोगों को अपने आप को आसामी बोलने वाले लोग लिखवाने के लिए बाध्य किया गया है। अतः माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि कच्छार जिला के लोगों की कानूनी मागों पर विचार करें, धन्यवाद।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों जिनमें अधिकांश ने इस विधेयक का समर्थन किया है, धन्यवाद करता हूँ। केवल जनसंघ दल के सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया है। परन्तु वे देश के इस भाग में शान्ति चाहते हैं। हमारा उद्देश्य उस क्षेत्र के लोगों को राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य बातों में संतुष्ट रखना है।

श्री रंगा ने कच्छार की समस्या का उल्लेख किया है ? अनेक राज्यों के अनेक क्षेत्रों में विकास की समस्या है। उन सब पर विचार किया जाता है। मुझे आशा है कि आसाम सरकार द्वारा कच्छार की समस्या पर भी ध्यान दिया जायेगा।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस मामले में लोगों की भावनाओं को तथा वास्त-

विकता को ध्यान में रखा जाना चाहिये। परन्तु पृथक राज्य की मांग वहां की समस्या पर उचित रूप से विचार किये बिना स्वीकार कर लेना इस देश से अन्याय करना होगा।

माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मंत्री से आश्वासन मांगा है कि भविष्य में और कोई राज्य नहीं बनाया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर सरकार का दृष्टिकोण ही बता सकता हूँ। परन्तु किसी के लिए भी आश्वासन देना सम्भव नहीं है। इस समय तेलंगाना का मामला उठाना उचित नहीं है क्योंकि हम आसाम की समस्या पर विचार कर रहे हैं। ये दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं।

माननीय सदस्य श्री एस० एम० जोशी और द्विवेदी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक सदस्य ने कहा है कि भुगोलिक रूप से कच्छार का जिला आसाम से बिलकुल अलग हो जायेगा। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वायत्त राज्य बनाते समय हमारा तात्पर्य प्रशासनिक रूप से पृथक एकक बनाना नहीं है। जहां तक गैर-हस्तांतरित विषयों का सम्बन्ध है आसाम सरकार की 'रिट' उन स्वायत्त क्षेत्रों पर भी लागू होगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विधेयक का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अब्दुल गनी दार का परिचालित करने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ, प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को 30 जून 1969 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 365　　विपक्ष में 30

Ayes 365　　Noes 30

सभा की कुल सदस्यता के बहुमत तथा सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई भाग से यह प्रस्ताव पास हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेंगे। कई संशोधन भी आये हुए हैं।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 4 तथा 6 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अब्दुल गनीदार : मैं संशोधन संख्या 7, 8 और 9 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 12 तथा 14 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं संशोधन संख्या 22 और 23 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Shiv Chandra Jha : I want that the words 'and any' may be removed from the clause No. 2. I also want to know why the North Kachar and Mikir Hills have been left out ? What will be the fate of the Garo hills. Why the right of self determination is not being given to them. A uniform policy is not being followed for all hill peoples of that area. That is why I have moved my amendment to remove the words 'and any'.

My second amendment is also on the above clause. I want that we should have only elected members. The practice to have nominated members does not fit in with the democracy. It gives birth to many malpractices. That is why I have moved that the word 'elected' may be substituted for words "elected or partly nominated and partly elected."

Thirdly I want that words simple majority may be placed in place of the words 'not less than two third majority' because I donot understand the importance of the words 'not less than two third majority,

Then I want that the lines "any such law as is referred to in this article shall not be deemed to an amendment of this constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provisions which amends or has the effect of amending this constitution" should be omitted because it put the Government in a very awkward position.

श्री हेम बरुआ : मैं तकनीकी आधारों पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इस विधेयक को एक ठीक विधेयक बनाने हेतु ही मैंने संशोधन दिया है। मेरा निवेदन है कि विषयों को स्पष्ट करके बताया जाना चाहिए। इस विधेयक के अनुसार छठी अनुसूची भी बनी रहेगी और आसाम के अन्तर्गत एक स्वायत्त राज्य भी बन जायेगा। इसमें अनेक प्रशासनिक तथा भुगोलिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी।

संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन के लिये न केवल उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिये बल्कि सभा के कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिये। परन्तु इस विधेयक में सभा के कुल सदस्यों का बहुमत बिल्कुल नहीं रखा गया है। इसे भी रखा जाना चाहिये।

संविधान के प्रस्तावित अनुच्छेद 375 ख में 'ऐसी समिति के गठन तथा उचित क्रियान्विति के लिये' शब्द हटा दिये जाने चाहिये क्योंकि इससे राज्य विधान सभा वाद-विवाद करने के अधिकार से वंचित हो जाती है।

अनुच्छेद 368 के अन्तिम भाग में दिया हुआ है कि इस विधेयक अथवा किसी भी विधेयक को पारित करने के लिये संसद के सदस्यों का बहुमत ही नहीं अपितु राज्य विधान सभाओं का बहुमत भी होना चाहिये। परन्तु इसमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है और आसाम विधान सभा की भी उपेक्षा की गई है। अतः मेरा सुझाव है कि यह शब्द निकाल दिये जायें। आशा है मंत्री महोदय इन संशोधनों में से कुछ स्वीकार करेंगे।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : Soon after the defeat of Pakistan, when the National feelings were at a climax, the Government bowed before the threat of Sant Fateh Singh and constituted the States of Punjab and Haryana. Now the Government is constituting a new state against our wishes. The Government should not give such toys to play with. They may constitute the states of Telengana, Berar and Konkan. This is against the interests of the nation. The Goveenment should be careful in this regard.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : जब पिछली बार इस विधेयक पर विचार किया गया था तो सभा ने खण्ड 2 के बारे में निर्णय कर लिया था। नियम 338 के अन्तर्गत जब किसी मामले पर सभा ने निर्णय कर लिया हो, तो उसी स्तर में उस जैसा कोई मामला नहीं उठाया जायेगा। अतः अब खण्ड 2 को पारित करने से पूर्व नियम 338 को निलम्बित करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : समूचे संविधान संशोधन विधेयक के लिये अनुमति ली गई थी।

अब मैं खण्ड 2 के सभी संशोधन इकट्ठे सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; 'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।'

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 364;	विपक्ष में 33
Ayes 364;	Noes 33

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I move my amendment No. 15. The hon. Minister want to give to the new state as much amount from the consolidated fund of India as is given to the state of Assam, and it is sought to be done for the purpose of raising the level of administration of that sub state to that of Assam. However, the level of administration can be raised even more than that of the state of Assam. I, therefore, move that the words "to that of the administration of the rest of the State of Assam" should be deleted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendement was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में 372;	विपक्ष में 30
Ayes 372;	Noes 30

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं सशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 374;	विपक्ष में 31
Ayes 374;	Noes 31

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I oppose this bill because it will lead to the disintegration of the country. Even the Home Minister is not happy with this Bill and he is introducing it under compelling circumstances. I agree that the hill people are not happy with the present conditions. It is because the Congress Party failed to assure them justice inspite of a rule of 22 years in Assam. The Government should consider similar problems in other parts of the country before they resort to violence.

Shri S. M. Banerjee : I fully support this Bill and appeal the Jana Sangh not to oppose this Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 369;   विपक्ष में 28

Ayes 369;   Noes 28

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

The motion was adopted.

1969-70 के विपणन मौसम में रबी अनाजों की मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : PRICE POLICY FOR RABI CEREALS FOR 1969-70 MARKETING SEASON

खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, सभा में व्यक्त किये गये विचारों तथा मुख्य मन्त्रियों द्वारा 3 अप्रैल, 1969 को हुए एक सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों पर विचार करने के बाद सरकार ने 1969-70 के विपणन मौसम में रबी अनाजों की मूल्य नीति के बारे में निम्नलिखित निर्णय किये हैं :

(1) देशी लाल गेहूं के अतिरिक्त सभी किस्मों के गेहूँ का वसूली / खरीद मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल होगा। देसी लाल गेहूँ का वसूली मूल्य राज्य सरकारें भारत सरकार के परामर्श द्वारा निर्धारित करेंगी।

(2) 1 मई, 1969 से गेहूँ की सभी किस्मों का विक्रय मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

(3) उत्तरी गेहूं क्षेत्र को बड़ा कर दिया गया है और अब उसमें जम्मू तथा काशमीर, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता के राशनिंग वाले क्षेत्र को छोड़कर) तथा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

समाज कल्याण विभाग

श्री सिद्दय्या (कामराजनगर) : मैंने कल पुरी के शंकराचार्य के एक वक्तव्य का उल्लेख किया था। पुरी के शंकराचार्य ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अस्पृश्यता को हिन्दू धर्म का मूल सिद्धान्त मानते हैं। ज्योतिमठ के शंकराचार्य तथा बनारस के करपात्री जी ने भी उनके विचारों का समर्थन किया है। वस्तुतः लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो अस्पृश्यता पर विश्वास करते हैं।

यह एक गम्भीर मामला है। इससे अस्पृश्यता निवारण के उद्देश्य को बहुत क्षति पहुँची है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत यह एक अपराध है। अभी तक राज्य सरकार अथवा

केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है, यह दुख का विषय है कि विधि मंत्री ने जो अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के उत्तर दायी है उन्होंने कहा है कि यह कोई गम्भीर बात नहीं है। मैं नहीं जानता तब भला इन जातियों का उद्धार कैसे होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

जब तक वर्ण प्रथा को, जो अस्पृश्यता का मूल कारण है, समाप्त नहीं किया जायेगा, देश में अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता।

सभी राजनीतिज्ञों ने पुरी के शंकराचार्य के वक्तव्य की निन्दा की है परन्तु लोग धार्मिक मामलों में राजनीतिज्ञों को कोई महत्व नहीं देते, यदि अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं तो वर्ण व्यवस्था समाप्त करनी होगी और यदि वर्ण व्यवस्था समाप्त करनी है, तो हिन्दी धर्म का अन्त हो जायेगा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अस्पृश्यता कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस कारण हमारे कई सम्बन्धियों ने ईसाई धर्म तथा इस्लाम ग्रहण कर लिया है। कई व्यक्तियों ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। इस देश के हरिजनों ने हिन्दू धर्म त्यागने का निर्णय कर लिया है।

Shri O. P. Tyagi : I am a Hindu but I do not believe in casteism. Therefore, no one has a right to condemn Hinduism as a whole.

श्री सिद्दय्या : हिन्दू दर्शन के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु क्या कोई व्यक्ति हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को ग्रहण कर सकता है। आत्म सम्मान वाले व्यक्ति ही पहले दूसरे धर्म में शामिल होने का निर्णय करते हैं।

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar) : The Department of Social Welfare has been set up for Welfare of weaker section of society generally and Harijans and aboriginals particularly. They are not only economically backward but they are also socially backward. The Government should declare untouchability as antinational. There should be a separate Cabinet Minister for the Department of Social Welfare. The centre is putting off its responsibility in this matter on the State.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए।
Shri Gadilingan Gowd in the Chair]

There should be separate commissions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Under pressure from foreigners Government is prepared to amend the constitution for creating a separate state for the tribals of Assam but nothing is being done for the Scheduled Tribes of Madhya Pradesh since there is no one to raise a voice for them.

Secondly, the report of the Alayaperumal Committe was submitted to President on the 26th January, 1968 and it has come to this House only three or four days earlier. Although the copy of that has not so far been submitted. Yet one of the members of this committee who is also an ex. M. P. Mr. Achyutan, has given a dissenting note and the same has been published in "Yojna". How could it be so when the copies have not so far reached even the Members of Parliament ? In the interim report, the decision on untouchability were said to have been unanimous but now we find a dissenting note of Shri Achyutan in "Yojna" an official magazine. This matter should be inquired into and the facts should be found out.

Besides that, it is also indicated in this report that the Department of Social Welfare did not give co-operation to this committee. That shows that the Government itself does not want to protect the interests of the Harijan and Adivasis. That is why the problems of the Harijan and Adivasis still continues even after 20 years of freedom.

Then, I suggest that a surname, which indicates the caste of the person, should not be allowed to be suffixed. Bisides this, a minimum punishment should also be prescribed for violating the Untouchability Act so as to create some fear in the minds of the defaulters.

The Sta'ement given by the Shankracharya has deeply hurt the feelings of Harijans and Adivasis in the country. I strongly oppose his principles regarding casteism. Swami Vivekanand was a great man. He has clearly said :

"Him I call Mahatma whose heart bleeds for the poor; otherwise he is "Dhoorth" man." Thus, I do not hesitate in calling the Shankracharya a 'Dhoorth man', and I demand that he should be arrested immediately. Besides that, I call upon the hon. Members here to raise their voice against this injustice. The Congress members should also not crush their sentiments just for the sake of the party and should rise to express their feelings in this regard. Also the officers viz. the Inspector General and the Commissioner. who silently kept hearing what the Shankracharya uttered and they did not arrest him, should also be suspended.

The Government should ask their Department to produce films on untouchablity and exhibit them throughout the country. This would help eradicating social melody in the country. In this context, the Film Producers should also be given due encouragement for producing films on Untouchability. Also, the Government should declare that intercaste marriage will be treated as an additional qualification in regard to service.

There was some discussion on prohibition also, today morning. I suggest that only those persons should be allowed to drink whose income is beyond Rs. 500/- per month So, no body should be allowed to purchase wine unless he produces a certificate to the effect that his income is more than Rs. 500/- per month. Raising the rates of wine will also help in attaining prohibition.

श्रीमती रजनी देवी (रायगढ़) : श्रीमान, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह मेरा पहला भाषण है और अपने देश के आदिवासी लोगों के बारे में जो कुछ मैं जानती हूं वह कहना चाहती हूँ।

आदिवासियों की समस्या को धमर्थि दान देने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि उनके बारे में समस्या तो यह है कि भारतीय आजादी का प्रकाश देश के उन लोगों तक भी पहुँचाया जाये जो इतिहास की दौड़ में पिछड़ गये हैं। हमारे संविधान में मूलरूप से निहित समानता की भावना देश के कमजोर और आदिवासी लोगों के लिये उसी प्रकार लागू होनी चाहिये जैसे कि अन्य नागरिकों के बारे में है। गान्धी जी का स्वप्न तथा समाजवाद की वास्तविक्ता तो तभी साकार होगी।

देश के कई भागों में होने वाले आदिवासियों के मध्य फैला असन्तोष इसी बात का प्रतीक है। देश की प्रायः 7 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक असन्तुलन तथा कठिनाइयों का शिकार है तथा उसमें भावात्मक एकता की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में रायगढ़ से वस्तर तक फैले आदिवासी क्षेत्र में एक नई जागृति उत्पन्न हो गई है। साथ ही, एक ओर तो बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्रों में असन्तोष फैला है तथा दूसरी आन्ध्र के श्री काकुलम में भी अशान्ति व्याप्त है। हांलांकि आदिवासी लोग मुख्यतः शान्ति प्रिय हैं परन्तु वे लोग किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन-यापन के ढंग पर हस्तक्षेप बिलकुल नहीं चाहते। वे लोग तो केवल तभी उग्र होते हैं जब उन्हें कोई भड़काता है।

हम जानते हैं कि अपनी अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण वे लोग अब तक सर्वथा उपेक्षित

ही रहे हैं । अतः यदि हम उनसे सहानुभूति और सहायक दृष्टिकोण लेकर उनसे मिलें तो हम उनके विश्वासपात्र बन सकते हैं । परन्तु हमारी ओर से तो ऐसी कार्यवाहियां हो रही हैं जिन्हें वे लोग कतई पसन्द नहीं करते । यही कारण है कि वे लोग हमारे समाज तथा सरकार से मिलने में हिचकते हैं । हमें चाहिये कि हम उन्हें उनकी आवश्यकता तथा उनकी ही प्राथमिकता के आधार पर उनकी सहायता करें । हम अपने ही कार्यक्रम उन पर न लादें ।

आदिवासियों में असन्तोष का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि वे लोग सदा ही सरकारी कर्मचारियों तथा साहूकारों द्वारा शोषित किये जाते रहे हैं । आदिवासी जन स्वभाव से ही ईमानदार होता है । बस्तर के अभुजमण्ड क्षेत्र में खुली वह ईमानदारी-दूकान इस बात का प्रमाण है । वहाँ लोग स्वयं ही सामान लेते हैं तथा स्वयं ही हिसाब लगाकर दाम रख देते हैं । और वह दुकान काफी लाभ दे रही है । क्या ऐसा होना हम सभ्य और शिक्षित लोगों के मध्य सम्भव है ?

और वे लोग स्वयं ही कहते हैं कि वहाँ एक दुकानदार बैठा दिया जाये क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि यदि कहीं किसी से दाम अदा करने में कोई त्रुटि हो गई तो सारी आदिवासी जाति पर बेईमान का कलंक लग जायेगा ।

अतः मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग इतने ईमानदार और सच्चे हैं उनको साहूकारों ने लूटा है, उन्हें धोखा दिया गया है, और अब वे लोग सब पर सन्देह करते हैं । और यही कारण है कि वे छोटी सी बात पर भी हिंसा पर उतारू हो जाते हैं । माना कि सरकार उन लोगों के लिये काफी कुछ करती है परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि सरकार की ओर से जो अधिकारी नियुक्त हैं वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं करते । वन-संरक्षक तथा पटवारी आदि लोगों का आदिवासियों के साथ गहरा सम्पर्क रहता है परन्तु जब ये लोग ही स्वयं अच्छी स्थिति में नहीं है तो आदिवासियों का ये क्या भला करेंगे ? अतः वे भी बीच में कुछ गोलमाल करते हैं । यद्यपि यह स्वाभाविक है; फिर अवैध तो है; और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । इसलिये मेरा सुझाव है कि आदिवासियों के मध्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वालों को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन दिया जाये ताकि वे लोग इन आदिवासियों के साथ भली प्रकार मिलने-जुलने, उनके लिये कुछ कार्य करने के लिये उत्साहित हों । साथ ही वहाँ ऐसे व्यक्ति भेजे जाने चाहिये जो उत्साही हों, मिलनसार हों तथा उन लोगों की विचार धारा तथा आचार व्यवहार को समझते जानते हों । ऐसे आदमी वहां कदापि न भेजे जायें जिन्हें देखकर आदिवासी यह समझें कि उनके ऊपर तो कोई शक्तिशाली आदमी बैठा दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त आदिवासियों के मध्य असन्तोष का यह भी कारण है कि अनूसूचित क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को वे लाभ तथा सुविधायें प्राप्त नहीं है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों को प्राप्त हैं । इस तरह परस्पर द्वेष भावना पैदा होती है । इस सम्बन्ध में सरकार को क्षेत्र-भेद भुलाकर यथोचित समन्वय करना चाहिये ।

परन्तु इस सम्बन्ध में समन्वय की बेहद कमी है । केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य, तथा राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के मध्य बिल्कुल समन्वय नहीं है । केन्द्र जो धन आदिवासियों के लिये देता है राज्य सरकार उसे उपयोग में नहीं लाती । क्या केन्द्र सरकार इस बारे में राज्य सरकार से जवाब नहीं मांग सकती ?

यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि आदिवासी स्वयं इस बात के इच्छुक हैं कि वे हमारे

इस सभ्य और शिक्षित समाज में आकर मिलें, यहाँ के जीवन के तरीकों को अपनायें। आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित अनेक स्कूल और चिकित्सालय इस बात के प्रमाण हैं। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना हैं कि वहां भारी बेरोजगारी फैली है। शिक्षा प्राप्ति के बाद भी वहां के लड़कों लड़कियों में बड़ी बेरोजगारी है। सरकार इन सब बातों पर विचार करे तथा इन समस्याओं का समाधान करे।

अन्त में मेरी प्रधान मंत्री से भी एक निजी प्रार्थना है। पिछले 20 वर्षों से आदिवासियों के दिल में इच्छा है कि वे देश के मंत्री-मंडल में अपने प्रतिनिधि को एक मंत्री देखना चाहते हैं। प्रधान मंत्री को यह मालूम भी है।

अन्त में मैं कहूंगी कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिये समुचित व्यवस्था करे, धन निर्धारित करे तथा ऐसा प्रबन्ध भी करे कि इस व्यवस्था और धन का लाभ आदिवासियों तक अवश्य पहुंचे।

मैं इस विभाग की मांगों का दिल से समर्थन करती हूँ।

श्री क० हाल्दर (मथुरापुर) : समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट से पता चलता है कि यद्यपि सरकार पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये अधिकाधिक धन खर्च कर रही है परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निर्धारित यह धन राशि अपेक्षाकृत बहुत कम है।

पिछले वर्ष, पिछड़ी जातियों के प्रति उपेक्षा के बारे में इस सभा के सदस्यों ने बड़ा रोष व्यक्त किया था। इसी बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर सरकार को इस सभा में हार का भी मुँह देखना पड़ा था। हालांकि सदस्यों को सन्तुष्ट करने तथा सरकार को स्थिर बनाने के लिये एक-दो नये मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी परन्तु उन लोगों की हालत अगर और बुरी नहीं हुई तो कम से कम वैसी ही तो है ही।

आयोजना आयोग ने पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ चौथी पंचवर्षीय योजना में नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिये एक समिति गठित की थी। इसके अनुसार भारत सरकार के केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अपने आपको एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय किया। पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस विचार का विरोध किया है। इस प्रकार राज्य बोर्ड तो एक सलाहकार निकाय ही रह जायेगा और सारे कार्यकारी अधिकार इस लिमिटेड कम्पनी को ही प्राप्त हो जायेंगे तथा राज्य सरकार को राज्य की शाखा से बजट आदि की जांच करने का कोई अधिकार नहीं रह जायेगा। इस प्रकार समाज कल्याण सम्बन्धी कामों में राज्य सरकार के अधिकार कम हो जायेंगे। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को और अधिकार देने की बजाये उनके वर्तमान अधिकार भी घटा रही है। इससे केन्द्र और राज्यों के परस्पर सम्बन्ध खराब होंगे।

दूसरी ओर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के 5000 कर्मचारियों द्वारा पिछले 15 वर्षों में अर्जित सरकारी कर्मचारियों के जैसे अधिकार समाप्त हो जायेंगे। अतः केन्द्र सरकार बोर्ड के सभी कर्मचारियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित करे तथा उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के जैसे पेन्शन, उपदान आदि के लाभ दे तथा अन्य विशेषाधिकार दे।

यह वर्ष गान्धी शताब्दी वर्ष है। गान्धी जी ने आजीवन हरिजनों के लिये कार्य किया।

सरकार भी गान्धी जी की इच्छाओं को पूरा करने का दम भरती रहती है। परन्तु स्वतंत्रता के 20-22 वर्ष बाद भी अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति हमारे भारत में विद्यमान् है और देश के अनेक स्थानों पर तो स्थिति और भी अधिक खराब है। यहां तक कि महात्मा गान्धी के जन्म स्थान पोर बन्दर में भी हरिजनों को सार्वजनिक नलों से पानी नहीं लेने दिया जाता।

हमारे संविधान में पिछड़ी जातियों को कुछ संरक्षण प्रदान किये गये हैं। परन्तु इनका उल्लंघन स्वयं सरकार भी करती है। पिछड़ी जाति के लोगों को शिक्षा, सेवा, आदि की यथोचित सुविधायें नहीं मिल रही हैं। विदेशों में जाने के लिये छात्रवृतियों, ऊंचे पदों आदि के लिये यह कह दिया जाता है कि पिछड़ी जाति का कोई उम्मीदवार योग्य नहीं मिला।

किसानों को भूमि बांटने के बारे में भी सरकार अपनी नीति कार्यान्वित नहीं कर सकी है। इसके फलस्वरूप अनेक हरिजन किसानों को भूमि नहीं मिली है। दूसरी ओर साझी खेती करने वाले छोटे-छोटे किसानों को बेदखल किया जा रहा है। उन पर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं। यह अकसर देश में होता है। अन्धविश्वास और कुरीतियाँ अब भी फैली हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को केवल चतुर्थ या तृतीय श्रेणी की नौकरी ही मिलती है। तथा ऊंचे पदों की तो बात क्या उन्हें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिये भी भर्ती नहीं किया जाता। कम वेतन वाले लिपिकों को सरकारी निवास भी नहीं दिया जाता जिसके कारण उन्हें अपने वेतन का अधिकतम भाग मकान के किराये में ही दे देना पड़ता है।

विशेषकर पिछड़े राज्यों में समाज कल्याण बोर्ड ने आदिवासियों को तो बिल्कुल ही उपेक्षित कर दिया। मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ जिले की खानों और कारखानों में तथा बैलाडिला की खानों में आदिवासियों के लिये रोजगार दिलाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं है। वहाँ यद्यपि 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं परन्तु नौकरियां उन्हें 20 प्रतिशत भी नहीं प्राप्त होतीं।

भूमि के बारे में भी स्थानीय व्यक्तियों को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया है। दण्डकारण्य परियोजना के निर्माण के समय केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य यह तय हुआ था कि समस्त वनों की तिहाई भूमि को खेती करने के लिये वहां के भूमिहीन आदिवासियों में वितरित कर दिया जाये। परन्तु न जाने वह 80,000 एकड़ भूमि किस प्रकार उन लोगों में वितरित की गई है। पिछले दो वर्षों से स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से 600 आदिवासी तो गिरफ्तार भी हुए हैं।

सरकार ने 30,000 एकड़ भूमि का वितरण करने का वायदा किया परन्तु वह भी निष्फल रहा। दूसरी ओर, 6000 एकड़ भूमि शरणार्थियों को बांट दी। इससे आदिवासियों को दुःख होता है। ये लोग बड़ी ही बुरी दशा को प्राप्त हैं तथा बड़ी भारी गरीबी वहां व्याप्त है। न वहां सिंचाई का प्रबन्ध है और न ही उनको पीने का जल ही सरलता से मिलता है। यही कारण है कि वहां हमेशा अकाल पड़ता है।

सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्तियों का शोषण देखकर कुछ स्वार्थी लोग शिव सेना की तरह छत्तीसगढ़ सेना का गठन कर रहे हैं। अलग से छत्तीसगढ़ बनाने की मांग भी सुनी जा चुकी है।

वर्ष 1965 में बिहार राज्य के कापड़िया समुदाय ने मांग की कि कापड़िया समुदाय को भी हरिजन घोषित किया जाये। परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों को जिनमें अधिकतर लोग जो कि मुख्यतः किसान है तथा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से सम्बन्धित हैं, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान आदि के पिछड़े क्षेत्रों में बसाया गया था। अब वे लोग वहां के अधिकारियों की दया पर जी रहे हैं। गत दिसम्बर में हैदराबाद से भारी संख्या में वे शरणार्थी यहां दिल्ली आये थे तथा उन्होंने अपनी कठिनाईयाँ बताई थी। उन्हें बंजर भूमि दी गई है जहां वर्ष भर में बहुत ही कम वर्षा होती है। वह जगह रहने के सर्वथा अयोग्य है। उन्हें वहां सभी प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिये ताकि वे भी आदमियों की भांति वहाँ रह सकें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण करने के सर्वथा विरुद्ध हैं। फिर न जाने वह क्यों इस पद पर बने हैं। या तो उन्हें इस पद से हटाया जाये अन्यथा यही समझा जायेगा कि स्वयं सरकार के ही दिल में कुछ काला है।

पुरी के शंकराचार्य तथा गुरु गोलवलकर के बारे में यहां काफी चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्तव्य देने वालों को दण्ड देने के लिये अनेक कानून बने हुए हैं। उनके पद अथवा समाज में उनके स्थान की कोई परवाह किये बिना उन्हें उचित दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदानों की मागों पर कल से काफी चर्चा हो रही है।

संविधान सभा के गठन से लेकर अब तक यह प्रश्न कितनी ही बार उठा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का विकास कैसे किया जाये। अंग्रेजों के शासन काल में भी ये जातियां अपेक्षाकृत बहुत ही पिछड़ी तथा दलित रही हैं। राष्ट्रपिता (महात्मा गांधी) के नेतृत्व में हमारे देश के अनेक नेताओं ने इन जातियों के लिये संविधान में विशेष उपबन्ध शामिल कराये। परन्तु उन उपबन्धों का बिल्कुल पालन नहीं किया जाता है। पिछले 20 वर्षों से ही हम इन तथा कथित आधुनिक समाज के लोगों का रवैया देखते आ रहे हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारे में यहां अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। वास्तव में यह आयुक्त तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके दिल में इन जातियों का उत्थान और विकास करने की सच्ची भावना हो। परन्तु सरकार ऐसा नहीं चाहती। इन जातियों के लोग जानते हैं कि किस प्रकार उनका शोषण किया जा रहा है।

कल श्री शंकराचार्य की निन्दा की जा रही थी और उनकी निन्दा की भी जानी चाहिये। उनके दण्ड देने के लिये संविधान में व्यवस्था भी मौजूद है। परन्तु उनकी तो हर स्थान पर पूजा हो रही है। उन्हें फूल-मालायें पहनाई जा रही हैं। क्या इसी प्रकार संविधान का सम्मान रखा जाता है? आदिवासी लोग बड़ी दीनावस्था में हैं, सदैव ही उनका शोषण होता है। मुझे "सुवर्ण हिन्दू" शब्द भी बेहद नापसन्द है।

जब तक हम लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता तब तक संविधान का कोई लाभ नहीं है। लोग हम पर हंसते हैं क्योंकि इन जातियों के प्रति हम केवल ऊपरी सहानुभूति ही प्रदर्शित करते हैं। हमें सच्ची भावना से इन जातियों के उत्थान और विकास हेतु कार्य करना चाहिये।

ब्रिटिश राज के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति पददलित थे। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने आदिमजातीय क्षेत्रों में उद्योग तथा अन्य परियोजनायें स्थापित करके एक नई स्थिति पैदा कर दी है। इन बांधों तथा अन्य बहुपरियोजनीय परियोजनाओं के निर्माण के कारण भारी संख्या में अनुसूचित आदिमजातीय लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। जब मंत्री महोदय से पूछा जाता है कि कितने आदिमजातीय लोगों को विस्थापित किया गया है, तो वह कह देते हैं कि उन्हें इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में वास्तविक रुची नहीं रखती है।

श्री स्वैल ने प्रश्न काल में अनुसूचित आदिम जातियों का उल्लेख किया था। आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिम जातीय लोग रहते हैं, वे सब ईसाई हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा दी गई है तथा उनका स्तर हम से अच्छा है। मैं ने माननीय मंत्री से कहा था यदि इन सब विकास सम्बन्धी कार्यों पर धन बर्बाद न करके हमें अच्छी शिक्षा दी जाये, तो अधिक अच्छा रहेगा, क्यों कि अच्छी शिक्षा दिये जाने पर अन्य बातें स्वयं ठीक हो जायेंगी। आसाम सरकार से भी मैं यही कहता रहा हूँ और केन्द्रीय सरकार से भी यही अनुरोध करता रहा हूँ कि अन्य बातों पर धन खर्च न करके अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये। परन्तु यह खेद की बात है कि इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि बागबानी तथा रेशम कीट पालन जैसी विकास योजनाओं पर धन बर्बाद न करके अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है, तो मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां उनकी पूजा करेंगी। मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा था कि हमारे लोगों में निराशा की भावना है, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मैं ने उन्हें वह पत्र भी दिखाया था जिसमें श्री नेहरू ने लिखा था कि समय आने पर उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह समय कब आयेगा और यदि शीघ्र ही वह समय नहीं आता है तो आपको प्रत्येक आदिम जातिय क्षेत्र में उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसका कि इस समय कुछ क्षेत्रों में करना पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैदानों के आदिजातीय लोग आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के आदिम जातीय लोगों से कमजोर नहीं हैं। अतः यदि आप उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो आपको विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं में बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पदों का आरक्षण होते हुए भी वस्तु स्थिति यह है कि प्रथम श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों को केवल 2.21 प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों को 0.65 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों को 2.95 प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों को 0.38 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में साक्षरता में अन्य लोगों की तुलना में कम वृद्धि हुई है। सुवर्ण हिन्दू शिक्षित अनुसूचित आदिम जातीय व्यक्तियों की समस्याओं को समझने को तैयार नहीं है। चूंकि ये लोग गरीब परिवारों के होते हैं, इस लिये ठीक तरह से बोलना और व्यवहार करना नहीं जानते हैं। इनमें हीनता की भावना भी होती है तथा इस लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में ऊंचे पदों के लिये अन्य लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि यदि आप समूचे देश की प्रगति चाहते हैं

तो इन लोगों के विकास के लिये विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिये और इनके साथ न्याय किया जाना चाहिये ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस समय हमारे देश में मठों तथा गिरजाघरों का राज है । हमारा ढांचा प्रजातंत्रात्मक नहीं है, परन्तु इन मठों ने हमारे समाज का ढांचा इस प्रकार का बना दिया है जिसमें ऊंची जातियों वाले लोग राज कर रहे हैं और पददलित कहे जाने वाले व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । कई माननीय सदस्यों ने शंकराचार्य की कटु आलोचना की है । यह प्रश्न केवल अकेले शंकराचार्य का नहीं है, परन्तु देश में कई अन्य ऐसे स्वामी जी हैं, जो अस्पृश्यता और घृणा फैला रहे हैं तथा जिनमें श्री गोलवालकर भी शामिल हैं । हाल में श्री जय प्रकाश नारायण ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें.........

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : On a point of order Sir. The hon. Member has said that Shri Golwalkar's views regarding untouchability are similar to those of Sankracharyya. This allegation is baseless. Shri Golwalkar has explained his views very clearly regarding untouchability and his speech has been published in to-day's Hindustan Times. I would like to request the hon. Member to read that speech. It has been published in the said newspaper that on being asked whether he would use the RSS to end untouchability. Mr. Golwalkar said that many so called untouchables were full time RSS workers and participating in the community dinners held from time to time. He has further added. "I do not believe in untouchability and have been working with the help of the entire organisation to end it."

This allegation is being levelled for achieving political gains.

श्री क० लकप्पा : हाल में ही समाजवादी नेता श्री जय प्रकाश नारायण जिनका देश में बहुत आदर किया जाता है, ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा उसके प्रधान श्री गोलवालकर घृणा फैला रहे हैं । यदि यह सच नहीं है तो श्री गोलवालकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ इसका खण्डन क्यों नहीं करते हैं ।

संविधान के अनुच्छेद 332 से 340 तक में संवैधानिक प्रतिभूतियां दी गई हैं, परन्तु इन प्रतिभूतियों का उपयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दबाने के लिये किया गया है न कि उनका विकास करने के लिये । स्वतंत्रता के 22 वर्ष बाद आज भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के करोड़ लोग अब अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं । अवसर की समता नहीं है । जाति तथा रंग का कलंक अभी तक विद्यमान है । ब्राह्मण कोई भी व्यवसाय करने पर अपवित्र नहीं समझा जाता है, परन्तु गैर ब्राह्मणों को वैदिक ढंग से पूजा आदि कराने का अधिकार नहीं है। इस सारी स्थिति की जिम्मेदारी सरकार पर है । क्या सरकार इस बात की जाँच करेगी कि देश में कितने स्वामी जी ऐसे हैं जो अपने को अन्य लोगों से ऊँचा बताते हैं ? अस्पृश्यता को समाप्त करना कांग्रेस सरकार के लिये संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं इससे अछूती नहीं है । मैसूर में मांतानाला शिवा योगी खुलेआम अस्पृश्यता का प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रधान श्री नार्जिलिंगप्पा उन द्वारा आयोग किये जाने वाले एक समारोह का सभापतित्व करने को तैयार हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy-speaker in the Chair.]

मेरे राज्य में श्रृंगेरी में एक मठ है, जो अस्पृश्यता का प्रचार कर रहा है। देश में शंकराचार्य के बहुत से एजेंट हैं जो उनकी विचार धारा का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो स्वामियों से प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं। उन सब राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये जो अस्पृश्यता तथा घृणा का प्रचार कर रहे हैं।

मैं एक ऐसी घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है तथा जिसको पढ़ कर हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है। उक्त समाचार पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के एक गाँव में भगवंती नामक एक 60 वर्षीय वृद्धा को पंचायत में बुलाया गया और उस पर 1.25 रुपये जुर्माना किया गया। उस वृद्धा का अपराध केवल यह था कि वे सुवर्ण हिन्दुओं की आज्ञा के विरुद्ध गांव के खेतों में चली गई थी। बीजदपुर ठाकरान गांव के 400 वर्ष के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी, जो इस समय घटी है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि अस्पृश्यता का निवारण कहाँ किया गया है। यह घटना एक ऐसे स्थान पर घटी है जो संसद से केवल 13 मील दूर है और संसद् द्वारा अस्पृश्यता को आपराधिक अपराध घोषित किया गया है। भगवंती के साथ दो हरिजन महिलाओं को भी वही दण्ड दिया गया और उनका भी अपराध वही था। इसके कुछ दिन बाद पंचायत द्वारा ढोल पीट कर यह घोषणा की गई कि कोई भी हरिजन खेतों में नहीं जा सकेगा। जब संसद के निकट भी ऐसी घटनायें हो रही है, तो इस देश से अस्पृश्यता का किस प्रकार उन्मूलन किया जा सकता है।

हमारे समाज का वर्तमान ढांचा इस प्रकार का हो गया है कि कांग्रेस ने हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को केवल मत प्राप्त करने का साधन बनाया हुआ है। मैं श्री बिड़ला के निर्वाचन क्षेत्र की एक नग्न घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान के गंगानगर जिले की भादरा तहसील में शनोदेवी देवी नामक एक 23 वर्षीय हरिजन महिला के साथ चौधरी निहाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने 19 मार्च 1969 को बलात्कार किया। शर्म के मारे वह महिला अपने बच्चों सहित कूएं में कूद गई और आत्म-हत्या कर ली। अपराधी अभी तक अबाध रूप से घूम रहे हैं और वे अपराधी हैं। * * *

कुछ माननीय सदस्य : शर्म-शर्म

क्या यह कहना सच है कि हमारे देश से छुआछात समाप्त हो गई है? सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि हमारे देश में कितने मठ छूआछात को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी दायित्व और आस्तियाँ क्या हैं।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : श्री लकप्पा ने एक दर्दनाक घटना का विवरण दिया है। इस बारे में बताया गया है कि दोषी व्यक्ति * * थे। ऐसे कोई साधन नहीं है जिनसे यह जाना जा सके वह व्यक्ति कौन था। इस मामले में उनका * * उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री क० लकप्पा : कांग्रेस सरकार अब भी देश पर शासन कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस दुखःद घटना के उल्लेख का सम्बन्ध है इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सदस्य ने कथित अपराधियों के अमुक अमुक व्यक्ति वहां घूम रहे थे, ऐसा कहा है। जब तक वे अपने आरोप के अनुसार नाम आदि नहीं बताते, उनका ऐसा कहना उचित नहीं है।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by Chair.

Shri Sheo Narain : I raise a legal point. He did not say ** but said **.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झूंझनू) । यह घटना राजस्थान में गंगानगर जिले में भाद्रा तहसील में घटी । जिस महिला ने लज्जा और घृणा के कारण अपनी बच्चो सहित आत्म-हत्या की उसका नाम सन्तो देवी था । कुकर्म करने वाले पुरुष का नाम श्री निहाल सिंह चौधरी था । क्या उसने** ।

मुझे कोई सूचना नहीं । कुछ मास पूर्व भाद्रा में चाना में श्री हंसराजनाम के विधान सभा सदस्य ने हरिजनों को आघात पहुँचाया ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के अपराध के बारे में सामान्य आरोप लगाया गया है । क्या आप इसे वापिस लेंगे ।

श्री क० लकप्पा : मैंने कहा था कि वह * * है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे जानते हैं ? इसे कोई भी नहीं जानता ।

श्री क० लकप्पा : मैं आपको जानकारी दे दूँगा । क्या मन्त्री महोदय जांच करायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जांच की मांग औचित्यपूर्ण है । उस निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि सदस्य का कथन है कि कोई पुरुष वहाँ पर था । आप इस प्रकार का सामान्य आरोप नहीं लगा सकते ।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : There can be no objection to the holding of enquiry. These Birlas play with the honour of the poor people.

श्री रा० कृ० बिड़ला : मुझे इनके शब्दों पर आपत्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि सदस्य ने सामान्य आरोप वापिस ले लिये हैं।

जब तक जाँच द्वारा दोष सिद्धि नहीं हो जाती, आपको अमुक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए । इसे आपको वापिस लेना होगा ।

Shri R. K. Birla : In case the member means what he said on Birlas, he must offer applogy.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य इसे वापिस ले रहे हैं अन्यथा मैं इसे कार्यवाही से निकाल दूँगा ।

श्री क० लकप्पा : मैंने * * शब्द का प्रयोग किया था । क्या यह शब्द असंसदीय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय अथवा असंसदीय है, यह बात विचारणीय नहीं हैं । इसे कार्यवाही से निकाला जाता है ।

Shri Shashi Bhushan : I symbolize the words 'Birlas' with capitalists. If he feels it, I withdraw these remarks.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप खेद प्रकट करने को तैयार हैं ?

श्री क० लकप्पा : मुझे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि वह * * है । यदि वह * * नहीं है तो मुझे चिन्ता नहीं ।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाल दिये गये, पृष्ठ संख्या 144

*Expunged as ordered by the chair, vide page 144

उपाध्यक्ष महोदय : बिना आधार और साक्षी के नाम लेना उचित नहीं ।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : It is illegal to mention the daughters of 15 crore men.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें खेद प्रकट करने के लिये कहा है । मैंने उन शब्दों को निकालने का आदेश पहले ही दे दिया है ।

श्री सोमचन्द सोलंकी (करा) वह * * नैतिक पतन चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन शब्दों को निकाल दूंगा ।

Shri M. S. Vikey (Mandla) : The aboriginals practise three ways of life. The first is to live in Jungle on the produce of Jungle. The forest laws, as changed after independence, do not permit them to live on fruites and other produce of Jungle. The second means of their livelihood was Animal-husbandary, but the grazing laws have created hinderances in this also.

Backward agriculture is the third means of their livelihood. Aboriginals are addicted to drinking and as a result thereof their improved lands pass on to the Bankers or shopkeepers. As a remidial measure a law named, "Land regulation Act 1966", was enacted. The aboriginals have now to borrow from the cooperative banks, which have been empowered to auction the lands in the event of default.

The banks do not advance money to the aboriginals until some non-tribal stands surety for them.

According to the Land Revenue Act of our state, if a farmer cultivates any land for two years, within a period of three years the land is transferred in his name.

There are five classes of aboriginals in Madhya Pradesh, one is Jhabuva, a Bhil area where one murder is committed everyday. There are two Session Judges in that division. N other division has more than one Session Judge. There is so much rush of work in these courts that hardly murder cases are disposed of. The reasons for the murders are that these Bhils are desparate in life. They neither have lands, nor houses nor clothes. There is a Research Institute in the area. That Institute has not been able to investigate the reasons of murders nor the reasons for non-transfer of lands. No body is able to snach their land as they keep themselves armed with bows and arrows.

The second part is of Bastar where firing took place twice. Our research Institute has not paid attention towards this.

It is a fact that aboriginals and Harijans of that region are the backward-most in whole of India. The land in their possession has teek trees worth 50 crores of rupees. There are four forest divisions yielding about 3 crores of rupees. The forest officials drew lines in between the fields of these aboriginals. The high officials say that there is no harm on account of these lines. But the subordinate officers harass the tribal people. One of our Youngman was killed due to it. I visited the area as a member of a high power commission and these facts are the result of the investigations made there.

In the absence of paper maps, the aboriginals are being befooled and their lands and teekwood trees are taken over. Previously they were being exploited by the king and whenever they raised their voice against the injustice they had to face the bullets.

There is extreme backwardness in the area. The pregnant ladies have to go to woods

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया, पृष्ठ 144

*Expunged as ordered by the chair vide page 144.

upto the last day and the result is that children take births while the mothers are away performing certain tasks and the children are named after the task the mother was performing at the time of child birth. I appeal to all the members of this house and also to all the citizen of our country to give due attention towards aboriginal ladies.

It is fact that the Christian Missionaries are undertaking relief works among the aboriginals. But I am totally opposed to the conversion of our people by these Missionaries. The aboriginals are against the four classes in religon. Due to this opposition they withdrew to mountains and Jungles. The Missions have opened schools and allow freeships and scholarships. These services are appreciable. But the large scale conversion made by them is bad. During the British regieme there were only 86000 christians in Madhya Pradesh whereas their number has increased to 196000 in ten years period. The reasons for this large scale conversion should be thoroughly examined. Our children require photos, medical and caste certificates and the villages cannot afford money required for this. The Missions arrange for them all these things free of cost and also arrange to admit their children into Missionary colleges. Because of all this our youth are easily converted. The research institute should investigate the reasons for this large scale conversions. Having lost our land and woods we are now loosing our religion too. I have been expressing my belief that we should not take relief from Christian Missions if it compells us to loose our religion. The Government should make all out efforts to stop these conversions.

The crores of rupees the Government have been allocating for the benefit of aboriginals is not largely being used for them. There are 883 area organisors in Aboriginal Development blocks in Madhya Pradesh and the Government of India is spending 10 lakhs of rupees on each block, but there is no proper supervision over it. Arrangement for supervision should be made and a parliamentary committee should be set up to see that the money is used for the purpose it is intended for.

Probably a sum of 1-1/2 crores of rupees was allocated to the State Government for establishing cooperative societies and Forest Cooperative Societies, out of that allocation a sum of 80 lakhs of rupees is missing. Neither the State Government nor the Central Govt. is aware as to what has been done with it. Lot of cereals and other eatables at Kota co-operative society was destroyed as orders were not issued for its distribution. Similarly 27000 quintals of cereals supplied through America in Dhar districts is rotting in the absence of orders. Neither the Centre nor the State Government own the responsibility for it. This matter should be investigated. The powers of the parliamentary committee set up for the purpose should be enhanced.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अपना उत्तर कल देंगे, क्योंकि आज समय समाप्त हो गया है और हमारे पास एक ही घण्टा रह गया है । अब और अधिक समय भी नहीं बढ़ाया जायेगा क्योंकि एक घण्टे से अधिक समय पहले ही बढ़ा दिया गया है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे केवल पाँच-पाँच मिनट का ही समय लें, जिससे कि मैं अधिक सदस्यों को समय दे सकूं ।

Shri Mahant Diguijai Nath (Gorakhpur) : While discussing the social welfare, I can say that we have not done anything for the betterment and uplift of scheduled castes. We have caste system, we have four Varnas-Brahman, Kashtriya, Vaishya, and Shudra-theory in our country. But I may say that no body was born as a Brahaman or Shudra, he was born as a human being and only human being, but the society make him so.

I do not agree with what Shri Shankracharya of Puri has said, he has his own views. He has interpretted the religious books according to his own inclination. Political capital is being made with the speech made by the Shankracharya so that Hindu Society may weaken. At the time we got independence the Country was divided into two. One was made a purely Muslim State and the other a Hindu State. The people criticise sacred places (Mathas) but I can say these are not aided by Peking or other countries. In my opinion, Only Hindus can

save the Country. It is convention of our Country that people get inspiration from these mathas, they do not create untouchability but we people have created this. There are our leaders who have spread the caste system, they give tickets to contest for elections on the basis of caste. They even do not think as to how they should improve their economic conditions. There we should first of all take steps to improve the economic conditions of the scheduled castes and other backward classes country as a whole. Hinduism is not a religion, it is a Nation and we must be loyal to our Nation, and only then country can make development.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : While I support the demands of the department of Social Welfare I want to say that the demands are not enough, these should have been more. Government advocating the slogan of socialistic pattern of society has not been able to improve the lot of the scheduled castes in the last twenty years to the extent it should have been done. Government cries much to uplift the conditions of Harijans but does little. For example take the matter of scholarship. The Schedule Caste students do not get scholarship in time. Government do not give them enough amount of scholarship in view of the present day economic conditions. They are getting employment even from reserved quota. Not a single Department of the Government has not even realised to fill the vacancies arising under reserved quota for scheduled caste candidates. Government is not taking any steps to see this matter. Rather Government replies to our representations that suitable candidate was not available. Seeing this state of affairs and attitute of our Government we can say that there is not only one Shankaracharya, but thousands of Shankaracharyas are there who are bent upon to go on doing harm to the scheduled castes and Scheduled tribes.

Regarding distribution of land to the landless people I can say that this matter has not been decided even to day. Poor Harijans are dying of hunger. Untouchability has increased in India, and there are people who advocate untouchability quoting references from Religious Books.

I request Government to look into our grievances. We have many times requested that there should be a separate Union Ministry for Scheduled Castes with a Minister of cabinet rank as its incharge. I again request Government to eradicate untouchability and strict punishment should be given to those like the Shankaracharya who advocate that untouchability is justified in Hindu religion and in case Government is not able to check this act of the Hindus then we will have to settle this matter with the Hindus of our own accord.

श्री द० रा० परमार (पाटन) : समाज कल्याण मंत्रालय की माँगों को लेकर हम प्रति वर्ष हरिजनों की समस्या पर विचार करते हैं, तथा छूआछूत को मिटाने तथा उनकी दशा को सुधारने के लिए गम्भीरता से विचार करते हैं कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है।

[**श्री गाडिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए।**
Shri Gadilingana Gowd in the Chair.]

परन्तु यह चर्चा वक्तव्यों तक ही सीमित रहती है। मांगों के पास हो जाने के पश्चात् इनकी दशा पर कोई भी ध्यान नहीं देता और यही मुख्य कारण है कि हरिजनों की दशा को नहीं सुधारा जा सका तथा छुआछूत को मिटाया नहीं जा सका।

इस विभाग के दो अनुभागों में से एक का कार्य देश में से छूआछूत को मिटाना है। इस कलंक को हमें अपने माथे से जितना शीघ्र हो सके मिटाना चाहिए। छूआछूत अध्यादेश 1955 के अन्तर्गत छुआछूत विचार्य अपराध होने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में छूआछूत उग्र रूप में फैली हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग ने इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकदमे दायर किए हैं? गुजरात राज्य में नशाबन्दी के अन्तर्गत मुकदमे दायर किए जाते हैं परन्तु छूआछूत अधिनियम के अन्तर्गत एक भी मुकदमा दायर नहीं किया जाता। अहमदाबाद में कपड़े के मिलों में,

केवल बुनाई विभाग को छोड़कर, हरिजनों का प्रवेश वर्जित है। पुलिस अधिकारी भी हरिजनों को अपमान जनक शब्दों में गाली देते हैं। मैंने एक उदाहरण लगभग एक मास पहले दिया था कि एक हरिजन बालक को नंगा करके उसको गलियों में घुमाया गया और उसके पीछे ढ़ोल बजाए गए जिसके विषय में मैंने गुजरात के मुख्य मन्त्री से कहा कि इस मामले की जांच कराई जाए तथा अपराधी पुलिस अधिकारी को दण्ड दिया जाए। परन्तु आश्चर्य की बात है कि मुख्य मन्त्री ने बताया है कि ऐंसी घटना घटी ही नहीं। जहाँ ऐंसा अन्याय है वहाँ पर ये बेचारे हरिजन अपने दुःख किससे कहें। अभी हाल ही में शंकराचार्य ने अपने वक्तव्य में छुआछूत को जायज बताया है तथा उन्होंने कहा है कि कानून धर्म का मार्ग दर्शन न करे। इसके पश्चात् अन्य अधिकारी पुरुषों ने भी इसी वक्तव्य के पक्ष में अपने अपने भाषण दिए हैं और देश की स्थिति को कलुषित किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार से छूआछूत को फैलाना क्या हमारे संविधान तथा छुआछूत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध नहीं है, और यदि है तो सरकार श्री शंकराचार्य तथा उनके विचारों के समर्थकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रही है ? मेरा अनुरोध है कि सरकार को चाहिये कि छूआछूत को मानने वालों के खिलाफ अदालती कार्रवाई करे, और उन्हें दण्ड दे।

शंकराचार्य ने जिस समय अपने वक्तव्य में अस्पृश्यता का समर्थन किया, उस समय पुलिस वहां उपस्थित थी। शंकराचार्य का यह हस्तक्षेपनीय अपराध था और पुलिस को उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। क्या सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है। महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इस समय तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य किया जाना चाहिए। उड़ीसा विधान सभा में स्वतंत्रता दल के नेतृत्व में शंकराचार्य के वक्तव्य की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया है।

हरिजनों के पास कृषि भूमि नहीं है। वे अधिकांश में खेतीहर मजदूर हैं। ऐसे नियम विद्यमान है जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को कृषि भूमि दी जा सकती है परन्तु ग्राम पंचायतें उन्हें क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। जो भूमि गाँव में फालतू होती है, उसे ग्राम पंचायत भूमिहीन हरिजनों को न देकर गोचर भूमि में परिवर्तित कर देती है। एक ऐसा आयोग बनाया जाना चाहिए जो भूमिधरों से फालतू भूमि लेकर तथा वन और गोचरों की भूमि को कृषि भूमि में बदलकर उसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को देने का काम करे। उनकी आवास सम्बन्धी समस्या भी बड़ी शोचनीय है। उन्हें ऐसे स्थानों पर रहना पड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उन्हें गृह-निर्माण के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। पी० डबल्यू० आर० योजना संख्या 219 पुनः चालू की जानी चाहिए।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की पदोन्नतियों और उन्हें सरकारी नौकरियां मिलने के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सरकारी सेवाओं में उनके लिए सुरक्षित स्थान भी उन्हें नहीं दिये जाते। सरकार भी इस तथ्य से अवगत है परन्तु कोई समुचित कार्यवाही इस दिशा में नहीं की जा रही है। यद्यपि गत वर्ष माननीय मन्त्री श्री अशोक मेहता ने यह आश्वासन दिया था कि तत्सम्बन्धी स्थिति में सुधार होगा। परन्तु अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दी जाती है और उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं दिये जाते। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जैसे सरकारी विभागों में तो उनके लिए स्थान भी सुरक्षित नहीं हैं। एक प्रश्न के

उत्तर में सभा में यह बताया गया था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रथम श्रेणी के 436 कर्मचारियों में केवल 2 अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं। कोयली तेल शोधक कारखाने में प्रथम श्रेणी के 161 कर्मचारियों में एक भी कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का नहीं है। इस समय इन जातियों में अनेक योग्य और अर्हता-प्राप्त लोग हैं, परन्तु उन्हें अवसर नहीं दिये जा रहे हैं। एक अधिकारी ने अपने विभागीय अधिकारी से अपनी कठिनाइयों के निवारण के लिए अनुरोध किया है। उसे न्याय दिलाने के स्थान पर उसके विरुद्ध विभागीय जाँच करवाई जा रही है। इस प्रकार से इन जातियों के कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है। उनकी पदोन्नति आदि के बारे में आदेश और परिपत्र आदि जारी तो कर दिये जाते हैं परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

अन्त में मैं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। इस मंत्रालय के अनुदान का 55 प्रतिशत भाग इस बोर्ड के लिये नियत किया जाता है। इस बोर्ड का लेखा-जोखा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस बोर्ड की स्थापना के समय 1953 में यह सरकारी संस्था थी, फिर अर्ध सरकारी संस्था के रूप में यह चलती रही। अब ऐसा सुना जा रहा है कि यह एक गैर सरकारी संस्था के रूप में कार्य करेगी। क्या सरकार इसे इस रूप में भी सहायतानुदान देगी ?

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : हमारे देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उन्हें तीन श्रेणियों-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में विभक्त किया गया है। उनके हितों की रक्षा के लिए हमारे संविधान में उपबन्ध रखे गये हैं। जाति प्रथा के कारण हमारे देश में कुछ लोग सामाजिक दृष्टि से हीन माने जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर अन्याय होता है। उनकी उपेक्षा की जाती है। ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। मैं सामाजिक न्याय पर ही अधिक बल देना चाहता हूँ ताकि सरकार और अन्य लोग उस पर ध्यान दें।

अनुच्छेद 19 में हितों की रक्षा का उपबंध किया गया है। समता के खंड के अतिरिक्त राज्य सरकारें भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए अन्य प्रकार की सुविधाएँ सुरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में 'अन्य पिछड़े वर्ग' और अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा पिछड़े लोगों पर 'विशेष ध्यान' देने का उल्लेख है। जहां तक अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का सम्बन्ध है, उनके लिए तो एक विशिष्ट संस्था की व्यवस्था है परन्तु 'अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत पिछड़ी जाति आयोग नियुक्त कर सकता है, जो उनकी स्थिति को सुधारने के प्रश्न पर विचार करेगा। काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। उसके प्रतिवेदन में जाति के आधार की बात को छोड़कर आर्थिक दशा के पिछड़ेपन का आधार मानने का सुझाव दिया गया है। एक ओर जाति प्रथा को तोड़ने के लिए संघर्ष किया जा रहा है, दूसरी ओर सरकार ने आर्थिक स्थिति को आधार मान लिया है। वास्तव में पिछड़ेपन का आधार तो जाति ही होनी चाहिए। इस समस्या के बारे में सरकार की पकड़ ही गलत है। इससे तो 'समता खंड' का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति ज्ञापन में यह स्वीकार किया गया है कि "हम इस समस्या पर पुनर्विचार करेंगे।" साथ ही केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे आदेश दिये हैं कि वे वर्तमान अनुसूची के अनुसार पिछड़े वर्गों के लोगों को हर समय सहायता और सुविधाएँ प्रदान करें।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों ने भी सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की थी। परन्तु अब अपनी सरकार आर्थिक स्थिति को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार मानने के आदेश दे दिये हैं। इनके अनुसार जिस परिवार की वार्षिक आय 1500 रुपये से कम है वह सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जायेगा। ऐसा करके संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो विशेषाधिकार किसी एक वर्ग के लिये संविधान में निश्चित किये गये थे, अब उन्हें दूसरे वर्ग को दिया जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन से एकदम भिन्न है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परन्तु सामाजिक दृष्टि से उन्नत परिवार की स्थिति आर्थिक दृष्टि से उन्नत परन्तु सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए परिवार की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए विशिष्ट प्रकार के उपाय किये जाने चाहिए। माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान दें।

मैं सम्मानपूर्वक उच्चतम न्यायालय से यह अनुरोध करता हूँ कि वह चित्रलेखा निर्णय और बालाजी निर्णय पर पुनर्विचार करे। अनुच्छेद 15 और 16 में समता की बात कही गई है। यदि संविधान के उपबन्धों को ऐसे समाज पर लागू किया जायेगा, जो ऊँच-नीच की भावना से ओत-प्रोत है, जिसमें सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से समता नहीं है तो समाजगत विषमता निरन्तर बढ़ती ही जायेगी। आर्थिक स्थिति को पिछड़ेपन का आधार मानने से भी सामाजिक पिछड़ापन बढ़ेगा ही। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय किया गया है, उसे वह दूर करे।

Shri Atam Das (Morena) : As long as the caste system and the untouchability continue nothing will uplift the society. In November 1922 the reformists set up a committee to eradicate the caste system from the society. Mahatma Gandhi also constituted a Harijan Ulplift Society. But all these institutions stopped working after a limited period. We are unfortunate in the sense that we get excited on petty matters like Shankracharya's statement, but we never care for such tragic incidents as the burning of live people or forcing naked woman to make round of villages. It is due to the fact that we have lost our self-respect and we have lost self-respect on account of our being down-trodden for centuries.

In Commission's report a number of recommendations have been made. If these are implemented by Government honestly, the Harijan problems will be solved in no time. The fact is that the recommendations made in the Report of the Commissioner for sch duled castes and Scheduled Tribes are never implemented. I, therefore make an appeal that such recommendations should be implemented soon.

श्री कार्तिक उरांव : (लोहारडगा) मैं समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। समाज कल्याण, हरिजनों और आदिम जातियों के सुधार के बारे में कई बातें कही जा सकती हैं परन्तु तथ्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्ष बाद भी हम अपने आप को भारतीय कहने में लज्जा अनुभव करते हैं। अधिकाधिक जातियाँ, आदिम जातियां तथा अनुसूचित जातियाँ अस्तित्व में आती जा रही हैं। अनुसूचित जातियाँ अपने सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्हें तो उनके मूल अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है और सरकार ने इसका कोई कारण नहीं बताया है। और उसका औचित्य भी प्रतिपादित नहीं किया है।

संविधान के अनुच्छेद 15 में यह लिखा है कि राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म-

स्थान के आधार पर किसी के साथ भेद-भाव नहीं करेगा । इसमें 'केवल' शब्द विचारणीय है । इसका तात्पर्य यह है कि उपरोक्त आधार पर तो भेद-भाव किया ही नहीं जा सकता । हाँ, अन्य आधार जैसे आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर वह किया जा सकता है । संविधान में ऐसे उपबन्ध करने का आशय यह था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की उन्नत जातियों के हितों के मुकाबले में रक्षा की जा सके । इसी आशय की पूर्ति के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1958 जारी किया गया था । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी व्यवस्था अनुसूचित आदिम जातियों के लिए नहीं है ।

इससे आगे अनुच्छेद 46 में उपबंधित है कि राज्य मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के तथा गौण रूप से समाज के अन्य पिछड़े लोगों के आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी हितों की विशेष रूप से रक्षा करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचायेगा । इसका अभिप्राय यह है कि वे लोग जो आर्थिक या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी, राज्य पर होगी । परन्तु इस प्रकार के जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गये हैं, उनका आर्थिक और शैक्षिक स्तर अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक ऊँचा है । लोकर आयोग के प्रतिवेदन से भी यह बात प्रमाणित होती है । जिन आदिम जातियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, वे ही आदिम-जातियों को मिलने वाले लाभों का 90 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं और शेष आदिम जातियों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं । उदाहरणार्थ 4500 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में से आदिम जातियों को केवल 400 छात्रवृत्तियाँ मिली जब कि ईसाई आदिमजातियों को 4100 छात्रवृत्तियां मिली है । सरकारी सेवाओं में 90 प्रतिशत अवसर भी इन्हें ही प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं में ईसाई धर्मावलम्बी अनुसूचित जाति अथवा आदिम जाति के लोग 75 प्रतिशत हैं जबकि उनकी जनसंख्या 5.53 प्रतिशत है । मेरा सभा से अनुरोध है कि वह मेरी बात का केवल आशय समझ ले, उसे अन्यथा न समझे ।

अन्य कई प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है । पश्चिमी बंगाल के एक अनुसूचित आदिम जाति के लिए सुरक्षित निर्वाचनक्षेत्र से एक आंग्ल-भारतीय ने चुनाव लड़ा और वह सफल हुआ । बिहार में एक भारतीय ईसाई सुरक्षित स्थान से चुना गया । इसके अतिरिक्त एक झाड़खंड़े दल का एक नेता भी सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से चुना गया । क्या गृह मंत्रालय ने इस बारे में कोई जाँच पड़ताल की है । अन्त में मेरा यह अनुरोध है कि अनुच्छेद 342 में इस आशय का संशोधन किया जाये कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है या जिसका आदिमजातीय धर्म नहीं है, वह अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा । मेरा विधि मंत्री से यह निवेदन है कि वह इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही करें ।

Shri Shinkre (Panjim) : I remember one episode of the time of the French Revolution. A procession of people demanding bread passed by the side of Queen Palace. She has said after hearing the noise of the procession that if there is no bread to eat, people should eat cakes. I mean to say that there are a number of tribal people in India also who have not seen breads as well as cakes. I wanted to say many things about the tribal people of Goa but I am constrained to speak about some rare tribes-Jharwa, Ongi Shompen and Andmani living in Andman and Nicobar Islands. It is said that Jhabuva tribe consists of 200 or 300-400 people. The name of this tribe has not been mentioned even in the census. The people of this tribe have not seen bread. The Members of this House are ignorant about such tribes. Our Government should pay special attention to protect such tribes. The fund given by the Central Government for the development of Andman and

Nicobar Islands should be spent for improving the condition of these tribes. Government should come in direct contact with these people and help them in improving their condition.

Shri S. M. Solanki (Gandhinagar) : Sir, today Harijans and tribal people are in need of three things, education, housing, and food. The reservation for these people should be increased from 12 per cent to 20 percent. The amount of scholarship should be increased from Rs. 25/- per month to Rs. 50/- per month. Those Harijan or tribal students, who obtain 60 or 70 per cent marks, should not be allowed to avail chance under reservation.

The land lying surplus with the Gram Panchayats is not being allotted to Harijans or tribal people. Such land is converted in pastures. A resolution to this effect is passed by majority in Gram Panchayat. Therefore, Government should make a law in this respect so that such land may be given to Harijans or tribal people. At some places these people are not allowed to take water from water storages. Government should forcibly do these things so that harijans can take water from them.

Harijans and tribal people have been living in India since pre-historical period. So they should be given all rights, so that they may enjoy the fruits of independence. The period of reservation for them should be increased to 30 years.

The untouchability has been abolished legally. Yet people like Shankracharya speak in support of untouchability. Such people should be arrested and executed in the courts of law. Shankracharya should not be exception to irrespective of the fact that he is religious head.

Sir, Harijans are denied the exercise of their rights. Government should make such efforts as will confer all rights on them. All rights should be made available to them in free India. We have been waiting for a time when a man will be looked at with human eyes and not with eyes of religion. When a man will be considered a man and nothing else.

Shri B. N. Kureel (Ramsanehighat) : Mr. Chairman, to day we are discussing the demands of the Department of Social Welfare with which the question of the Scheduled castes and scheduled Tribes is also attached. No doubt that Government have done something to improve the condition of these castes and tribes. While making efforts for their uplift, Government should give serious consideration to the fact that most of them do not own their own houses. Central Government should make a comprehensive plan for their rehabilitation i. e. to give them houses which they call their own.

It is a known fact that Government has done a considerable work in educational field. Scholarships and freeships are given to Harijan students. In this context I want to suggest that rates of scholarship fixed in 195?-54 are insufficient in these days of increased dearness. The rates should be increased to at least Rs. 50/- per month. The income ceiling of parents of students for getting scholarship should be increased from Rs. 500/- to Rs. 750/.

In regard to the reservation in services I want to say that our reserved quota is nowhere fulfilled. On the other hand people say that sincere efforts are being made to give more posts to these people in services and millions of rupees are being spent on it. It is true to some extent. The reality is that the amount allotted for this purpose is not utilized properly. There are a number of offices will a large number of staff who deal with this matter. A large sum is spent on their salaries etc. So I request that they should be paid from some other account and the sum allotted for Harijan and tribal people welfare should be utilized for improving their condition.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। सभा में गणपूर्ति नहीं है। अत: सभा स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 16 अप्रैल 1969/26 चैत्र, 1891 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 16, 1969/Chaitra 26, 1891 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.